लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०

२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रुड़की-बद्रीनाथ सड़क

*८९२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुड़की—हरिद्वार—जोशीमठ—बद्रीनाथ सड़क के निर्माण तथा विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सड़क के प्रत्येक भाग के लिए मंजूर की गई राशि में से अब तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ग) कीर्ति नगर और रुद्रप्रयाग के बीच की सड़क के विकास के लिए ९·८५ लाख रुपये के स्वीकृत अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) जोशीमठ से बद्रीनाथ तक मोटर की सड़क बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]

(ग) इस के लिए ठेका दिया गया है और सड़क चौड़ी करने का काम हाल ही में शुरू हुआ है।

(घ) यह सूचना सार्वजनिक हित में देना ठीक नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस विवरण में बताया गया है कि जो ३८·६४ लाख रुपये भारत सरकार ने स्वीकार किए थे, उनमें से अभी तक ३०·६८५ लाख रुपयों का ही उत्तर प्रदेश सरकार उपयोग कर सकी है। क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रगति से सन्तुष्ट है और

1666 (Ai) LSD—1

यदि नहीं तो क्या इस बारे में कुछ और तेज़ी से कदम उठाने का विचार किया जा रहा है।

श्री राज बहादुर : ये कार्य स्वभावत: ही ऐसा है कि इसमें विलम्ब होता है क्योंकि इसके तखमीने बनाने में, तखमीनों की मंजूरी में, उनकी जांच में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों की छांट में भी काफी समय लगता है। फिर बहुत से टुकड़े पहाड़ी हैं और इस प्रकार के हैं कि वहां भी कुछ समय लगता है। मगर मैं यह नहीं कह सकता कि हम सन्तुष्ट हैं उस प्रगति से। हमारी यही कोशिश है कि प्रगति की गति को कुछ और बढ़ाया जाए।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जोशीमठ से बद्रीनाथ की सड़क के बारे में कहा गया है कि इसके बारे में सूचना देना सार्वजनिक हित में ठीक नहीं होगा। पर कम से कम यह बतलाने की तो कृपा की जाए कि क्या सड़क बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है या नहीं किया गया है, अर्थात् यह सड़क बनेगी भी या नहीं बनेगी ?

श्री राज बहादुर : अगर यही बता दिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से बताने में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या केदारनाथ में भी कोई सड़क बनाई जा रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक दूसरी बात है।

†**श्री गोरे :** इस सड़क के सामरिक महत्व को देखते हुये क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये जायेंगे कि इस काम में तेजी लायी जाये और इसे पूरा किया जाये ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सीमान्त सड़कों के बनाने की जिम्मेदारी सीमान्त सड़क विकास मण्डल पर है। वे ही इस संबंध में कुछ बता सकते हैं।

†**श्री गोरे :** उसका प्रभारी मंत्री कौन है ? हमें किसी न किसी से उत्तर मिलना चाहिए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। सीमान्त सड़क विकास मण्डल के सभापति प्रधान मंत्री हैं और उपसभापति प्रतिरक्षा मंत्री हैं। परिवहन मंत्रालय का सचिव सदस्य है। ये प्रश्न हमसे इसलिये पूछे जाते हैं क्योंकि इन सड़कों के लिये आय-व्ययक राशि परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत रखी जाती है। यदि माननीय सदस्य आगे जानकारी चाहते हैं, तो यह अधिक अच्छा होगा कि सीमान्त सड़क विकास मण्डल से एक पृथक् प्रश्न पूछें और तब प्रधान मंत्री या प्रतिरक्षा मंत्री उसका ठीक-ठीक उत्तर देंगे।

†**श्री गोरे :** जब कि यह प्रश्न पूछा गया है तो क्या इसके लिये उत्तरदायी मंत्री का यहां उपस्थित रहना कर्तव्य नहीं है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हों, वे उस संबंध में उसी मंत्री से प्रश्न पूछें जो उसके लिये उत्तरदायी हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : जब प्रश्न गृहीत कर लिया गया है तो मंत्री महोदय को यहां उपस्थित होना चाहिए।

†उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

मालभाड़ा की दरें

†*८९३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र पार व्यापार में मालभाड़ा की दरों को विनियमित करने के लिए इस संबंध में अमरीकी विधि की तरह संविहित शक्तियां प्राप्त करने की योजना पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). समुद्र पार व्यापार में मालभाड़ा की दरों को विनियमित करने के लिये संविहित शक्तियां प्राप्त करने के प्रश्न पर संबंधित नौवहन हितों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा था कि इस प्रस्थापना से हमारे निर्यात व्यापार को संरक्षण मिलेगा। इस बात को देखते हुये इस मामले में शीघ्रता लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री राज बहादुर : नौवहन परामर्शदात्री समिति से, जिसमें भारतीय नौवहन समवायों तथा विदेशी नौवहन समवायों के प्रतिनिधि हैं, पूछा गया था। उसने अपने विचार प्रकट किये हैं। जबकि विदेशी नौवहन समवाय सामान्यतः इसके विरुद्ध हैं, भारतीय नौवहन समवायों ने कहा है कि इसे प्राप्त कर लिया जाये। किन्तु इस समय, जैसा कि मैंने कहा, प्रस्ताव विचाराधीन है, और हम परिस्थिति का निरीक्षण करेंगे।

†श्री तंगामणि : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं क्या उनके कारण सरकार इस प्रस्ताव को रद्द करना चाहती है।

†श्री राज बहादुर : जी नहीं, इसे रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा मैंने कहा, सारे मामले पर विचार किया जा रहा है। जिन बातों से हमारे निर्यात के संवर्धन में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें दूर करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता है। उसी प्रसंग में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

डाक सेवायें

*८९४. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से पहाड़ी स्थानों पर डाक कई महीनों के बाद बांटी जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि वहां डाकघर न होने के कारण पैन्शन पाने वालों को अपनी पैंशन लेने के लिए दूर-दूर के स्थानों में जाना पड़ता है और वहां भी उन्हें बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वहां कई बार उनको गवाह नहीं मिलते ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उन गांवों को छोड़कर जो डाक वाले गांव नहीं हैं तथा सेन्ट्रल परिमण्डल के कुछ गांवों को छोड़कर भारत के किसी भी गांव में डाक बांटने में सामान्यतः एक महीने से अधिक की देरी नहीं होती।

(ख) कुछ ऐसे मामले हैं जहां पैंशन पाने वालों को अपनी पैंशन लेने के लिए डाकघर तक पहुंचने में कुछ दूरी तक चलना पड़ता है। डाक विभाग के पैंशन पाने वालों को पहचान कराने में कोई कठिनाई नहीं होती, किन्तु सैनिक व्यक्तियों की पहचान के लिए कुछ कठिनाई हो सकती है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी को यह भली भांति मालूम है कि खास तौर से जो बार्डर में पुलिस है, उनके लिए जो शैड्यूल्ड टाइम है, उससे भी कई कई दिन बाद डाक उनको पहुंचती है। उन लोगों के लिए खास तौर पर क्या सरकार किसी तरह का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** इसका कारण यह है कि कभी-कभी ये स्थान बर्फ से ढक जाते हैं औ रास्ता साफ न होने के कारण डाक देने वाले हमारे आदमी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अतः, कभी-कभी डाक समय पर नहीं पहुंच पाती है।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक महीने के बाद कहीं भी डाक नहीं पहुंचती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक एक पोस्टमैन एक डाकखाने में रखा जाता है जिसके सुपुर्द कम से कम सौ मुरब्बा मील का क्षेत्र होता है पूरा करने के लिए और लोगों को कई दफा दो दो और तीन तीन महीने बाद डाक पहुंचती है। अगर माननीय मंत्री जी को इसकी साक्षियां चाहियें तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूं।

†**डा० प० सुब्बरायन :** माननीय सदस्य का अनुभव दूसरा होगा। मैंने जो कुछ विभागीय लोगों से सुना है वह यह है कि जब भी मार्ग चलने योग्य होता है, डाक ठीक समय पर पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा, वहां पहाड़ी रास्ते हैं और दूरी लोगों की कल्पना से अधिक है। अन्तिम स्थान तक पहुंचने के लिये लोगों को १२ मील तक का चक्कर पड़ जाता है और प्रतीत यह होता है कि वह स्थान १ या २ मील दूर ही है। अतः समयानुसार चलना विशेषतः जब कि बर्फ से जमीन ढकी हुई हो, बहुत ही कठिन है।

†**श्री हेम राज :** जिन स्थानों पर भूतपूर्व सैनिक अधिक मात्रा में हैं, क्या वहां के शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में बदला जायेगा ताकि डाक एकत्र करने के केन्द्र निकट हो सकें ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** हम इस संबंध में नियमों से बंधे हुये हैं। जब गांव की जन-संख्या २००० है और केवल १००० रुपये की ही हानि होती है, तभी ऐसे क्षेत्रों में

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकघर खोले जाते हैं। किन्तु कुछ दशाओं में अतिरिक्त विभागीय कार्यालय भी खोले जाते हैं। किन्तु जब उससे अधिक हानि होने लगती है जब तक कि गांव का कोई व्यक्ति अथवा गांव के प्रति दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्ति इतने की गारंटी नहीं दे देते, हम डाक घर नहीं खोलते।

लाला अचिंत राम : क्या माननीय मंत्री जी इस बात को महसूस करते हैं कि आजादी के बारह वर्ष बाद भी डाक इतनी देर से पहुंचती है कि एक महीना तक लग जाता है? क्या वे इस पीरियड को कुछ कम नहीं कर सकते?

†डा० प० सुब्बरायन : माननीय सदस्य का कहना है : "आजादी के बारह वर्ष बाद भी।" यदि वे राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में जानते हों तथा उन्हें यह पता हो कि हम कौन-कौन सी विकास परियोजनायें आरम्भ कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे इस प्रश्न को नहीं पूछेंगे। इस बात के उत्तर में कि क्या डाकघर नहीं खोले जा सकते हैं यह कह सकता हूं कि हम शीघ्रातिशीघ्र डाकघर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि हमने प्रथम योजना में ५५,००० डाकघर खोलने का लक्ष्य समय पर पूरा कर लिया। अब २,००० तक डाकघर खोले जायेंगे, अर्थात् ७५,००० में से २,००० और खोले जाने हैं जो कि अगली योजना की अवधि से पूर्व ही खुल जायेंगे।

लाला अचिंत राम : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, मंत्री महोदय ने और बातें कही हैं। आज कल जो एक महीने का समय लगता है क्या आप उसको पंद्रह दिन करेंगे? क्या समय में कमी नहीं की जा सकती?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं उस बारे में बता चुका हूं। किन्तु स्पष्टतः माननीय सदस्य मेरी भाषा नहीं समझ पाते और मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाता हूं। मैं बता चुका हूं कि उसमें कमी नहीं की जा सकती।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या ऐसे स्थानों में जहां की आबादी २००० है सरकार की ब्रांच डाकघर खोलने की नीति है? क्या उस सम्बंध में कोई नियम हैं?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं इस बारे में बता चुका हूं।

मसालों सम्बन्धी वस्तु समिति

\+

†*८९६. { श्री आचार :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसालों के विकास के लिए एक वस्तु समिति स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

†कृषि मंत्री (डा० पं० रा० देशमुख) : मसालों के विकास के लिये एक वस्तु समिति स्थापित करने के प्रश्न पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है।

†श्री आचार : यह बहुत समय से चल रहा है। कब तक निर्णय हो जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं जानता हूं कि हम निर्णय करने में शीघ्रता नहीं कर पाये हैं। किन्तु इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सी बातें हैं। इस बीच में मसाला निर्यात सवर्धन ने समिति बन गई है। अतः हम इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

†श्री आचार : क्या निर्यात संवर्धन समिति केवल निर्यात बढ़ाने के लिये ही है? उत्पादन का प्रश्न मुख्य है। इस दृष्टिकोण से, क्या इस मामले के बारे में शीघ्र निर्णय किया जायेगा?

†डा० पं० शा० देशमुख : कृषि मंत्रालय भी इसी बात पर जोर दे रहा है।

†श्री वारियर : एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच कुछ मतभेद है। क्या अब वह मतभेद दूर हो गया है? अब इस मामले के संबंध में शीघ्र निर्णय हो ही जाना चाहिए।

†डा० पं० शा० देशमुख : अभी पूरी तरह से नहीं।

†श्री तंगामणि : यह देखते हुये कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने यह सिफारिश की है कि ऐसी समिति बनाई जाये तथा एक पूर्व अवसर पर माननीय मंत्री ने भी सभा में यह स्वीकार किया है कि इलायची से विदेशी मुद्रा की बहुत प्राप्ति होती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी देर क्यों कि जा रही है। क्या सरकार ऐसी समिति या बोर्ड की स्थापना करेगी?

†डा० पं० शा० देशमुख : एक विचार यह व्यक्त किया गया है कि ऐसी समितियों की स्थापना करते ही व्यय बढ़ जायेगा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा विचार न बन पाये।

दीमक से बचाव

†*८९७. { श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फसलों को और सरकारी इमारतों में लकड़ी की चीजों, फर्नीचर, भंडारों में रखी गयी वस्तुओं, किताबों और अभिलेखों को दीमक से प्रति वर्ष लगभग कितने रुपये का नुक्सान होता है इस संबंध में क्या कोई आंकड़े रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संरक्षण के क्या उपाय किये गय हैं?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता।

(ग) विभिन्न चीजों के लिये विभिन्न तरीके अपनाये जाते हैं। सरकारी भवनों, भंडारों तथा सामान को दीमक से बचाने के लिये डी०डी०टी० छिड़का जाता है, धूप दिखाई जाती

---

†मूल अंग्रेजी में

है, दीमक से रक्षा करने वाले रसायनों तथा लेपों का प्रयोग किया जाता है। फसलों के लिये आर्गेनिक और इनर्गेनिक कीड़ानाशक चीजें काम में लाई जाती हैं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : दीमक के नियंत्रण के लिये विशेषत: अनाज के संबंध में, रेडियो आइसोटाप का प्रयोग किया जाया है। क्या भारत में ऐसा कोई प्रयोग किया गया है?

†डा० पं० शा० देशमुख : रेडियो आइसोटाप हाल की चीज है जिसे हम सब प्रकार के अनुसंधान के लिये काम में ला रहे हैं। मुझे पता नहीं कि अभी तक हमने दीमक की समस्या पर विचार किया है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति विशेषरूप से खाने की चीजों के लिये दीमक विरोधी कोई वस्तु निकाली है क्योंकि दीमक से बहुत नुक्सान होता है?

†डा० पं० शा० देशमुख : भंडारों के संबंध में, हमारे सभी भंडारों में दीमक से बचाव के उपाय किये गये हैं और कोई भी नुक्सान नहीं हुआ है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : मैं केवल फसलों को होने वाली क्षति के बारे में कह रही हूं।

†डा० पं० शा० देशमुख : हम उस संबंध में जांच पड़ताल करेंगे।

भू-संरक्षण

+

†*८६६. { श्री आचार :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से भू-संरक्षण विशेषज्ञों का एक दल अभी हाल में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उसने किन किन राज्यों का दौरा किया;

(ग) क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के भू-संरक्षण सेवा के प्रशासक श्री डान० ए० विलियम्स भू तथा जल संरक्षण परामर्शदाता के रूप में भारत आये थे।

(ख) वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास गये थे।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री आचार : क्या इस समिति में कोई बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञ भी था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी नहीं, इसका बाढ़ नियंत्रण से कोई सम्बन्ध नहीं।

†श्री ब्रज राज सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि दल उत्तर प्रदेश भी गया था। क्या दल ने चम्बल और जमुना के क्षेत्र का निरीक्षण किया था और क्या उसने चम्बल तथा जमुना के खड्डों में भू-संरक्षण के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : दल में वस्तुतः एक ही विशेषज्ञ था। इसने खड्डों का निरीक्षण किया था तथा यह भी देखा था कि उन्हें कृषि योग्य बनाया जा सकता है या नहीं। यह विषय भी सम्मिलित कर लिया गया है।

†श्री आचार : दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : वे बहुत लम्बी हैं। मेरे पास रिपोर्ट है। मैं उसका सारांश सभा-पटल पर रख सकता हूं यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वे उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रख दें। क्या कोई भी प्रति नहीं है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं कुछ प्रतियां रख सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उन्हें पुस्तकालय में रख दिया जाये।

†श्री चितामणि पाणिग्रही : इस दल ने कुछ ही राज्यों का निरीक्षण क्यों किया ? क्या भारत के इन्हीं राज्यों में भू-संरक्षण की समस्या विकट है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हम ने विशेष प्रकार के क्षेत्र चुने थे। इस प्रकार का विशेषज्ञ सब क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकता जब तक कि एक विशेष प्रकार की भूमि के लिये इस प्रकार के भू-संरक्षण के बारे में विचार करना है।

†श्री हेम राज : क्या यह सच है कि सिन्धु नदी के बेसिन में भूमि का कटाव बहुत ज्यादा है और क्या उस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : एक ही व्यक्ति सर्वेक्षण नहीं कर सकता था। क्या समस्यायें हैं और उन्हें किस प्रकार सुलझाना है, केवल इस पर ही विचार किया गया है। हमें पता है कि इन नदियों ने कितना कटाव कर दिया है।

†श्री असजद अली : बराबर शिकायतें हुई हैं कि आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम प्रकार की काश्त से ब्रह्मपुत्र नदी में मिट्टी भरती जा रही है। इस दल से आसाम का सर्वेक्षण करने तथा यह पता लगाने के लिये कि क्या वहां भू-संरक्षण आवश्यक है, क्यों नहीं कहा गया ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमें आसाम की समस्या का ज्ञान है और जैसा मैं ने कहा हम सब स्थानों का सर्वेक्षण नहीं करा सके। आसाम की समस्या बहुत बड़ी है और हम इस की ओर ध्यान दे रहे हैं।

†श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम चाय की काश्त द्वारा सब से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा पैदा करता है। श्री असजद अली की भांति मैं भी यह पूछता हूं कि इस दल से आसाम का दौरा करने को क्यों नहीं कहा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या अन्य राज्यों को भी दल को भजने का विचार है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : वर्तमान दल ने अपना काम पूरा कर लिया है। यहां एक ही सज्जन आये थे। यह ठीक है कि इस से मामला खत्म नहीं हो जाता। कुछ विशिष्ट समस्याओं पर सलाह देने के लिये ही सर्वेक्षण किया गया था। हम बराबर ऐसा कर रहे हैं। जहां तक हमारे विशेषज्ञों का संबंध है, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिये कि किसी विशिष्ट पहलू की अपेक्षा की गई है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार को गोबिन्द सागर में मिट्टी जमा होने के बारे में कोई शिकायत मिली है और यदि हां तो क्या वहां भी कोई विशेषज्ञ दल भेजने का विचार है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री वारियर : क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इस दल ने जिन भागों का सर्वेक्षण नहीं किया उन का और विशेषतः उन भागों का जहां वर्षा बहुत अधिक होती है सर्वेक्षण कराया जाये ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इस का तृतीय योजना में अधिक से अधिक ध्यान रखा जायेगा।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या भारत सरकार ने इस विशेषज्ञ को बुलाया था अथवा पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत वह आया था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इस का पैकेज कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं। अमेरीका की सरकार तथा हमारे बीच यह तय हो गया था।

†श्री आचार : माननीय मंत्री ने बताया था कि दल मैसूर राज्य गया था। क्या इस ने दक्षिणी भाग का सर्वेक्षण किया था अथवा पश्चिमी तट का सर्वेक्षण भी किया था ?

†अध्यक्ष महोदय : यह ब्यौरे की बातें हैं।

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं उस बारे में नहीं बता सकता।

जम्मू-श्रीनगर राजपथ पर चट्टानों का गिरना

†*१०२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाले राजपथ पर चट्टानों का गिरना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : राज्य सरकार से रोकने वाली दीवारें बनाने के लिये कहा गया है। उन से यह भी कहा गया है कि पहाड़ी की ओर के भाग मजबूत बनाने के लिये वे ढाल पर पेड़ लगा दें।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर एक निर्धन राज्य है केन्द्रीय सरकार इस राजपथ की रक्षा के लिये क्या अंशदान देगी ?

†श्री राज बहादुर : यह एक राष्ट्रीय राजपथ है और उसको कायम रखने का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। शायद सीमान्त सड़क विकास निधि इस में कुछ दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूकम्प

†*९०३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले ६ महीनों में आन्ध्र प्रदेश में बार बार भूकम्प आया था ;

(ख) यदि हां तो किन किन जगहों पर और कब कब भूकम्प आया ;

(ग) भूकम्प के कारण क्या असर पड़ा ; और

(घ) क्या उस के परिणामस्वरूप कोई नुकसान हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

धान की खेती

†*९०४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे नये किस्मों के धान का उपयोग चालू करने के लिये जो बाढ़ और रुके पानी में भी उग सकें एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नये किस्मों के धान का प्रयोग कर लिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति के गठन को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है और शीघ्र ही यह कार्य आरम्भ कर देगी । इतने समय में इस किस्म के धान के दामोदर घाटी निगम परियोजना के जलाशयों में कुछ सफल प्रयोग किये गये हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस किस्म के धान को उगाने के लिये कोई और क्षेत्र भी चुना गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जहां कहीं भी इस का प्रयोग संभव हो सकता है हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : पैडी की नई किस्में कहां से मंगाई जा रही हैं और क्या उन के उपयोग के लिये किसी विशेष तरकीब की आवश्यकता होती है ?

डा० पं० शा० देशमुख : ये सब वैरायटीज हिन्दुस्तान में ही पायी जाती हैं । इन में क्या संशोधन कर के उन को अच्छा बनाया जा सके इस की तरकीब सोची जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : धान उगाने के इस मामले में समिति का क्या महत्व है ? क्या समिति धान उगायेगी ? इस समिति के कृत्य क्या हैं ? मुझे आश्चर्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीधे यह पूछ सकते हैं कि क्या मंत्रीगण धान उगाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : धान उगाने के कई पहलू हैं और यह केवल किसी स्थान पर धान उगते देखना ही नहीं है। यह एक विशेष किस्म है। यह उस भूमि में उगाने के लिये है जहां पर पानी इकट्ठा हो कर काफी समय तक ठहरता है। हम इन किस्मों को चलाना और उपयुक्त किस्मों का पता लगाना चाहते हैं और उनके इस्तेमाल का प्रचार करना चाहते हैं। हम धान के साथ अन्य फसल भी उगाना चाहते हैं। हम कुछ मत्स्य फसल का भी प्रयोग करेंगे।

†श्री त्यागी : समिति इस में क्या कार्य करेगी। इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यदि इस बारे में ब्यौरा चाहिये तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये। प्रथम तो यह एक विशेषज्ञों की समिति है। वह यह पता लगायेंगे कि किस प्रकार की भूमि के लिये कौन सी किस्म उपयुक्त है ? क्या कोई नई किस्म निकाली जा सकती है, उत्पादन कितना है और यह कैसे बढ़ाया जा सकता है। कौन कौन से उर्वरक की आवश्यकता है आदि।

†श्री त्यागी : क्या यह हम समझें कि यह कुछ किसानों की एक गवेषणा समिति है जो इस में कोई अनुसंधान करेगी ? अथवा क्या यह है कि अनुसंधान किया जा चुका है और केवल इस धान का प्रचार किया जा रहा है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यह अनुसन्धान के लिये जांच पड़ताल है। इनमें से कुछ व्यक्ति स्वयं वैज्ञानिक है और वे भी अनुसंधान करेंगे परन्तु हम उन समस्याओं का भी पता लगाना चाहते हैं जिन के बारे में अनुसन्धान आवश्यक होगा फिर वे अनुसन्धान कार्य करेंगे।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कटक में केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था ने यह अनुसन्धान किया; और यदि हां तो इस अनुसन्धान का क्या परिणाम निकला ?

†डा० पं० शा० देशमुख : अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कटक में एक बहुत बढ़िया संस्था होने हुए भी धान उगाने के कई ऐसे पहलू हैं जिन के बारे में ब्यौरेवार विचार और विशिष्ट अनुसन्धान की आवश्यकता है। इसीलिये हम ने धान की खेती के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये एक से अधिक समितियां नियुक्त की हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : एक बार मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उन्होंने कुछ धान देखा था जिस पर चीन में बच्चे नृत्य कर रहे थे। उस प्रकार के धान के बारे में प्रयोग की क्या स्थिति है ताकि हमारे बच्चे भी यहां धान पर नृत्य कर सकें ?

†डा० पं० शा० देशमुख : एसा कोई धान नहीं है जिस पर कोई नृत्य कर सके। चीनियों का दावा है कि व इतनी गहन फसलें उगा सकते हैं कि मनुष्य उन पर खड़ा हो सके। उस से धान की किस्म का कोई ताल्लक नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†*६०७. श्री र० चं० बरूआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के असम स्थित सात स्टेशन गैर-सरकारी एजेन्सियों को सौंप देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कुछ स्टेशनों पर कुछ कार्यालयों का संचालन, जिस में आसाम के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं एजेन्टों को सौंपने की संभावयता की जांच कर रहा है जहां सीधे तौर पर कार्य करना न तो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है और न प्रशासनिक रूप से सुगम ही है ।

†श्री प्र० चं० बरूआ : क्या सरकार यह समझती है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को य स्टेशन सौंपने से कुछ सुधार होने की संभावना है ?

†श्री मुही उद्दीन : इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सुधार के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा है । यह केवल इस के अपने व्यय में कमी करने का प्रस्ताव है ताकि इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कुल व्यय में कमी हो सके ।

†श्री प्र० चं० बरूआ : व्यय में कमी किस प्रकार की जायगी—कर्मचारियों की संख्या में कमी कर के या अन्य किसी प्रकार से ?

†श्री मुहीउद्दीन : कुछ स्थानों पर जहां पर काम अधिक ज्यादा नहीं है, और हल्का है, गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा सेवाओं के लिये एक ठेका देने का प्रस्ताव है । यहां पर रोजगार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । और जहां तक सम्भव होगा, वर्तमान कर्मचारियों को नयी एजेन्सियों में खपा लिया जयेगा ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच नहीं है कि कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियों ने खाने का सामान गिराया है और इस प्रकार नेफा क्षेत्र में लगभग १४९० टन खाद्यान्न का संभरण किया है और काफी विदेशी मुद्रा भी कमाई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन को कोई अननुसूचित मार्ग भी दिया जायेगा ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुख्य प्रश्न, जहां तक हवाई अड्डों से शहरों तक अथवा नगर तक यात्रियों के लाने का संबंध है, स्टेशनों क हस्तान्तरण और हवाई अड्डों पर सेवा के बारे में है । जहाज से माल गिराने का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या त्रिपुरा में भी ऐसा कोई हस्तान्तरण किया जायेगा ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे अभी इसका पता नहीं है । प्रश्न विचाराधीन है ।

†श्री बसुमतारी : गैर-सरकारी ऐजेन्सियों को कौन कौन से मार्ग (रूट) दिये जायेंगे ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं ने अभी बताया है कि यह विचाराधीन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जब यह ऐयरलाइन्स कारपोरेशन का काम इस इलाके में शुरू किया था क्या इस बात की जांच नहीं की थी कि यहां पर यह अनएकोनोमिक होगा और यदि जांच की थी तो क्या कारण है कि अब इस को बन्द कर रहे हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : जैसा अभी मेरे साथी ने बतलाया, वास्तव में बात यह है कि जहां पर हम समझते हैं कि कार्यालय खोलना संभव नहीं है क्योंकि उस से व्यय बढ़ेगा, हम विभागातिरिक्त कार्यालय खोलने का विचार कर रहे हैं । अतः मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है क्योंकि यह पूरी तरह बता दिया गया है कि अभी ये कार्यालय खोले नहीं गये हैं और प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सूपकार : क्या सरकार इन स्टेशनों पर सरकार की अपेक्षा गैर-सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा ये सेवायें अधिक लाभप्रद ढंग से चलाये जाने पर विचार करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : इस नीति का मुख्य विषय यही है ।

†श्री मुहीउद्दीन : कुछ स्टेशनों पर विमान दिन में एक बार ही आता है अथवा बाज दफा तो सप्ताह में तीन बार ही आते हैं । वहां पर, इन स्टेशनों पर सेवा के लिये एक व्यक्ति सारे महीने रखना अलाभदायक है जब कि वहां पर वायु-सेवा महीने में केवल चार या छः बार चलती है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि आसाम में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक नियमित स्टेशन के अतिरिक्त कोलापानी, जयहिंग, मीसा, बीरोंग जूली, अम्बारी, सोनापुर, सूनगांव और पंगा में इन अननुसूचित संचालकों द्वारा गैर-सरकारी तौर पर नियंत्रत और चलाये जा रहे स्टेशन हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : कुछ स्टेशन हैं जहां पर गैर-सरकारी संचालक विमान सेवा चला रहे हैं । परन्तु यह संचालकों का प्रश्न नहीं है ।

†श्री प्र० चं० बरूआ : उपमंत्री महोदय ने बताया कि वे आसाम में कुछ स्टेशनों को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से लेकर गैर-सरकारी ऐजेन्सियों को देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वे स्टेशन कौन कौन से हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जैसा मैं ने बताया है, इस प्रश्न पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विचार किया जा रहा है और अभी इस प्रश्न का फैसला नहीं किया गया है कि कौन कौन से स्टेशन हस्तान्तरित किये जायेंगे ।

†श्री बसुमतारी : सरकार इन सात स्टशनों को कौन कौन सी गैर-सरकारी एजन्सियों को सौंपना चाहती है ।?

†श्री मुहीउद्दीन : अभी तक इस प्रश्न का भी फैसला नहीं किया गया है । इस पर भी विचार करना पड़ेगा ।

समाचार-पत्रों का विदेशों में भेजा जाना

†*९०८. राजा महेन्द्र प्रताप : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्र विदेशों को भेजने के नये नियम क्या हैं;

(ख) क्या समाचार-पत्र भेजने के लिये भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है; और

(ग) क्या समाचार-पत्र विदेशों को भेजने में विदेशी मुद्रा का भी कोई सवाल आता है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) कोई नये नियम लागू नहीं किये गये हैं ।

(ख) उपहार के तौर पर समाचार-पत्र भेजने के लिये भारत के रक्षित बैंक की किसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि, यदि समाचार-पत्र किसी विदेश को मूल्य पर भजा

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता है, तो उसके लिये निर्धारित पी० पी० फार्म भरना पड़ता है जिस पर भारत के रक्षित बैंक के या विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने वाले किसी अन्य बैंक के हस्ताक्षर होते हैं।

(ग) वह इस बात पर निर्भर है कि भेजे गये समाचार-पत्र के लिये विदेश से कोई विक्रय मूल्य अथवा चंदा प्राप्त होता है या नहीं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हू कि मेरे पत्रों **वर्ल्ड फैडरेशन, संसार संघ और इतहादे दुनिया**---को कुछ समय तक विदेश भेजने की इजाजत नहीं दी गयी थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस में आज्ञा लेना आवश्यक है क्योंकि इस में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है। जब मैं कोई समाचार-पत्र बाहर भेजता हूं या कोई और व्यक्ति बाहर भेजता है तो उसमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती। यदि विदेश में कोई खरीदता है तो फिर उस में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे मामले में ऐसा क्यों हुआ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं स्वीकार करता हूं कि यदि समाचार-पत्र उपहार के रूप में भेजा जाता है तो कोई विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है परन्तु यदि किसी समाचार-पत्र से, जो वह भेज रहे हैं, धन मिलता है तो फिर उसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है। अन्तर यही है। (**अन्तर्बाधा**) यह कहना बहुत आसान है कि विदेशी मुद्रा की आय होती है परन्तु यह पता लगाने के लिये कि कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है, भारत के रक्षित बैंक को लेखा रखना पड़ता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यदि समाचार-पत्रों के बाहर भेजे जाने से भारत को विदेशी मुद्रा की आय होती है, तो सरकार को क्या आपत्ति है?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य विदेशी मुद्रा से बड़े प्रभावित हुए हैं। परन्तु उसी समय उन्हें लेखा रखने की कठिनाई को भी महसूस करना चाहिये और सरकार यह जानना चाहती है कि इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है और इसलिये उन्हें इसका लेखा रखना पड़ता है और वह केवल भारत के रक्षित बैंक के जरिये ही हो सकता है।

†**श्री सम्पत्** : क्या यह सच नहीं है कि भारत के रक्षित बैंक में और डाक घरों में पी० पी० फार्म मूल्य पर बेचे जाते हैं?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वे किसी मूल्य पर नहीं बेचे जाते। उन्हें पी० पी० फार्म कहा जाता है और वे भारत के रक्षित बैंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

†**श्री सम्पत्** : क्या यह मुफ्त है?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, हां।

†**श्री सम्पत्** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब से वे मुफ्त दिये जायेंगे।

†**श्री आचार** : क्या यह सच नहीं है कि यदि हम बड़ी संख्या में पी० पी० फ़ार्म चाहें तो हमें उन के लिये शुल्क देना पड़ता है?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यदि आप इन्हें किसी अन्य को बेचते हैं, तो लाभ उठाने से पहले आप को उसके लिये कुछ देना ही पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** : मेरा प्रश्न है कि प्रत्येक समाचार-पत्र के लिये वे यह फ़ार्म भराना चाहते हैं। वे मुफ्त नहीं दिये जाते परन्तु उसके लिये पैसा देना पड़ता है। क्या यह सच नहीं है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यदि वे बहुत अधिक फार्म चाहें, तो उसमें सन्देह हो जाता है।

केरल में चावल के भाव में वृद्धि

+

†*१०६. { **श्री मणियंगाडन** :
{ **श्री वारियर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अभी हाल में केरल में चावल का भाव बढ़ गया है ;

(ख) यह भाव बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या धान और चावल का भाव बढ़ना रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण परिवहन साधनों में गड़बड़ी होने से मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से कम चावल आया था इसलिये नवम्बर १९६० में मूल्य बढ़ गये थे। अब मूल्य कम हो गये हैं।

(ग) रेलवे की टूट फूट की मरम्मत करने के लिये शीघ्र कदम उठाये गये थे जिससे केरल में चावल शीघ्रता से पहुंच सके। उचित मूल्य की दुकानों से भी अधिक चावल दिया जाने लगा था।

†**श्री मणियंगाडन** : संकट को दूर करने के लिये राज्य ने कितना चावल मांगा था तथा केन्द्र ने कितना दिया था और मूल्यों में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने जो सहायता दी उसको पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार ने भी क्या कुछ सहायता दी थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : १९६० वर्ष में केरल सरकार के लिये १,३०,००० टन कोटा निश्चित किया गया था। उनके द्वारा तीन बार मांग बढ़ाने पर हमने कैलेन्डर वर्ष में दो लाख टन चावल देना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में रेलवे की पटरी टूट जाने के कारण आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में चावल का लदान करने में कठिनाई हुई। उन्होंने राशन भी बढ़ा दिया और ६००० टन और चावल मांगा। इस प्रकार हमने २०६,००० टन चावल देना स्वीकार कर लिया।

सहायता के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने चावल के मूल्य घटा स्वयं दिये हैं। हम उन्हें १६ रुपये की दर पर चावल देते हैं परन्तु वह १५ रुपये की दर पर बाजार में बेच रहे हैं। ऐसा उन्होंने हमारे कहने पर नहीं किया है। हम ने १६ रुपये की दर पर बर्मा का चावल उन्हें दिया है और इस प्रकार एक मन चावल पर ३ से ४ रुपये की हानि उठाई है। इस प्रकार २ करोड़ रुपये की सहायता हो जाती है और इसीलिये केन्द्रीय सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि और हानि उठा कर राज्य सरकार की और सहायता करे।

†**श्री वारियर** : क्या केरल में उपलब्ध धान और चावल मद्रास राज्य में भेजा गया था क्योंकि बाढ़ के कारण मद्रास राज्य में भी बहुत कमी थी और इसीलिये केरल में चावल के मूल्य बढ़ गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : ऐसा ही है । यदि केरल को मद्रास और आन्ध्र से चावल भेजा जाता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिये । मद्रास क्षेत्र में बाढ़ के कारण मलाबार क्षेत्र से मद्रास को कुछ चावल भेजा गया था । इसी कारण मलाबार में चावल के मूल्य बढ़ गये हैं ।

†श्री वारियर : मलाबार से यह चावल सरकारी स्तर पर लिया गया था अथवा गैर-सरकारी स्तर पर ? क्या मद्रास में यह ऊंचे भाव पर बेचा गया था ?

†श्री अ० म० थामस : मद्रास, आन्ध्र, केरल तथा मैसूर एक ही जोन में है इसीलिये वहां पर इधर उधर लाने ले जाने पर नियंत्रण नहीं है ।

†श्री मणियंगाडन : क्या केरल में इस समय चावल के मूल्यों तथा पिछले दो वर्षों के इसी अवधि के मूल्यों में कोई अन्तर है ?

†श्री अ० म० थामस : जैसाकि मैंने अभी बताया, बाढ़ तथा अन्य कारणों से साधारण किस्म के चावल के थोक भाव २४-४-० रुपये प्रति मन हो गया था ; परन्तु वह अब २१ रुपये अथवा २२ रुपये हो गया है । पिछले वर्ष भी इस अवधि में भाव २१ रुपये से २२ रुपये तक था ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या यह भी सच है कि ज्यूंही खाद्यान्न व्यापारियों के गोदामों में आते हैं, मूल्य बढ़ जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कुछ नियंत्रण लगा सकती है और व्यापारियों को आदेश दे सकती है कि ५ प्रतिशत से अधिक लाभ न ले ।

†श्री अ० म० थामस : यह वितरण पर नियंत्रण का मामला है । सभा को ज्ञात है कि व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के बारे में रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अग्रिम धन दिये जाने पर नियंत्रण लगाये हुए हैं । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण है ।

हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे पर किराये में वृद्धि

+

†*९१०. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे में १ दिसम्बर, १९६० से रेल किराया बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) कितनी वृद्धि की जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). इन रेलों पर सामान्यतः किराये नहीं बढ़े हैं । परन्तु १-१२-६० से मीट्रिक पद्धति लागू करने के कारण कुछ किराये बढ़े हैं तथा कुछ कम हो गये हैं । ऐसा मीलों के स्थान पर किलोमीटर से हिसाब लगाने के कारण तथा एक आने के स्थान पर ५ नये पैसे से पूरे किराये बनाने के कारण हुआ है । ऊंचे दर्जे में अधिकतम वृद्धि १३ नये पैसे तथा नीचे दर्जे में ८ नये पैसे अधिकतम वृद्धि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : डाक की दरों में छोटी सी वृद्धि भी सभा में बताई जाती है । क्या यह प्रथा नहीं बनाई जा सकती कि जब भी रेलवे की दरें बढ़ाई जायें वह सभा में बताई जायें ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : दरों में वृद्धि नहीं की गई है । यह केवल राशियां पूरी पूरी की गई हैं । कहीं पर हमें हानि हुई है तथा कहीं पर लाभ हुआ है । जैसाकि बताया गया है, दरें नहीं बढ़ाई गई हैं ।

†**श्री सम्पत्** : क्या माननीय मंत्री ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जहां पर किराया कम हुआ है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : अवश्य ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किराये पूरे करने में जो बचता है वह मंत्री अपनी जेब में नहीं रख लेते । वह राज्य का धन हो जाता है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : यह रेलवे मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी एक गैर-सरकारी समवाय की है । उन्होंने अक्तूबर में जब मीट्रिक पद्धति अपनाई तब किराये बढ़ा दिये थे परन्तु अब दिसम्बर में उन्होंने फिर किराये बढ़ा दिये हैं । अधिकतम बढ़ोतरी १३ नये पैसे से कहीं ज्यादा है । बड़ी लाइन से किराये ज्यादा हैं । यह मीटर गेज है । उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड के आदेश पर उन्होंने किराये बढ़ाये हैं । क्या सरकार समवाय को किराये न बढ़ाने के लिये बाध्य करेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : समवाय को यह देखना है कि लाइन ठीक प्रकार से चले । यदि लाइन हानि पर चल रही है तो योग्य प्रबन्ध इसका ध्यान रखेगा कि वह हानि पर नहीं चले ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : इस समवाय में हानि नहीं थी । उन्होंने इस वर्ष अंशधारियों को ८ प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है । वह पुराने इंजनों तथा डिब्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं । यात्रियों को तंग कर रहे हैं तथा बड़ी लाइन के यात्रियों को मिलने वाली सुविधायें अपने यात्रियों को नहीं दे रहे हैं । हम इस लाइन के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं । जब भारत की सभी रेलों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है तब इसी लाइन का अब तक क्यों नहीं हुआ है ।

†**श्री जगजीवन राम** : इस समय छोटी लाइन (नैरो गेज) का राष्ट्रीयकरण करने की नीति नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : गैर-सरकारी समवायों द्वारा चलाई गई छोटी लाइनों के राष्ट्रीयकरण की तथा इन का प्रबन्ध भारतीय रेलों द्वारा लेने की लगातार मांग की जा रही है । भारतीय रेलों से मिलाये जाने के बजाये वह अलग चल रही है और जनता से अधिक धन ले रही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति सम्बन्धी मामला है । माननीय सदस्यों को आय-व्ययक सत्र तक रुकना चाहिये । परन्तु यदि वह तब तक रुकना नहीं चाहते हैं तो उन्हें चर्चा की मांग करनी चाहिये ।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ लाइट रेलों का प्रबन्ध सरकार ने ले लिया है ? ऐसी तो नीति मालूम नहीं होती कि लाइट रेलों का प्रबन्ध सरकार न ले ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये राष्ट्रीयकरण की नीति सामान्य नीति है । किसी विशेष समवाय का प्रबन्ध क्यों नहीं लिया गया है इसके बारे में प्रश्न के समय

---

†मूल अंग्रेजी में

चर्चा नहीं की जा सकती है । माननीय सदस्य ने कहा था कि रेलवे बोर्ड के कहने पर वृद्धि हुई है। मैंने इसीलिये समझा था कि रेलवे सरकारी है। और इसलिये मैं ने कहा था कि माननीय सदस्य अपनी जेब में नहीं रख लेंगे। परन्तु अब पता लगा कि यह एक गैरसरकारी समवाय है और इसलिये माननीय सदस्य यात्रियों की ओर से पूछ सकते हैं कि किराया बहुत ज्यादा है। माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मंत्री महोदय लाइट रेलों पर कोई नियंत्रण रखते हैं ? यदि नियंत्रण है, तो वह किराये में बढ़ोतरी पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि यह बढ़ोतरी रेलवे बोर्ड के आदेशों पर की गई तथा माननीय मंत्री चुप रहे ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया रेलवे बोर्ड ने ठीक समझा कि हानि होने पर वह किराये बढ़ायें। माननीय सदस्य ने बताया कि उन्होंने ८ प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है। मैं इस समय इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : आप ने बताया कि उनको हानि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य हमेशा यह सोचते हैं कि छोटी सी बात पर लम्बी चौड़ी बहस करना शायद एक विशेषाधिकार है। यदि वह चाहते हैं तो इस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। सारे प्रश्न काल में इस पर चर्चा करने के क्या अर्थ हैं ? बड़ी आश्चर्यजनक बात है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरा निवेदन है कि रेलवे समवाय ने जो किराये निश्चित किये हैं उनमें कई स्थानों के किराये बहुत कम हो गये हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ देता हू ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कृपा करके माननीय मंत्री आधे घंटे की चर्चा में बतायें। मैं जानता हूं कि सरकार १९५० से देश की सेवा कर रही है। परन्तु फिर भी कहीं पर कोई कठिनाई हो तो मैं उसके बारे में चर्चा करने को तैयार हूं । माननीय मंत्री ने बताया कि समवाय को कोई हानि तथा लाभ नहीं है। सरकार को स्वयं स्थिति सभा में बतानी चाहिये । मैं समझता हूं कि प्रचार की कमी के कारण जो काम ठीक हो रहे हैं उनके बारे में सन्देह हो जाता है । इस पर आध घंटे की चर्चा होगी ।

हरिद्वार के निकट रेल दुर्घटना

***९११. श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री दो अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में २० मई, १९६० को हुई रेल दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट इस बीच तैयार हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति और उस पर किये गये निर्णयों का एक विवरण टेबल पर रखा जायेगा ; और

(ग) घायल यात्रियों को अब तक कितना प्रतिकर दिया गया है अथवा देने की मंजूरी दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). एक बयान सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हरिद्वार में २० मई, १९६० को जो रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में संयुक्त जांच की रिपोर्ट पर रेल-प्रशासन ने अन्तिम रूप से फैसला कर लिया है। दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई। दोषी कर्मचारियों पर उपयुक्त विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय जांच रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार नहीं है।

जो लोग इस दुर्घटना में ग्रस्त हुये थे उनकी ओर से अभी तक कोई क्षतिपूर्ति के दावे प्राप्त नहीं हुये हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : विवरण में यह बताया गया है कि दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई और उचित विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वह पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : केबिन सिग्नल मैन ने लाइन गलत मिला दी और ड्राइवर तेज रफ्तार से उसको ले गया। केबिन सिग्नल मैन को पाइन्ट्स मैन बना दिया गया है और इंजन ड्राइवर की वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिये रोक दी गई है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम हमेशा सावधानी रखते हैं कि दुर्घटनायें न हों।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि हरिद्वार के निकट परसों रात्रि में भी कोई रेल दुर्घटना हुई है ; यदि हुई है ; तो क्या माननीय मंत्री जी को उसका विवरण प्राप्त हो गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता लगता है कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर नहीं रखी जायेगी। क्या यह संभव नहीं है कि जांच की मुख्य बातें सभा पटल पर रखी जा सकें ? क्या प्रतिकर अभी दिया जायेगा अथवा वह मांगे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रतिकर के दावे नहीं किये गये इस लिये इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवेदन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह एक विभागीय जांच है संविहित जांच, जैसे रेलवे के सरकारी निरीक्षक अथवा जांच आयोग अधिनियम के अधीन, के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : यद्यपि प्रतिकर की कोई मांग नहीं की गई है परन्तु क्या जिन यात्रियों को चोटें लगी हैं उनकी देख रेख रेलवे कर्मचारी कर रहे थे और क्या उन यात्रियों को सरकारी व्यय पर निवास स्थानों पर भेजा गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां। १३ व्यक्तियों के हलकी चोटें आई हैं। उनकी तुरन्त देखभाल की गई और बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई और कलकत्ते में प्रदर्शन-कक्ष

†*६१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भावी देशी निर्माताओं के लाभ के लिये बम्बई और कलकत्ते में जहाजों के साजसामान के प्रदर्शन कक्ष कायम करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जहाज-निर्माण सम्बन्धी सहायक सामान उद्योग समिति ने इस बीच पहले बम्बई में ऐसा प्रदर्शन-कक्ष खोलने के लिये अपनी विस्तृत प्रस्थापना पेश कर दी है और सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना पर होने वाले व्यय का अनमान लगाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : यद्यपि इस योजना पर होने वाले व्यय का बिल्कुल सही अनुमान तो नहीं लगाया किन्तु कुछ स्थूल और मुख्य बातों के बारे में निश्चय किया गया है, जैसा कि समिति ने सिफारिशें की हैं। पहली बात यह है कि इन प्रदर्शशन-कक्षों को केवल संग्रहालय का ही रूप न दिया जाये : दूसरी यह कि उन्हें किसी विशेष सहायक सामान का निर्माण करने वाले आगामी उद्योगपतियों के लिये सलाहकार निकायों के रूप में करना चाहिये, और तीसरी यह कि नौवहन के मुख्य निदेशालय के प्रविधिक विभाग को इस काम में सहायता देनी चाहिये और इस कार्य का सम्पादन करना चाहिये और अन्तिम बात यह है कि इस योजना का वित्तपोषण सरकार द्वारा होना चाहिये ।

मुगलसराय—सहारनपुर सेक्शन में डीजल से रेल चलाना

†*६१३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में मुगलसराय से सहारनपुर तक डीजल से रेल चलाने की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यह कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ;

(ग) योजना के अनुसार इस काम के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है: और

(घ) भाप के इंजन की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर डीजल से रेल चलाने का आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मुगल सराय-सहारनपुर सैक्शन पर माल यातायात की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस सेक्शन पर डीज़ल से सीधी माल गाड़ियां चलाने का विचार है ।

(ग) अनुमान है कि १९६१ के पूर्वार्ध में डीजल इंजिनों की सहायता से कुछ सीधी माल गाडियां चलानी शुरू कर दी जायेंगी ।

(घ) इस सेक्शन पर डीजल इंजनों से रेलगाड़ियां चलाने का निश्चय संचालन-आवश्यकताओं के कारण किया गया है और यातायात में जो वृद्धि हो रही है, उसे भाप -इंजनों से रेल गाडियां चला कर पूरा नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या कलकत्ता के इर्दगिर्द विद्युत् से गाड़ियां चलाने की योजना को मुगलसराय-सहारनपुर सैक्शन पर डीजल रेलगाड़ियां चलाने की याजना पर प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : कलकत्ता डीजल रेल गाड़ियां चलाने में नहीं बल्कि बिजली से रेल गाड़ियां चलाने में प्राथमिकता दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में अकाल

†*६१४ **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपमंत्री ने सितम्बर और अक्तूबर, १९६० के महीनों में आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने अपने दौरे की कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों का दुख दूर करने के लिये उन्होंने कोई तात्कालिक और स्थायी सुरक्षा-उपायों का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). जी हां । राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि सड़कों के निर्माण और मुरम्मत के काम पर मजदूरों को लगा कर दातृ सहायता प्रदान करने पर आने वाले व्यय के रूप में भारत सरकार से जो सहायता उपलब्ध हो सकती है उसका लाभ उठाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य करने चाहिएं :

(एक) लघु सिंचाई-कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो स्थायी परिसम्पद बन जायेगी और दूसरे गांवों में श्रमिकों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त होगा ; और

(दो) खुश्क इलाकों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए, विविध प्रकार की चीज़ों की खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए और उस इलाके में पैदा हो सकने वाले कृषि-जन्य पदार्थों से चीज़ें तैयार करने के कारखाने स्थापित किये जाने चाहिएं ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को १ करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से दिया गया है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस इलाके में बार बार दुर्भिक्ष पड़ता है, उसके लिए राज्य सरकार को किन स्थायी उपायों का सुझाव दिया गया है और मंत्री महोदय इसके लिए कौन से स्थायी उपाय कर रहे हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मंत्रालय के एक विशेषज्ञ को कहा गया है कि वह इस मामले का अध्ययन करके इस इलाके में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की खेती करने और उन लोगों को, जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहते हैं, अन्य लाभप्रद रोजगार मुहैया करने के लिए कुछ स्थायी सहायता कार्यों का सुझाव दे । यदि वर्षा न हो, तो उस अवस्था में भी उनके लिए कुछ काम की व्यवस्था होनी चाहिए । इस बीच हमने राज्य सरकार को कहा है कि वह इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश करे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या रायल सीमा के कुड्डपाह जिले के प्रतिनिधियों ने स्थायी सहायता उपायों के रूप में तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर के दूसरे प्रक्रम और पुलिवेन्टल नहर बनाने के कार्यों का सुझाव दिया है? इस बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जब मैं कुड्डपाह जिले के रायचोटी नामक स्थान पर था तो श्री रामी रेड्डी और जिला परिषद् के सभापति ने मुझे कहा था कि इस इलाके के लोगों की कठिनाइयों को हल करने के लिये तुंगभद्रा नहर के दूसरे प्रक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। हमारे विशेषज्ञ जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें इस बात का भी उल्लेख होगा।

†**श्री रामी रेड्डी :** इन लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमने एक करोड़ रुपये की तात्कालिक सहायता दी है जिसका उपयोग उस इलाके में लघु सिंचाई कार्यों के लिए किया जा सकता है। हमने आन्ध्र सरकार को ५०,००० टन चावल जल्दी ही भेजने का प्रबन्ध किया है। इसके अतिरिक्त २०,००० टन गेहूं भी दिया जायेगा। इस प्रकार वहां पर अनाज का अकाल नहीं है। इसके पश्चात्, वहां पर पर्याप्त वर्षा हुई है और लोग बड़े प्रसन्न हैं तथा वे हमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहते।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या इस विषय में लगभग सभी लोग सहमत हैं कि इस इलाके में सिंचाई सुविधाओं कोव्यवस्था करने की लिए, इस इलाके के गांवों में बिजली लगाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी हां, विशेषकर उनके निर्वाचन-क्षेत्र में। जब मैं मदनपल्ली में था तो वहां के प्रतिनिधियों ने कहा था कि इलाके के ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, वहां पर विशाल सिंचाई परियोजना की सम्भावना नहीं है, वहां पर केवल 'लिफ्ट' (lift) सिंचाई प्रणाली से ही काम हो सकता है और इसके कार्य में विद्युतीकरण से बड़ी सहायता मिल सकती है। यह बात भी हमारी प्रस्थापना का, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, एक भाग होगी।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या इस कार्य के लिए कुछ अनुदान दिया गया है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और हमारे विशेषज्ञ इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या यह सच नहीं कि कुड्डपाह, कुरनूल, अनन्तपुर और चितूर में बिजली की मांग सिंचाई कार्यों के लिए की जा रही है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मैं बता चुका हूं कि रायल सीमा में हर इलाके के गांवों में विद्युतीकरण की आवश्यकता है, किन्तु मदनपल्ली, वयलपाद, पुंगनूर और केलचिर में, जो श्रीमान आपके निर्वाचन-क्षेत्र का भाग हैं, इसकी विशेष आवश्यकता है। यह ऊंचा इलाका है जिसमें नदियां नहीं हैं। इसलिए सिंचाई केवल कुंओं से पानी खींच कर ही हो सकती है और इस तरीके से जमीन को पानी दिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, इसलिए भविष्य में जब मेरे जिले के बारे में कोई प्रश्न आयेगा तो वह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में भी उत्तर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम में सड़कें

†*६१५. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सड़कें बनाने के लिए जिन देशों ने एशिया तथा सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक आयोग के तत्वावधान में एक प्रादेशिक परिवहन संगठन बनाया है, क्या उन में भारत भी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). एशिया और सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के तत्वावधान में आसाम में सड़कें बनाने के लिए प्रादेशिक परिवहन संगठन के निर्माण के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य योजना

†*६१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद्-सदस्यों के लिए खोले गये अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में काफी भीड़ होती है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस बात को देखते हुए कि अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अन्य व्यक्तियों को भी अनुमति होती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन औषधालयों के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री करमरकर** : संसद के सदस्यों के लिए खोले गये तीन औषधालयों में काम इतना नहीं है कि उनके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाये । इन औषधालयों में, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत सामान्य औषधालयों से काम का बोझ बहुत कम है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डल्ली–राझडा-भिलाई लाइन

†*६५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डल्ली-राझडा-भिलाई रेलवे लाइन इस वर्ष वर्षा में फिर टूट गई थी ;

(ख) यदि हां, तो लौह-अयस्क ले जाने वाली गाड़ियां कितने दिनों तक उस लाइन का उपयोग नहीं कर सकीं ; और

(ग) रेलवे को मालभाड़े से और सामान्य उपयोग के लिए लाइन ठीक कराने में अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) लाइन के धंस जाने के कारण तीन बार गाड़ियों को रोकना पड़ा और इन गाड़ियों को कुल मिला कर ९७ घंटे रुकना पड़ा था ।

(ग) लगभग २५,००० रु० और १०,००० रु० ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली योजनाएं

†***८९८. श्री कोडियान :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कुछ बिजली योजनाओं का काम दूसरी पंच वर्षीय योजना समाप्त होने से पहले ही आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को समय से पहले कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल में ऐसी कोई योजना मंजूर की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं और किस ढंग का काम पूरा किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों में कुछ राज्यों में बिजली की सम्भावित कमी का सामना करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कुछ विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य को दूसरी योजना की अवधि में ही शुरू कर देने की मंजूरी दे दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पाम्बा-काक्की जल-विद्युत् योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य ।

रास्ते में माल का नुकसान

†*९००. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री उस्मान अली खां :
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मालभाड़ा जांच समिति की यह सिफारिश मान लेने का निश्चय किया गया है कि रेलवे को रास्ते में माल की कमी या नुकसान की जिम्मेदारी उठानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से यह सिफारिश लागू की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) मौजूदा विधि के अनुसार यातायात के दौरान सामान में आने वाली कमी अथवा उससे पहुंचने वाली क्षति के बारे में रेलवे की स्थिति एक उपनिहिती[1] की है । रेलवे भाड़ा-व्यवस्था जांच समिति की इस सिफारिश को, कि रेलवे को एक सामान्य माल ले जाने वाले के समान जिम्मेवारी उठानी चाहिए, स्वीकार कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bailee

(ख) इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में आवश्यक विधान पेश किया जायेगा और उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

सिंचाई और बिजली परियोजनाएं

†*६०१. **श्रीमती रेणुकाराय :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने समन्वय बोर्ड (कोआर्डिनेशन बोर्ड) की बैठक में यह कहा है कि कई परियोजनाओं का काम शुरू किये जाने से पहले उनके सम्बन्ध में अधूरी छानबीन की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कि यथाशीघ्र पूरी पूरी छानबीन की जाये, क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) मंत्री महोदय ने यह बताया था कि पहली दो योजनाओं में कुछ परियोजनाओं की जांच भली भांति नहीं की गयी थी और राज्य सरकारों द्वारा कई बार सभी आवश्यक कदम उठाने से पहले ही कई योजनाओं पर विचार करने पर जोर दिया गया था ।

(ख) (एक) भारत सरकार के कहने पर लगभग सभी राज्यों में जांच-एकक स्थापित किये जा चुके हैं ।

(दो) राज्यों की योजनाओं में सर्वेक्षण और जांच के लिये अलग रकमों की व्यवस्था की गयी है ।

आसनसोल के पास इस्पात के टुकड़ों (स्टील बिलट्स) का लूटा जाना

†*६०५. **श्री सुविमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अक्तूबर, १९६० को या उसके लगभग आसनसोल के पास माल डिब्बों से इस्पात के टुकड़े (स्टील बिलट्स) लूट लिये गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के इस्पात के टुकड़े लूट लिये गये ;

(ग) क्या रेलवे पुलिस बल के कुछ व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों के साथ साथ गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) पूर्व रेलवे के आसनसोल डिविजन में १९५९ और १९६० में कितने मूल्य के इस्पात के टुकड़े लूटे गये या चुराये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). हीरापुर एक्सचेंज यार्ड से दो खुले माल-डिब्बों से माल चुराने की एक घटना हुई थी। इसमें इस्पात बिलट्स के १०४ टुकड़े चुराये गये थे जिनका मूल्य लगभग ५,००० रु० था। इन टुकड़ों को १३/१४-१०-६० की रात को वहां से ट्रक में लाद कर ले जाया गया। बाद में पुलिस द्वारा १४-१०-६० को ये टुकड़े वसूल कर लिये गये थे।

(ग) जी हां। इस मामले में रेलवे सुरक्षा दल के तीन रक्षकों, तीन अन्य रेलवे कर्मचारियों और एक बाहर के आदमी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(घ) १९५९ और १९६० में आसनसोल डिविजन में इस्पात के टुकड़ों की चोरी की केवल यही एक घटना हुई है।

गोबर से गैस के संयंत्र

†*९०९. **श्री मूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबर से गैस बनाने के संयंत्र के डिजाइन और निर्माण में नवीनतम विकास का इस दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया गया है कि गोबर की खाद परिरक्षित रखी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इच्छुक किसानों द्वारा देश में उक्त संयंत्र लगाये जाने के लिए राज सहायता देने को या अन्य किसी प्रकार उस संयंत्र के व्यापक प्रचार की कोई योजना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) राजसहायता तो नहीं, किन्तु इस्पात आदि के रूप में ऋण देने को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य कृषि वर्कशापों में काम करने वाले अधीक्षकों और कारीगरों के लाभ के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में गोबर-गैस संयंत्र की स्थापना और उसके संचालन के बारे में एक अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है।

मध्य प्रदेश में बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं

†**१७७३. श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में सिंचाई और बिजली की बड़े और मध्यम दर्जे की किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है ; और

(ख) इनपर अनुमानतः कितना व्यय होगा और इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४३]**

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन परियोजनाओं पर लगभग ५६.६८ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

पंच वर्षीय योजना की अवधि में १९५९–६० के अन्त तक मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित मदों के लिए ४१.६५५ करोड़ रु० ऋण दिया है :

१. अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार का कार्यक्रम	००.२१५ करोड़ रु०
२. विद्युत् सुविधाओं का प्रस्तार	००.४०० करोड़ रु०
३. चम्बल . .	२१.००० करोड़ रु०
*४. विविध विकास योजनाएं	२०.०४० करोड़ रु०
जोड़ .	४१.६५५ करोड़ रु०

* इन ऋणों से जिन योजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है उनमें सिंचाई और विद्युत् योजनाएं भी शामिल हैं ।

मनीपुर और त्रिपुरा के गांवों का विद्युतीकरण

†१७७४. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर और त्रिपुरा के जिन गांवों में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक बिजली लगायी गयी है, उनके लिए कितने किलोवाट बिजली मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में मनीपुर में गांवों में, जिनमें इम्फाल नगर भी शामिल है, बिजली लगाने के लिए ६५० किलोवाट बिजली की उत्पादन-क्षमता और बढ़ायी गयी है ।

त्रिपुरा में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रयोजन के लिए ४२५ किलोवाट बिजली की उत्पादन-क्षमता की व्यवस्था की गयी है । इसमें से ३५० किलोवाट बिजली की उत्पत्ति होने लगी है और ७५ किलोवाट बिजली का उत्पादन करने वाले यंत्र लगाये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ के पुलों पर पथ-कर

†१७७५. **श्री सुगन्धि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर स्थित किन्हीं पुलों पर पथ-कर लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित धन-राशि

†१७७६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) यह रकम किन किन शीर्षकों के अन्तर्गत दी गयी; और

(ग) क्या इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति हो गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १४५.०० लाख रु० ।

(ख) यह धन राशि सिंचाई और विद्युत शीर्षक के अन्तर्गत नई दिल्ली की नई बस्तियों और नगरपालिका की वर्तमान सीमाओं के अन्दर बिजली सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये आवंटित की गयी थी।

(ग) अक्तूबर, १९६० तक कुल ११७.८४ लाख रु० व्यय किया गया । वित्तीय तथा कार्यक्रम सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति का व्योरा संलग्न विवरण **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४४]** में दिया गया है ।

तार घर

†**१७७७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में देश भर में कुल कितने नये तार घर खोले गये;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) पंजाब के प्रत्येक जिले में १९५९-६० में कुल कितने तार घर खोले गये; और

(घ) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) १८८ ।

(ख) २०.११ लाख रु० ।

(ग) पंजाब राज्य के जिलों के नाम	**१९५९-६० में खोले गये तारघरों की संख्या**
अम्बाला	५
अमृतसर	१
गुड़गांव	२
हिसार	३
जालन्धर	१
करनाल	१
लुधियाना	१
महिन्द्रगढ़	१
पटियाला	३
जोड़	१८

(घ) १.१६ लाख रु० ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†**१७७८. श्री मो० वे० कृष्णराव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी गोखले समिति की रिपोर्ट के बारे में, आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजी गयी थी, उसके विचार तथा सुझाव प्राप्त हो गये हैं;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५**] संलग्न है, जिसमें ब्यौरा और की गयी कार्यवाही का उल्लेख है ।

उत्तर रेलव पर यात्री सुविधायें

†**१७७९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के पठानकोट-अमृतसर सैक्शन के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने पर १९५९-६० के दौरान कितना व्यय किया गया; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर किस सुविधा की व्यवस्था की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) लगभग २,०७८ रु० ।

(ख)	धारीवाल . .	४ शौचालय
	बटाला	जिस दुकान पर खाने पीने की चीजें बिकती हैं, उसके दरवाजों पर जाली लगाना ।

उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां

†**१७८०. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विभिन्न ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान के रूपमें ५,४८,८०० रु० (इनमें राज्य की सरकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान शामिल नहीं, जिनका समायोजन अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा किया जाता है) दिया गया है ।

चन्द्रप्रभा नहर पर रेलवे पुल का निर्माण

†**१७८१. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर पर नहर पुल के निर्माण के लिए धन की मंजूरी दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : रेलवे विभाग को चन्द्रप्रभा नहर पर नहर पुल बनाने की किसी प्रस्थापना की कोई जानकारी नहीं है । किन्तु गाजीपुर जिले में नहरों को पार करने

†मूल अंग्रेज़ी में

के लिए रेलवे लाइन के नीचे पुल बनाने के लिए सिंचाई विभाग से तीन अलग प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं । इनका व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

१. दिलदारनगर-तारीघाट शाखा लाइन के ४३८/१४-१५ मील पर नागसर छोटी नहर पर पुल । इसके अन्तर्गत २ फुट व्यास के ह्यूम पाइप का जल-द्वार लगाने की व्यवस्था है ।

२. धीना और सकलदिया स्टेशनों के बीच ४५०/२२ मील पर मौजूदा पुल संख्या ४१३ के जरिये धीना छोटी नहर का रास्ता ।

३. तारीघाट शाखा लाइन के ४४३/१५-१६ मील पर तारीघाट सहायक नदी को पार करने का पुल ।

पहला काम हाथ में ले लिया गया है और पूरा होने वाला है जबकि अन्य दो कामों की जांच की जा रही है । इस कार्य का पूरा उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग का है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सड़कों का विकास

†१७८२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने १९६०-६१ में उस राज्य की सड़कों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथों तथा 'अन्य सड़कों' के विकास के लिये १९६०-६१ के लिये आयव्ययक में निम्नलिखित राशियों की व्यवस्था की गयी है :

(१) राष्ट्रीय राजपथ (नये) कार्य	४२ लाख रुपये
(२) राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त अन्य सड़कें	११५ लाख रुपये
कुल	१५७ लाख रुपये

१९६०-६१ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने निम्नलिखित राशियों की व्यवस्था की है :—

(१) राष्ट्रीय राजपथ (नये) कार्य	५०.७४ लाख रुपये
(२) राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त अन्य सड़कें	१८७·०० लाख रुपये
कुल	२३७.७४ लाख रुपये

पुनरीक्षित प्राक्कलन अभी तक विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†१७८३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गयी है?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(१)	१९५९-६० कुल सरकारी खर्च	६,११,७०० रुपये
(२)	१९६०-६१ (अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक)	१,२६,९५९ रुपये

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१७८४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों द्वारा किये गये कितने और किस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये हैं?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १ जनवरी से नवम्बर के अन्त तक फिरोजपुर डिवीजन में २० मामले पकड़े गये हैं जिनका व्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(१) आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक धन का संचय करना;

(२) रिशवत स्वीकार करना;

(३) धोखा देना;

(४) धन का ग़बन;

(५) गलत रिकार्ड दिखाना;

(६) रेलवे पासों और पी०टी०ओ० का अनुचित लाभ उठाना;

(७) रेलवे सामान का अनुचित उपयोग करना;

(८) निर्धारित स्तर से कम स्तर का सामान स्वीकार करना ; और

(९) यात्रियों के सामान को तोलने में रियायत करना;

दिल्ली में लड़की के शव के लिये खोज

†१७८५. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ अगस्त, १९६० को नयी दिल्ली के एक अस्पताल के मृतालय[1] से एक वर्ष की लड़की की जो लाश गायब हो गयी थी, उसकी खोज के सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकला है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). उस लड़की का शव उस अस्पताल के मृतालय से गलती से उन व्यक्तियों द्वारा उठा ली गयी थी जो कि किसी अन्य औरत और उसके

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Morgue.

मृतजात शिशु के शव उठाने के लिये आये थे। जब एक वर्ष की लड़की का पिता उसके शव को लेने के लिये आया तो उस समय यह गलती महसूस की गयी और उस लड़की के शव को वापिस लाने के लिये खोज दल भेजे गये परन्तु तब तक उस लड़की का अन्तिम संस्कार किया जा चुका था।

विमान दुर्घटना

†१७८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त, १९६० को दिल्ली फ्लाइंग क्लब का एक जहाज़ की शाहदरा की प्रह्लाद गढ़ी के निकट कुकर मण्टूर में भूमि पर उतरते-उतरते दुर्घटना हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) १६ अगस्त, १९६० को दिल्ली फ्लाइंग क्लब का 'टाइगर मोथ' विमान वी० टी० डी० एच० यू० को एक प्रशिक्षण उडान के दौरान प्रह्लाद गढ़ी गांव के निकट 'फोर्स लैंडिग' करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप विमान को कुछ मामूली सी क्षति पहुंची है।

(ख) चालक ने यह महसूस किया कि इंजन की शक्ति समाप्त हो रही है, इसलिये उसका 'फोर्स लैंडिंग' करना पड़ा। इंजन की शक्ति की समाप्ति 'सिलैण्डर एग्ज़हास्ट रॉकट आर्म' के खराब हो जाने के कारण हुई थी।

उसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है।

सामुदायिक विकास खंडों में अविकसित वर्गों का विकास[1]

†१७८७. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के अविकसित वर्गों के विकास के लिये खण्ड स्तर पर एक उपसमिति बनाने की योजना पर विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक किसी भी खण्ड में इस प्रकार की कोई समिति बनायी गयी है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जून, १९६० में हुए सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित आदिम जातियों तथा ग्रामीण जनता के अविकसित वर्गों के लिये योजनायें तैयार करने के लिये खण्ड स्तर पर एक उप समिति स्थापित की जाये जिसमें अधिकांश अविकसित वर्गों के ही सदस्य हों। नवम्बर, १९६० में हुई केन्द्रीय स्थानीय स्वायत शासन परिषद् की छटी बैठक में यह सिफारिश की गयी है कि जहां भी आवश्यक और संभव हो सके अविकसित वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में देख भाल करने के लिये पंचायत समितियों की उप समितियां भी स्थापित की जायें। वे सिफारिशें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी।

(ख) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Development of Weaker Sections.

'पुनर्नवा'

†१७८८. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में 'पुनर्नवा' नामक एक भारतीय जड़ी बूटी से आंखों के सभी रोगों के लिये एक अचूक औषधि तैयार की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में इसका अत्यधिक प्रचार हुआ है और उसकी बहुत मांग है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी, नहीं । यह औषधि एक गैर-सरकारी संस्था, आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा बेची जा रही है । केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था का उससे कोई सम्बन्ध नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं ?

दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां

†१७८९. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की २३८ गृह-निर्माण सहकारी समितियों में से कुछ समितियां ऐसी हैं । जिनके न तो कोई नियमित दफ्तर हैं और न ही कोई निश्चित कार्य घण्टे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ एक कुछ वर्ष पुरानी गृह-निर्माण सहकारी समितियां ऐसी हैं जो कि अपने अंशधारियों का न तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है और न ही अपनी वार्षिक बैठकों की कार्यवाही का विवरण भेजती हैं और इस प्रकार से अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में उन्हें अन्धकार में रखती हैं ;

(ग) क्या गृह-निर्माण सहकारी समितियों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपने किसी भी अंशधारी को त्यागपत्र देने की अनुमति देने से इन्कार कर सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह सच है कि कुछ एक गृह-निर्माण सहकारी समितियों के नियमित रूप से कार्यालय तथा निश्चित कार्य घंटे नहीं हैं । परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी इस प्रकार की समितियों के रिकार्ड को अपनी हिफ़ाजत में रखते हैं ।

(ख) जिन समितियों का अच्छा व्यापार होता है वे सामान्यतः अपने एजेन्डा तथा संतुलन-पत्रों को छपाते हैं और अपने सदस्यों को वे चीजें भेज देते हैं, परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एक समितियां ऐसी हैं जोकि अपने सभी अंशधारियों के पास वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा वार्षिक बैठकों की कार्यवाही नहीं भेजते ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उप-विधियों के अधीन कुछ एक निर्धारित शर्तों के अधीन त्याग पत्र न स्वीकार करने के सम्बन्ध में गृह-निर्माण सहकारी समिति को अनुमति प्राप्त है ।

(घ) प्रत्येक समिति के अपनी अलग अलग उप-विधियां हैं, परन्तु सामान्यतया जब तक कोई सदस्य किसी निश्चित अवधि तक किसी समिति का सदस्य नहीं रह लेता, और निर्धारित नीति से त्याग पत्र सम्बन्धी नोटिस नहीं देता या यदि समिति का वह कर्जदार है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के लिये जामिन है जोकि समिति का कर्जदार है, तो उस स्थिति में उस का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता ।

पूर्वोत्तर रेलवे के बाढ़ स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना

†१७९०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ अक्तूबर, १९६० या उस के आसपास किसी और तिथि को पूर्व रेलवे के पटना ज़िले के बाढ़ स्टेशन के निकट दिल्ली आने वाली १३ अप अपर इंडिया एक्सप्रेस को दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए और रेलवे को कितना नुकसान हुआ था ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी रेलवे कर्मचारियों को सज़ा दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह कर्मचारी किस वर्ग का था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । २ अक्तूबर, १९६० को ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की गलती से ।

(ग) कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ । रेलवे को केवल १० रुपयों की क्षति हुई ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीसैलम विद्युत् परियोजना

†१७९१. { **श्री रामी रेड्डी** :
श्री मं० वें० कृष्ण राव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस बीच श्रीसैलम विद्युत् परियोजना पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या उस के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) क्या परियोजना के लिये वित्तीय मंजूरी भी दी जा चुकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल के बागान का संरक्षण

†१७६२. श्री कोडियान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न राज्यों में नारियल के वृक्षों को बीमारियों तथा कीटाणुओं से बचाने के कार्यों पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १७,८४,८६४ रुपये ।

गुना-मक्सी रेलवे लाइन

†१७६३. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री ७ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच गुना-मक्सी रेलवे लाइन के सम्बन्ध में अन्तिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां । रेलवे प्रशासन द्वारा परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलनों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन पर विचार कर लेने और प्राक्कलन के लिये मंजूरी दे देने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कावेरी नदी पर रेलवे पुल

†१७६४. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री ७ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसूर सैक्शन पर श्रृंगपटनम् के निकट कावेरी और दक्षिण कावेरी पर तीन रेलवे पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, १६६० के अन्त तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†रेलवे उपमंत्री (सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं । इन पुलों के लिये पूर्व प्रबलित कांक्रीट के गर्डरों के संभरण के लिये टेण्डरों का अभी अभी फैसला किया गया है और संबंधित फर्म को स्वीकृति पत्र भेजा दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आंध्र प्रदेश में ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†१७६५. श्री रामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश की राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता संबंधी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये आवंटित राशियों में पर्याप्त कमी कर दी गई है ; और यदि हां, तो कितनी कमी की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश के किस किस क्षेत्र में ये योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना (ग्राम्य) के अधीन आन्ध्र प्रदेश की जल संभरण तथा स्वच्छता योजनाओं की कार्यान्विति के लिये अभी तक कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में योजना कार्यान्वित की जा रही है :—

आंध्र प्रक्षेत्र

१. विशाखापटनम जिले के विशाखापटन यूनिट में ।

२. गंटूर जिले के पलनाड यूनिट में ।

३. करनूल जिले के पट्टिकोण्डा यूनिट में ।

४. अनन्तपुर जिले के कादिरी यूनिट में ।

तेलंगाना क्षेत्र

५. हैदराबाद जिले के कट्टेदन यूनिट में ।

६. महबूबनगर जिले के गडवल यूनिट में ।

चावल की नयी किस्में

†१७९६. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के उत्पादन शास्त्र विज्ञों ने चावल की नई किस्मों का विकास और उन की खेती की है ;

(ख) चावल की इन नई किस्मों की खेती से प्राप्त होने वाली फसल पुरानी किस्मों की फसल से कितनी अधिक है ; और

(ग) इन नयी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) इन नई किस्मों से होने वाली फसल पुरानी किस्मों की फसल से २० से २५ प्रतिशत तक अधिक हुई है ।

(ग) विस्तार कर्मचारी काश्तकारों के खेतों में नई किस्मों के बारे में प्रयोगात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं । नई किस्मों के बीज काश्तकारों को बांटे भी जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सड़क निधि

†१७९७. श्री वारियर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को इस आयव्ययक वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के अधीन कुल कितने मील सड़कों की मंजूरी दी गई है ; और

(ग) किस आधार पर इस केन्द्रीय निधि में राशियां विभिन्न राज्यों को आवंटित की जाती हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल सरकार ने अभी तक इस केन्द्रीय सड़क निधि में से कुछ भी राशि इस आयव्ययक वर्ष में नहीं मांगी है। फिर भी इस वर्ष में आवंटित करने के लिये ४९ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में से विभिन्न राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि उस प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है जोकि १९ नवम्बर, १९४७ को भारत की संविधान सभा (विधायी) द्वारा पारित किये गये केन्द्रीय सड़क निधि संकल्प में निर्धारित किया गया था और जिसका संशोधन ८ दिसम्बर, १९४९ को उसी सभा द्वारा और १४ अप्रैल, १९५० को भारत की संसद् द्वारा किया गया था। संक्षेप में निधि के राजस्व की २० प्रतिशत राशि साधारण रिजर्व के रूप में रख दिया जाता है। शेष ८० प्रतिशत राज्यों के "आवंटन सम्बन्धी खाते" में रख दी जाती है। रिजर्व राशि में से धन सामान्यतया अन्तर्राज्यीय महत्व तथा अखिल भारतीय हित की सड़कों की स्वीकृत योजनाओं पर खर्च किया जाता है। 'आवंटन सम्बन्धी खाते' की राशि में से धन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस अनुपात से बांटा जाता है कि सम्बन्धी वित्तीय वर्ष में समाप्त होने वाले पत्री वर्ष में सम्पूर्ण भारत में करारोपित मोटर स्पिरिट (विमानों में इस्तेमाल होने वाली स्पिरिट के अतिरिक्त) की खपत की तुलना में प्रत्येक राज्य में उसकी खपत कितनी हुई है।

खाद्य वस्तुओं पर बिक्री कर

†१७९८. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभागीय भोजनालयों से संभरित की जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर भी बिक्री कर लिया जाता है;

(ख) क्या सभी राज्यों और सभी जोनों में बिक्री कर लिया जाता है; और

(ग) अगर नहीं, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). स्थिति यह है कि कुछ एक राज्य सरकारों ने विभागीय भोजन व्यवस्था संस्थापनों से बिकने वाली खाद्य वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त कर दिया है और कुछ सरकारें बिक्री कर इकट्ठी कर रही हैं और कुछ सरकारें बिक्री कर मांग रही हैं, जहां तक बाद की दो प्रकार की सरकारों का सम्बन्ध है, प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या राज्य सरकारों के बिक्री कर सम्बन्धी नियम उन संस्थापनों पर लागू होते हैं जो कि सीधे ही केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और जो कि बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चलाये जा रहे हैं। अन्य बातों के साथ साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

पंजाब में भूमि का कृष्यकरण

†१७९९. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि पंजाब में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र के कृष्यकरण के लिये सहायता दी जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है और उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). मई, १९६० में पंजाब सरकार ने १२,५०० हरिजनों और काश्तकार श्रमिकों के पुनर्वास के लिये कृषि योग्य व्यर्थ पड़ी हुई १.२५ लाख एकड़ भूमि के कृष्यकरण के सम्बन्ध में एक योजना भेजी थी। उसमें राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में ५० प्रतिशत प्राक्कलित खर्च की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। राज्य सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में १२,५०० परिवारों के पुनर्वास के लिये एक योजना सम्मिलित कर दी गयी है जिस पर लगभग १·६ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का स्वरूप अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

गोदावरी बाढ़ नियंत्रण

†१८००. श्री रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बाढ़ नियन्त्रण बन्द को ऊंचा और पक्का करने के सम्बन्ध में योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ;

(ग) इस योजना की कार्यान्विति से क्या क्या लाभ होने की आशा है; और

(घ) इस समय योजना की किस स्थिति पर विचार किया जा रहा है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग १०८·२६ लाख रुपये।

(ग) वर्तमान सिंचाई साधनों और डेल्टा की बाढ़ से सुरक्षा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश द्वारा इसकी कार्यान्विति का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और ज्ञात हुआ है कि लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

नीदरलैंड से जहाज

†१८०१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीदरलैण्ड से जहाज खरीदने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। नीदरलैंड से जहाज खरीदने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के लिये चीनी का कोटा

†१८०२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये चीनी का कोटा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(ख) इसका वितरण गांव में रहने वाले लोगों में किस प्रकार किया जाता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) दिल्ली में पिछले वर्षों में चीनी की लागत के आधार पर यह कोटा निर्धारित किया जाता है।

(ख) चीनी का कोटा चीनी के लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में चीनी के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है और शहर में रहने वाले और गांवों में रहने वाले लोगों के बीच चीनी का वितरण करने की विधि में भी कोई अन्तर नहीं है।

राष्ट्रीय आहारपुष्टि मंत्रणा समिति

†१८०३. श्री दी० चं० शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आहारपुष्टि मंत्रणा समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकार ने राष्ट्रीय आहारपुष्टि मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का अस्वस्थता-सर्वेक्षण

†१८०४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के अस्वस्थता-सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) अगस्त, १९६० तक प्रत्येक औषधालय के परिवार-कार्डों को क्रमबद्ध करने का कार्य पूरा हो गया था। इनमें से १० चुने हुए औषधालयों के ७००० परिवारों को बिना किसी विशेष आधार के चुन लिया गया है। अक्तूबर, १९६० में हर घर में जाकर जांच करने का कार्य शुरू किया गया था और यह कार्य अभी तक चालू है। इस अस्वस्थता सर्वेक्षण के एक अंग के तौर पर, शिशुओं और बच्चों की शारीरिक वृद्धि का अनुवर्ती अध्ययन करने का काम सितम्बर, १९६० में शुरू किया गया था। अनुमान है कि दिसम्बर, १९६० के मध्य तक यह काम समाप्त हो जायेगा।

(ख) इस सर्वेक्षण का पहला दौर, जिसके अन्तर्गत चुने हुए परिवारों में एक वर्ष के रोगों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जाना है, १९६१ के अन्त तक समाप्त होने का अनुमान है। दूसरा दौर, जिसके अन्तर्गत घर के चारों ओर की स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और एक वर्ष की अनुवर्ती हालतों सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी की जानी है, १९६२ के अन्तर्गत पूरा हो जायेगा।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

†१८०५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या, इस अस्पताल में उपलब्ध पलंगों से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि जहां तक भर्ती होने वाले रोगियों की भीड़ का सम्बन्ध है, दिल्ली के अन्य अस्पतालों की हालत विलिंगडन अस्पताल से अच्छी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय अस्पताल में २४० पलंगों की व्यवस्था है और तीसरी योजना की अवधि में ५०० और पलंगों की धीरे धीरे व्यवस्था करने का विचार है ।

(ग) जहां तक रोगियों की भीड़भाड़ का सम्बन्ध है, दिल्ली के अन्य अस्पतालों की स्थिति भी वैसी ही है ।

कृषि प्रयोजनों के लिये इस्पात

†१८०६. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषकों के लिये निर्धारित इस्पात के कोटे का लाभ उन्हें नहीं होता; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का पता चला है कि लोहे और इस्पात के कृषि-कोटे की सप्लाई अपर्याप्त है और कृषकों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, उसका पूरा लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है । अप्रैल, १९५९ में कलकत्ता में केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुए एक सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया था कि स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं । लोहा और इस्पात नियंत्रक, राज्यों के प्रतिनिधियों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था । सम्मेलन ने अन्य बातों के इलावा इस बात की भी सिफारिश की थी कि कृषि-कोटे पर किये जाने वाले लोहे और इस्पात के सम्भरण की स्थिति में सुधार करने के लिए, इस कार्य को उच्च-प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस सिफारिश को इस बीच स्वीकार कर लिया गया है और कृषि-कार्यों के लिए जिन चीज़ों की अत्यन्त आवश्यकता है, उन्हें इस 'अत्यावश्यक' प्राथमिकता में शामिल कर लिया गया है ।

इस बात की भी सिफारिश की गयी थी कि राज्यों में कृषि विभागों के एक अधिकारी को लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत इस्पात और लोहे के कृषि-कोटे सम्बन्धी कार्यों का संचालन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उस अधिकारी को यह देखना चाहिए कि कृषि-कोटे का उपयोग कृषि-प्रयोजनों के लिए ही हो । इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और अधिकांश राज्य सरकारें इसे क्रियान्वित कर रही हैं । अनुमान है कि अब कृषकों को उनके लिए निर्धारित लोहे और इस्पात के कोटे का पूरा लाभ प्राप्त होगा ।

नये रेलवे इंजन

†१८०७. श्री आचार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने १९५८–५९ और १९५९–६० में कुल कितने नये रेलवे इंजनों को काम पर लगाया;

(ख) प्रत्येक जोनल रेलवे को कुल कितने इंजन अलाट किये गये; और

(ग) यह आवंटन किस आधार पर किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६] संलग्न है ।

(ग) यह आवंटन प्रत्येक जोनल रेलवे को उनकी अतिरिक्त यातायात सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने तथा अवस्थातीत इंजनों को बदलने की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है ।

कृषि-क्षेत्र

†१८०८. { श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय कुल बीजे गये क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जिसकी सिंचाई हो सकती है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं की समाप्ति के पश्चात् यह क्षेत्र कितने प्रतिशत होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७] संलग्न है, जिसमें यह जानकारी दी गयी है कि वर्ष १९५६–५७ में कुल कितने क्षेत्र में बिजाई हुई और कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा बिजाई वाले क्षेत्र के अनुपात में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है ।

(ख) प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में चालू की गयी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना की समाप्ति और पूर्ण विकास पर लगभग ३.८५१ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जल-निस्सारण

†१८०९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में जल-निस्सारण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक योजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गयी त्रि-सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काश्मीर में हैजा

†१८१०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर और नवम्बर, १९६० में काश्मीर में हैजे से कितने व्यक्ति मर गये और राज्य के हैजा-पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : २० अक्तूबर से १६ नवम्बर, १६६० तक की अवधि में जम्मू तथा काश्मीर में हैजे से ४६० व्यक्तियों के मर जाने का समाचार मिला है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अनुरोध पर केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली ने राज्य सरकार को हैजे के ८,००,००० सी सी टीके मुहैया किये ।

केरल के लिये डाक सर्किल

†१८११. { श्री कोडियान :
श्री मणियंगाडन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल के लिए एक अलग डाक सर्किल बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

लौह-अयस्क के निर्यात के लिये बन्दरगाह

†१८१२. श्री आचार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूमानिया इटली ने अपना यह विचार प्रकट किया है कि वे जो लौह-अयस्क चाहते हैं, उसे वे भारत के पश्चिमी तट की किसी बन्दरगाह से उठाने को प्राथमिकता देंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : रोम में स्थित हमारे राजदूतावास से यह सूचना प्राप्त हुई है कि इटली वाले भारत के पश्चिमी तट की एक मुख्य बन्दरगाह से दीर्घकालीन आधार पर घटिया किस्म के ५ लाख टन लौह-अयस्क की खरीद के बारे में बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने के लिए उत्सुक हैं ।

बढ़िया किस्म के ५ लाख टन लौह-अयस्क की १० से १५ वर्ष की अवधि के लिए खरीद करने के वास्ते बातचीत करने के लिए रूमानिया का एक शिष्टमंडल शीघ्र ही दिल्ली आने वाला है । रूमानिया वालों ने अभी किसी विशेष खनन क्षेत्र के बारे में अपनी प्राथमिकता का कोई संकेत नहीं दिया किन्तु उन्होंने भारत से उनके देश तक के भाड़े को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि वे पश्चिम तट से सप्लाई प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे ।

रेलवे समितियां

†१८१३. श्री अरविन्द घोषाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की निम्नलिखित निकायों के सदस्य कर्मचारियों द्वारा चुने जाते हैं अथवा संगठित संघों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं :—

(१) श्रम कल्याण सलाहकार समितियां; (२) कर्मचारी सहायता निधि प्रबन्ध समितियां;
(३) उत्पादकता परिषदें (४) क्वार्टर समितियां; और (५) अस्पताल निरीक्षण समितियां;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इनके गठन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) (१) इन समितियों में, जिन्हें 'कल्याण-कार्य सलाहकार समिति' कहा जाता है, कर्मचारियों के छ: प्रतिनिधियों में से चार व्यक्ति मान्यताप्राप्त संघों के प्रतिनिधि हैं और दो रेलवे प्रशासन द्वारा मनोनीत हैं; (२) कर्मचारियों के दस प्रतिनिधियों में से छ: मान्यता प्राप्त संघों के हैं और शेष चार प्रतिनिधि केन्द्रीय कर्मचारी परिषद् द्वारा निर्वाचित होते हैं; (३) उत्पादकता परिषदों में कर्मचारियों के सभी प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा मनोनीत होते हैं; (४) और (५) विभिन्न रेलों में, इन समितियों के गठन के बारे में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक रेलवे इनका गठन अपने विवेकानुसार करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी

†१८१४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डिवीजनल इंजीनियर, टेलीग्राफ, त्रिचूर और सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल टेलीग्राफ्स, कोचीन के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को, दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी आदेश के अनुसार मिलने वाली बकाया राशि दी जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बकाया राशि अभी तक क्यों अदा नहीं की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं। अधिकांश कर्मचारियों को बकाया राशि अदा की जा चुकी है।

(ख) 'टास्क वर्क मैसेंजरों' के पुनरीक्षित वेतन-क्रमों को 'टास्क वर्क' आय के साथ जोड़ने के विषय पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस के तय हो जाने के बाद, सुपरिन्टेन्डेंट, सेंट्रल टेलीग्राफ्स, कोचीन के अधीन काम करने वाले 'टास्क वर्क मैसंजरर्स' की बकाया राशियों को निकालने का प्रश्न हाथ में लिया जायेगा। जहां तक दूसरे पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, बकाया रकमें देने का काम जारी है।

पूर्ण वित्त योजना[1]

†१८१५. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य द्वारा तैयार की गई "पूर्ण वित्त योजना" के ब्योरे के बारे में पूछताछ की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि अन्य राज्यों को भी यह योजना लागू करनी चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Full Finance Scheme.

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास द्वारा स्वीकृत योजना की मुख्य विशेषताओं की जानकारी देने वाला एक नोट [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८] संलग्न है ।

(ग) यह योजना मद्रास के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में लागू की जा रही है और अभी उसके परिणामों का विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया । पता लगा है कि मद्रास सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । इस समिति की रिपोर्ट की बारीक जांच करने के पश्चात् ही इस बात का फैसला किया जायेगा कि क्या अन्य राज्यों को इस योजना को लागू करने के लिये कहा जाये ।

२. भारत सरकार ने ४ अक्तूबर, १९६० को, सहकारी ऋण के बारे में मेहता कमेटी की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसार सहकारिता सम्बन्धी नीति के बारे में, राज्य सरकारों को अपने निश्चयों की सूचना दी है । इन नीति सम्बन्धी निश्चयों में 'विशेष अशोध्य ऋण रक्षित निधि' कायम करने के उद्देश्य से प्राथमिक सहकारी समितियों को सीधे अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है और यदि राज्य सरकार इस नीति का, जिसकी उसे सूचना दी गयी है, पालन करेगी तो मद्रास की योजना का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा ।

अम्बाला छावनी स्टेशन की घटना

†१८१६. श्री मोहन नायक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ नवम्बर, १९६० को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक यात्री पागल हो गया और उसने अपनी कृपाण से बहुत से लोगों को जख्मी कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो कितने रेलवे कर्मचारी घायल हुये ;

(ग) कितने यात्री घायल हुये ; और

(घ) रेलवे विभाग इन पीड़ितों को क्या क्षतिपूर्ति दे रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । १८ नवम्बर, १९६० को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक आदमी पागल हो उठा और उसने अपनी कृपाण से १६ व्यक्तियों को घायल कर दिया ।

(ख) और (ग). ५ रेलवे कर्मचारी और ११ यात्री ।

(घ) केवल एक रेलवे कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा । उसके अस्पताल से छूटने के बाद जब यह पता चल जायेगा कि वह शारीरिक रूप से कितना पंगु हुआ है, तभी उसे क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । इस बीच उसके परिवार को अनुग्रह के रूप में २०० रु० दिया गया है ताकि उस के उपचार से सम्बन्धित अविलम्बनीय व्यय पूरा किया जा सके तथा श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत अर्ध-मासिक अदायगी की व्यवस्था भी की गयी है ।

रेलवे भूमि

†१८१७. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न, पशुओं के चारे अथवा ईंधन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से रेल-मार्गों के साथ साथ खाली पड़ी हुई विशाल भूमि को कृषि-कार्यों के लिये प्रयोग में लाने की कोई योजनायें तैयार की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार रेल-मार्गों के साथ के क्षेत्रों में पशु चराने, वृक्षारोपण करने अथवा वृक्ष काटने के अधिकारों के बारे में नीलामी करती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे की फालतू भूमि को, जो कृषि योग्य होती है और जिसकी रेलवे को तत्काल आवश्यकता नहीं होती, राज्य सरकारों को दे दिया जाता है ताकि वे उन्हें 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के सिलसिले में अन्न उपजाने के लिये कृषकों को लाइसेंस पर दे दें। इसके अतिरिक्त, रेलवे प्रशासन को ये हिदायतें भी दी गयी हैं कि वे रेलवे की ऐसी फालतू भूमि को, जो कृषि योग्य नहीं है, वृक्षारोपण के लिये राज्य सरकारों को दे दिया जाये ।

(ख) और (ग) रेलवे विभाग यह अनुमति नहीं देता कि रेलवे की फालतू भूमि पर पशु चराये जायें, किन्तु प्रति वर्ष घास काटने और उठाने के लिये नीलामी की जाती है। इसी प्रकार वृक्षों के फलों की भी नीलामी की जाती है । सूख चुके वृक्षों को या तो नीलाम किया जाता है अथवा बेच दिया जाता है । रेलवे भूमि पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को वृक्ष उगाने के अधिकार नहीं दिये जाते ।

दलन स्टेशन

†१८१८. { श्री भोलानाथ विश्वास :
श्री क० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलन स्टेशन पर स्त्रियों के लिये भी कोई प्रतीक्षा-कक्ष नहीं बनाया गया ; और

(ख) क्या वहां पर एक रेलवे बस्ती बनाने के साथ साथ स्टेशन के पुनर्निर्माण की भी कोई प्रस्थापना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस स्टेशन पर महिलाओं के लिये अलग प्रतीक्षा-कक्ष की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

कृमि-नाश

†१८१९. श्री तंगामणि : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि कीड़ों के नाश के लिये कृमि-नाशक दवाइयों का सम्भरण सामुदायिक विकास अभिकरण की मार्फत किया जाये और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में इन सुझावों पर पालन हो रहा है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राज्यों के कृषि विभाग पौधों की सुरक्षा करने के अपने कार्य के एक भाग के रूप में कृमि-नाशक दवाइयों के संभरण की सुविधायें प्रदान करते हैं। यद्यपि विभिन्न राज्यों में यह कार्य विभिन्न अभिकरणों की मार्फत किया जाता है, पर सामुदायिक विकसा अभिकरण भी विस्तार-कार्य सम्बन्धी अपने कर्तव्यों के भाग के रूप में इस कार्य का सम्पादन करते हैं। जहां आवश्यकता होती है, वहां केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार का पथ-प्रदर्शन करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अधिकांश राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सुझावों का अनुसरण करती हैं ।

रेलवे में भूतपूर्व सैनिक

†१८२०. **श्री मणियंगाडन** : क्या रेलवे मंत्री प्रतिरक्षा विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को खपाने के बारे में १ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में काम करने वाले उन व्यक्तियों को सहायता देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है जिनको प्रतिरक्षा सेवाओं में मिलने वाले वेतन से कम वेतन मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया था और यह तय किया गया कि जहां एक भूतपूर्व कर्मचारी को रेलवे में उसी वेतन-स्तर पर नहीं रखा गया है जो वह प्रतिरक्षा विभाग में ले रहा था, उनके वेतन को संरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय उद्योग के लिये अमोनियम सल्फेट

†१८२१. **श्री र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०—६१ के लिये चाय उद्योग को अमोनियम सल्फेट देने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या चाय उद्योग की पूरी आवश्यकता को पूरा किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चाय उद्योग को इसके बदले में कोई और वस्तु देने का है ताकि वे अपना उत्पादन बनाये रखें ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अब तक निम्नलिखित मात्रा दी गयी है :

(१) पूर्वोत्तर भारत में चाय उद्योग	५३,४६८ टन
(२) दक्षिण भारत में चाय उद्योग	१६,६७५ टन

(ख) जी, नहीं । सामान्य कमी को देखते हुए, चाय उद्योग और अन्य उपभोक्ताओं की पूरी आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है । तथापि, चाय उद्योग की मांग को अधिकाधिक पूरा किया जाता है ।

(ग) पूर्वोत्तर भारत चाय उद्योग के लिये नाइट्रोजन के आधार पर १६,१६१ टन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और ९१८ टन यूरिया जो कि २३,०७० टन अमोनियम सल्फेट के बराबर है, दिया गया है । दक्षिण भारत चाय बागान के लिये नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :

(१) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	२२५० टन
(२) यूरिया	२००० टन
(३) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	१००० टन

चाय बागानों को और संभरण करने पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सड़क परियोजनायें

†१८२२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सड़क परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सड़क निधि की वित्तीय सहायता से पंजाब में बनाने के लिये मंजूर किया गया था ; और

(ख) अब तक इनमें से कितनी परियोजनायें पूरी हो गयी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) परियोजना पर कार्य, जो कि पंजाब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, प्रगति पर है । परन्तु अभी तक कोई परियोजना पूरी नहीं हुई है ।

चलती फिरती डाक सेवायें

†१८२३. **श्री इ० मधुसूदन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां चलती फिरती डाक सेवाओं की व्यवस्था है ; और

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और नागपुर ।

(ख) इस समय इस सेवा को किसी अन्य स्थान पर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे रियायत

†१८२४. **श्री वारियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को केरल राज्य की मालाबार की हज यात्री समिति से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि केरल से बम्बई तक रेलवे में विशेष रियायत और स्थान दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (ख). रियायत के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है : मार्च, १९६१ में कन्नानूर से बम्बई तक मालाबार के हज यात्रियों के लिये एक विशेष सवारी डिब्बे की व्यवस्था के लिये दक्षिण रेलवे को एक प्रार्थना प्राप्त हुई है जिस पर वे विचार कर रहे हैं ।

अनाज की दुकानों के भूतपूर्व कर्मचारी

†१८२५. { **श्री हो० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवा में लगाने और उनकी वरिष्ठता

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्धारित करने के बारे में पूर्व रेलवे की अनाज की दुकानों के भूतपूर्व कर्मचारियों के मामले में पुनरीक्षित आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : विषय अभी विचाराधीन है ।

मध्य रेलवे पर परीछा स्टेशन के पास रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†**१८२६. श्री सूर्य प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६० के दूसरे सप्ताह में मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर सेक्शन पर परीछा स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई और गाड़ी के पटरी से उतरने का क्या कारण था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । १२ अक्तूबर १९६० को ।

(ख) लगभग छः सौ रुपये । यह मालगाड़ी रेलवे कर्मचारियों की गलती से पटरी से उतरी ।

जाली टिकट

१८२७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद और कलकत्ता में मुद्रणालयों द्वारा जाली टिकट छापने की जिन वारदातों का पता चला था वह अब किस स्थिति में है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : ये मामले अभी अदालत में चल रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में बड़ी सिंचाई योजनायें

†**१८२८. श्री शि० न० रामोल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महासू और सिरमूर जिलों में कितनी बड़ी सिंचाई योजनायें (५०,००० रुपये से ऊपर की) आरम्भ की है;

(ख) उन योजनाओं के क्या नाम हैं और वे किन स्थानों पर हैं ;

(ग) अभी तक उनमें से कितनी योजनायें सफलतापूर्वक पूरी हो गयी हैं ; और

(घ) शेष योजनाओं के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हिमाचल प्रदेश में बड़ी और बीच के दर्जे की कोई सिंचाई योजनायें नहीं हैं । १० लाख रुपये से कम लागत वाली योजनायें छोटी सिंचाई योजनायें हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

यमुना नदी पर पुल

†**१८२९. श्री शि० ना० रामौल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमूर में रोहरू—राजबन सड़क पर यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण, जो निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में था, स्थगित कर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी, नहीं। प्रयोगात्मक छिद्रण कार्य पूरा हो गया है। पुल के निर्माण के लिये लागत का प्राक्कलन प्राप्त हो गया है और उसको शीघ्र ही मंजूर किये जाने की आशा है।

मीठापुर और ओखा के बीच विमान-सम्पर्क

†१८३०. **श्री क० उ० परमार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीठापुर और ओखा के बीच विमान-सम्पर्क पुनः स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

† **असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्मारक डाक टिकट

†१८३१. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में पंजाब के किसी महान व्यक्ति की स्मृति में कोई स्मारक डाक टिकट जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब जारी किये गये हैं और किस व्यक्ति की स्मृति में जारी किये गये हैं ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली का केंद्रीय तार घर

†१८३२. **श्री माने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६० में निम्नलिखित कारणों से नई दिल्ली के केन्द्रीय तार घर में कुल कितने घंटे कार्य रुका रहा :

(१) तूफान और चक्रवात ;

(२) मशीन की खराबी ;

(३) 'कैरियर' अथवा 'वी० एफ० टी०' उपकरण की खराबी ; और

(४) अनुभवी प्रविधिक कर्मचारियों की कमी ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भाग (१), (२) और (३) के कारण काम का रुकना अधिक हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो काम रुकने की घटनाओं में कमी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

† **परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (१). शून्य ।

(२) ३७१ घंटे ।

(३) उपकरणों की खराबी के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । उपकरणों और लाइन की खराबी के कारण काम ८२४३ घंटे रुका रहा जिसमें लाइन की खराबी का मुख्य भाग है । सर्किल के घंटों की कुल संख्या ९३,००० है ।

(४) अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण काम के रुकने के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता परन्तु सामान्यतया इस प्रकार काम नहीं रुकता है क्योंकि प्रविधिक कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली का केंद्रीय तार घर

†१८३३. **श्री माने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के केन्द्रीय तार घर में कितने विभागीय प्रशिक्षित कर्मचारी नियोजित हैं ;

(ख) उसी कार्यालय में गैर-विभागीय और सेवा निवृत्ति की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी कितने हैं ;

(ग) वर्ष १९५९–६० में समय के अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगाये रहने पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गयी और उसी अवधि में कुल कितने घंटे अधिक (ओवर टाइम) काम हुआ ; और

(घ) समय के अतिरिक्त (ओवर टाइम) व्यय को किये बगैर सरकार ने पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित कर्मचारी काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १-११-६० को ११०९ (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी)

(ख) १-११-६० को ९० ।

(ग) (१) ओवर टाइम पर किया गया व्यय---२,०५,८४५.३१ रुपये (२) ओवर टाइम काम के घंटे--३,२०,४५३ घंटे

(घ) विभाग की यह नीति है कि कर्मचारियों को ओवर टाइम काम पर लगा कर यातायात में यकायक वृद्धि को पूरा किया जाये क्योंकि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है । ओवर टाइम व्यय यातायात में यकायक वृद्धि, कर्मचारियों की अनुपस्थिति, मार्गों की खराबी के कारण और कर्मचारियों की कमी के कारण यातायात का इकट्ठा हो जाने के कारण करना पड़ता है । विभाग पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और सामान्य यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये छुट्टी के लिये रिज़र्व व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्यों में सड़क परिवहन सेवाओं के लिये ऋण

†१८३४. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर निम्न-लिखित रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक राज्यों में सड़क परिवहन सेवाओं के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदान और ऋण की राज्यवार सूची ;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है और भुगतान की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) किस राज्य ने कितने ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक किसी भी राज्य सरकार को सड़क परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया गया । तथापि, इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अग्रिम योजना के अधीन एक सहकारी समिति स्थापित करने के लिये मार्च, १९६० में केरल सरकार को ३ लाख रुपये का ऋण दिया गया है । योजना आयोग इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने को सहमत हो गया है ।

(ख) केरल सरकार को प्रतिवर्ष ३ ५/८ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया गया है और वह कम से कम निम्नलिखित दरों पर वापस किया जायेगा :

प्रथम वर्ष	१५ प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	१५ प्रतिशत
तृतीय वर्ष	२५ प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	२५ प्रतिशत
पंचम वर्ष	२० प्रतिशत

ब्याज रकम पृथक रूप से प्रतिवर्ष देनी है ।

(ग) अभी तक केरल सरकार ने मूल रकम में से किसी रकम का भी पुनर्भुगतान नहीं किया है ।

दिल्ली के चिड़ियाघर के लिये सफेद शेर

†१८३५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय चिड़ियाघर, नई दिल्ली में रखने के लिये रीवा के महाराजा से सफेद शेर लेने के लिये विभिन्न व्यक्तियों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में महाराजा से कहा गया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) किसी व्यक्ति से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई कि सफेद शेर को लेकर दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा जाये ।

(ख) और (ग). क्योंकि सफेद शेर की बहुत कमी है, हम दिल्ली के चिड़ियाघर के लिये एक जोड़ा प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी

†१८३६. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन पट्टाधारी, मेसर्ज़ पी० सी० राय एंड कम्पनी लिमिटेड के डिपो में उत्तर अन्दमान में काफ़ी समय से ७,००० टन लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं और इस कम्पनी ने पिछले छः महीने से कोई माल नहीं भेजा है ;

(ख) ऐसे मामलों में रायल्टी (स्वामिस्व) के भुगतान के बारे में पट्टे के करार में क्या व्यवस्था है जहां निकाली गई इमारती लकड़ी पट्टेधारी के डिपो में पड़ी रहे और काफ़ी समय तक वह भेजी न जाये ; और

(ग) खराब और बेकार हुई इमारती लकड़ी पर रायल्टी की हानि को कौन वहन करेगा और यदि कम्पनी उचित समय में इमारती लकड़ी का निर्यात नहीं करती, तो क्या सरकार पट्टेधारी कम्पनी से अपनी रायल्टी का दावा कर सकती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे मामलों में जहां इमारती लकड़ी लाइसेंसधारी की डिपो में पड़ी रहे और काफी समय पर भेजी न जाये, स्वामिस्व के भुगतान के लिये कम्पनी के साथ करार में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है । परन्तु कम्पनी की गलती से इमारती लकड़ी की क्षति के मामले में वे हानि देने के जिम्मेवार हैं, हानि का अनुमान खराब हुई मात्रा पर दी जाने वाली रायल्टी के आधार पर तय होगा ।

(ग) यदि लाइसेंसधारी की गलती से किसी इमारती लकड़ी की हानि होती है, तो इस हानि के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेवार होगा। ऐसी नगण्यता के लिये हानि का अनुमान उस रायल्टी से होगा जोकि खराब हुए सामान पर दी जाती । जब मंत्रालय को यह पता चला कि कम्पनी ने अपने डिपो में रखे माल को कुछ समय से नहीं भेजा है और वह खराब हो रहा है, तो उनको सूचित किया गया कि इस हानि की जिम्मेवारी केवल उन पर होगी और सरकार उनसे लाइसेंस के करार की शर्तों के अनुसार इस इमारती लकड़ी पर देय रायल्टी लेने की हकदार है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरूआ** (गोहाटी) : मैंने दादरा और नागर हवेली को भारतीय क्षेत्र में मिलाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसके बारे में आप ने बताया था कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव का नहीं है । परन्तु अब कुछ और नई बातें हो गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने यह बार बार बताया है कि जब मैं किसी स्थगन प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं तो माननीय सदस्यों को उसे नहीं उठाना चाहिये । यदि वह ऐसा करते हैं तो अनुमति न देने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है । इसलिये जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, यदि माननीय सदस्य मेरे निर्णय से असंतुष्ट हों तो मेरे पास आयें और मुझे उस स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट करें । यदि मैं संतुष्ट हो गया तो उसे यहां उठाने की अनुमति दे दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ को अवैध घोषित करने के निर्णय के बारे में सर्वश्री बनर्जी, जाधव, ब्रजराज सिंह तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। पहले मैं समझता था कि यह राज्य का विषय है परन्तु माननीय सदस्य श्री ब्रजराज सिंह ने मुझे लिखा कि इस उप-कर में कुछ धनराशि ऐसी है जिस पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है। इस के बारे में वह एक प्रश्न पूछना चाहते थे। उनका क्या प्रश्न है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : सरकार चीनी के बारे में कारखाने के मूल्यों को निर्धारित करती है। इन मूल्यों में गन्ने पर ३ आने प्रतिमन की दर से लगाया गया उप-कर भी शामिल होता है जो यू० पी० सरकार द्वारा लगाया जाता है इस प्रकार एक मन चीनी पर यह उप-कर २ रुपये होता है। गन्ने पर उप-कर १९५४ से लगाया जाता रहा है और बाद में १९५६ में यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने कल ही अवैध ठहराया है इसलिये केन्द्रीय सरकार को कम से कम यह देखना चाहिये कि चीनी के बारे में कारखाने के मूल्य २ रुपये प्रतिमन कम हों। ऐसा करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : 'स्टेट्समैन' में यह फ़ैसला छपा है ; इस में कहा गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम को पारित करने के लिये सक्षम नहीं थी इसलिये अब केन्द्र-सरकार को इसके बारे में कोई अधिनियम बनाना होगा।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह राज्य का अधिनियम है और इस को विधि न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध ठहरा दिया है। भारत सरकार का इससे यह सम्बन्ध है कि प्रशुल्क आयोग ने कारखाने के मूल्य निर्धारित करते समय इसको, जो प्रतिमन चीनी पर २ रुपये आता है, उस मूल्य में जोड़ दिया था। इस प्रकार भारत सरकार की जिम्मेदारी अब अप्रत्यक्ष रूप से आ जाती है।

चीज़ यह है कि निर्णय कल ही दिया है। हम राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं कि इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ? उपकर प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये आता है। इस प्रकार यह दो अथवा तीन वर्षों का १० अथवा १५ करोड़ रुपये हो जाता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : २५ करोड़ रुपये।

†**श्री स० का० पाटिल** : संभव है। यह उप-कर उपभोक्ताओं से मूल्य के ज़रिये वसूल किया जाता है और इस प्रकार भी हमारा इससे सम्बन्ध हो जाता है। परन्तु जब सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है तब स्थगन प्रस्ताव का विषय इसको कैसे बनाया जा सकता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यह धन किसी और के पास जाये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि माननीय मंत्री कोई ऐसा उपाय करें जिससे यह २५ करोड़ रुपया जो उपभोक्ताओं से वसूल किया गया है, कारखानों से वसूल हो। मैं स्थगन प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० का० पाटिल** : हम भी वही करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं। भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकार कोई कानूनी कार्यवाही अवश्य करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना बहुत साधारण सी बात समझी जाने लगी है। यह अनुचित बात है। उच्चतम न्यायालय ने कल ही अधिनियम को अवैध घोषित किया है। हमें विचार करने के लिये माननीय मंत्री को समय देना चाहिये।

मामलों को उठाने के कितने ही तरीके हैं। मैं भी इस बारे में सुझाव देता रहता हूं। परन्तु फिर भी हर मामले के लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं। यह ठीक नहीं है। हमें इस प्रकार के कामों से संसद् की प्रतिष्ठा समाप्त नहीं कर देनी चाहिये। स्थगन प्रस्ताव का विषय गंभीर होना चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं विमान निगम अधिनियम १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९५९-६० के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन।

(२) वर्ष १९५९-६० के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२५३४/६०, २५३५/६०]

गन्ना नियंत्रण (पांडीचेरी राज्य) आदेश

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ नवम्बर, १९६० को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५९ में प्रकाशित गन्ना नियंत्रण (पांडिचेरी राज्य) आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२५३७/६०]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** : (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ एकवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के उनसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ एकवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, १९४६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कल की चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी श्रमिकों के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर विचार किये बिना अपना निर्णय दे देते हैं। ऐसा नहीं है। प्रमाणित करने वाले अधिकारी के सामने श्रमिकों के प्रतिनिधि रहते हैं और वे अपने सुझाव देते हैं जिन पर भली प्रकार विचार किया जाता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके अतिरिक्त उन्हें अपील करने का अधिकार भी प्राप्त है। फिर श्रमिक संघ धारा १० (२) के अन्तर्गत संपरिवर्तन के लिए भी कह सकते हैं। यह भी कहा गया कि साधारणत: नियोजक श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही, संघ को श्रमिकों का बचाव करने के लिए प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने का अवसर दिये बिना ही, करते रहते हैं। यह एक अभ्यास बन गया है। श्रमिकों के प्रतिनिधि अनुशासन की कार्यवाही से सम्बन्धित जांच के दौरान उनका बचाव कर सकते हैं। स्थायी आदेशों का तात्पर्य अच्छे तथा अनुशासन का पालन करने वाले श्रमिकों की रक्षा करना है। जो लोग उपद्रव करने के लिये कटिबद्ध हैं उनके विरुद्ध तो समुचित कार्यवाही की ही जानी चाहिए। इस देश में कार्मिक संघ अब काफी संगठित हो गये हैं और यह श्रमिकों की रक्षा का सर्वोत्तम साधन है। मैं समझता हूं कि मैंने समस्त आवश्यक प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २---(धारा १ का संशोधन)

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा** (निमाड़) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान्, मेरे अमेंडमेंट में मैंने पहली बात तो यह निवेदन की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट के अन्दर जब यह प्रकाशित कर दिया जाये तो एक साथ सभी जगह वह अमल में आना चाहिए। जब हम इसको स्वीकृति दे देते हैं और इसको कानून का रूप दे देते हैं उस हालत में अलग अलग गवर्नमेंटें अलग अलग प्रदेशों के अन्दर अलग अलग तिथियों को इसको अमल में लायें, इसके बजाये मेरा निवेदन यह है कि इसको एक साथ सब जगह अमल में लाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १६ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"or to any industrial establishment to which the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Workmen (Standing Orders) Act, 1959 apply."

["अथवा किसी भी ऐसी औद्योगिक स्थापना पर, जिस पर मध्य प्रदेश औद्योगिक कर्मचारी (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६५६ के उपबन्ध लागू होते हैं ।"]

माननीय सदस्य का शायद यह खयाल है कि जिस तरह दूसरे कायदों में होता है कि पार्लियामेंट में पास होने और प्रेसीडेंट की स्वीकृति के बाद कुछ वक्त लिया जाता और गजट में उसका ऐलान हो जाने के बाद कायदे अमल में आते हैं । लेकिन इसमें वैसा नहीं है । यह तो यहां से पास होने के बाद और स्वीकृति मिल जाने के बाद फौरन अमल में आ जायेगा । इसलिए गजट में कोई तारीख, जिस तारीख से अमल में आये, उसका ऐलान नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्य ने यह सूचना पेश की है उसकी गुंजाइश यहां है ही नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य के संशोधन पर मतदान लिया जाये ?

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा :** मैं वापस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १६ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"or to any industrial establishment to which the provisions Madhya Pradesh Industrial Work of the men (Standing Orders) Act, 1959, apply."

["अथवा किसी भी ऐसी औद्योगिक स्थापना पर, जिस पर मध्य प्रदेश औद्योगिक कर्मचारी (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६५६ के उपबन्ध लागू होते हैं ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है ।

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(धारा २ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा :** जी, नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ३, ४, ५ और ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खण्ड १ में एक संशोधन है परन्तु माननीय सदस्य उसे प्रस्तुत नहीं रहे हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री आबिद अली :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रसूती लाभ विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ स्थापनाओं में बच्चा पैदा होने से पहले और उसके बाद कुछ समय तक स्त्रियों को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य, अर्थात् :—

श्री अमजद अली, श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री पन्नालाल बारूपाल, श्री भक्त दर्शन, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़, श्री अरविन्द घोषाल, श्री रामकृष्ण गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्रीमती मफीदा अहमद, श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा, श्री जियालाल मंडल, श्री कुट्टि कृष्णन् नायर, डा० सुशीला नायर, श्रीमती इला पालचौधरी, श्री राम गरीब, श्री क० स० रामस्वामी, श्री जगन्नाथ राव, श्री रामेश्वर साहू, श्री शिब्बन लाल सक्सेना, श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री तंगामणि, श्री उमराव सिंह, श्री रामसिंह भाई वर्मा, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री वोडयार, श्री गुलजारी लाल नन्दा इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रसूति लाभ के सम्बन्ध में एक व्यापक केन्द्रीय विधेयक की बहुत समय से आवश्यकता थी इसलिए मुझे इस विधेयक को सभा के समक्ष पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है । अब अनेक अधिनियमों के अन्तर्गत प्रसूति लाभ का उपबन्ध किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में राज्य अधिनियमों के अतिरिक्त तीन केन्द्रीय अधिनियम भी हैं अर्थात् खान प्रसूति लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और बागान श्रमिक अधिनियम । अर्हता प्राप्त करने की अवधि, लाभ की दर और अवधि आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित प्रतिमानों में बहुत अन्तर है । इस विधेयक का प्रमुख प्रयोजन एकरूपता लाना है । हम ने इस विधेयक में वर्तमान कानूनों के अधिकांश प्रगतिशील उपबन्धों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा सिफारिश किये गये प्रतिमानों को भी अपना मार्गदर्शक माना है ।

जब यह कानून लागू होगा तो खान प्रसूति लाभ अधिनियम और बागान श्रमिक अधिनियम की सम्बन्धित धारायें निरस्त हो जायेंगी । वह राज्य प्रसूति लाभ अधिनियमों को भी प्रभावहीन कर देगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी होगी । परन्तु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत स्थापनाओं पर यह लागू नहीं किया जायेगा ।

वर्तमान विधेयक अभी कारखानों, खानों और बागानों पर ही लागू होगा । परन्तु राज्य सरकारों को उसे अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा कृषि स्थापनाओं पर भी लागू करने की शक्ति होगी ।

प्रसूति लाभ का हकदार होने के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि बच्चा होने की तारीख के तुरन्त पूर्व के बारह महीनों में २४० दिन का रोजगार रखी गई है । अभी विभिन्न अधिनियमों में अवधि-काल और जिस तारीख से उसका आकलन किया जाता है दोनों ही भिन्न भिन्न हैं । कुछ अधिनियमों में बच्चा होने की वास्तविक तारीख अथवा सप्ताह को आकलन का आधार माना जाता है । दूसरों में नोटिस की तारीख को आधार माना गया है । प्रस्तावित उपबन्ध से वे एकरूप हो जायेंगे ।

वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ की दरें आठ आने प्रतिदिन से लेकर वास्तविक दैनिक मजूरी तक भिन्न भिन्न हैं । हम लाभ की समान दर लागू करना चाहते हैं जो औसत दैनिक मजूरी के बराबर होगी तथा न्यूनतम भुगतान ७५ नए पैसे प्रतिदिन होगा । अभी लाभ की अवधि भी आठ सप्ताह से लेकर बारह सप्ताह तक भिन्न भिन्न है । वर्तमान विधेयक में बारह सप्ताह की लाभ अवधि का उपबन्ध है जिसमें बच्चा होने की वास्तविक तारीख के बाद के छै सप्ताह की अनिवार्य अवधि भी सम्मिलित है । इन बारह सप्ताहों के अतिरिक्त हमने गर्भ अथवा बच्चा होने से उत्पन्न होने वाली बीमारी के मामले में अधिकतम एक महीने की और सवेतन छुट्टी का उपबन्ध किया है । इस विधेयक में यह उपबन्ध भी है कि यदि किसी महिला कर्मचारी को प्रसूति की छुट्टी में बच्चा होने के पूर्व, बच्चा

होने के समय और बच्चा होने के बाद निःशुल्क देखभाल की सुविधा नहीं दी जाती है तो उसे २५ रुपए चिकित्सा बोनस के रूप में भुगतान किये जायेंगे। हमने गर्भ और प्रसूति की छुट्टी में रोजगार और सेवा सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त यह उपबन्ध भी किया है कि महिला कर्मचारी को प्रसूति की छुट्टी पर जाने के पूर्व के एक महीने में हल्के काम पर रखा जाए तथा बीच बीच में छुट्टी भी दी जाये।

गर्भ स्राव की स्थिति में भी सवेतन बीमारी की छुट्टी के लिये उपबन्ध किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, यह विधेयक प्रसूति की सुरक्षा के सम्बन्ध में एकरूपता लाना चाहता है। उसमें कुछ विशेष लाभों का उपबन्ध भी किया गया है जैसे चिकित्सा बोनस का भुगतान, गर्भस्राव की स्थिति में सवेतन छुट्टी और बच्चा होने से उत्पन्न होने वाली बीमारी के मामले में अतिरिक्त छुट्टी। ये बातें इस विषय से संबंधित वर्तमान कानूनों में किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं हैं मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान विधेयक का सभा के समस्त वर्गों द्वारा स्वागत किया जाएगा। परन्तु चूंकि यह विधेयक अनेक अधिनियमों में सन्निहित उपबन्धों को समेकित करना चाहता है और उन्हें प्रभावहीन भी करता है इसलिये उसकी दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति द्वारा छान-बीन कराना वांछनीय होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूँ क्योंकि इसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। मैं आशा करती हूं कि इसे यथाशीघ्र लागू करने का प्रयत्न किया जाएगा। अभी विभिन्न राज्यों में जो कानून हैं उनमें बहुत अन्तर है। अनेक उद्योगों में इस लाभ के लियें बनाए गए कानूनों का पालन नहीं किया जाता है और कुछ राज्यों के कानन दोषपूर्ण हैं जिससे नियोजक इस लाभ के भुगतान को बचाने के लिये श्रमिकों को नौकरी से अलग कर देते हैं। एक तो वर्तमान भुगतान की दरें ही बहुत कम हैं फिर उनका भगतान भी समय पर नहीं किया जाता है। मुझे खुशी है कि वर्तमान विधेयक में उसके समय पर भुगतान के लिये उपबन्ध किया गया है।

इसके बाद मैं विधेयक के कुछ खण्डों का निर्देश करूंगी। खण्ड १ (२) में यह कहा गया है कि यह अधिनियम ऐसी तारीख से लागू होगा जो इस सम्बन्ध में गजट में अधिसूचित की जाए। यह ठीक नहीं है। जब यह सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है तो निश्चित तारीख रखने में क्या कठिनाई है ? चूंकि इस विधेयक की बहुत समय से आवश्यकता है इसलिये उसे यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिये।

फिर खण्ड २ में यह कहा गया है कि पहले यह अधिनियम कारखानों, खानों और बागानों में ही लागू होगा। फिर यह उपबन्ध है कि राज्य सरकारें इस विधान के लाभों का विस्तार अन्य उपक्रमों पर भी कर सकेंगी। मेरा निवेदन है कि महिलायें औद्योगिक स्थापनाओं के अतिरिक्त भी कई प्रकार की नौकरियां करती हैं। उन नौकरियों में कामकरने वाली महिलाओं को भी यह लाभ मिलना चाहिये। इस लाभ का विस्तार राज्य सरकारों पर छोड़ देना ठीक नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी स्थापनाय राज्य सरकारों पर दबाव डाल कर इससे बचे रहने का प्रयत्न करेंगी। इसलियें इस खण्ड में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिये कि अधिकांश महिला कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त हो सके और उसके विस्तार के लिये सरकार के निदेश की प्रतीक्षा न करनी पड़े। यह मैं इसलिये कह रही हूं कि मेरे राज्य में काज के कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को यह लाभ प्राप्त नहीं है क्योंकि उनकी नौकरियां अस्थायी होती हैं। वे वर्ष में ८ या ९ महीने काजू के कारखानों में काम करती हैं जिनका काम मौसमी होता है। उनको भी यह लाभ मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

फिर खण्ड ५ में यह कहा गया है कि इस लाभ में बच्चा होने के छै सप्ताह पूर्व और छै सप्ताह बाद का समय सम्मिलित होगा। मेरा निवेदन है कि कभी कभी बच्चा होने के बाद ६ सप्ताह से अधिक समय भी स्वास्थ्य लाभ में लग जाता है। इसलिये यदि कोई महिला छै सप्ताह से अधिक छुट्टी लेती है तो उससे यह नहीं कहा जाना चाहिये कि जितने दिन की अधिक छुट्टी ली गई है उतने दिन का वेतन नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूं कि संयुक्त समिति इसके सम्बन्ध में विचार करे और इस खण्ड में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि इस आकस्मिकता के लिये भी उपबन्ध हो जाय। यह ठीक है कि इस प्रकार के मामले अपवादस्वरूप ही होते हैं परन्तु ऐसी गम्भीर स्थिति में अपवादों के लिये भी उपबन्ध किया जाना चाहिये।

फिर खण्ड ८ में यह उपबन्ध है कि यदि नियोजक द्वारा बच्चा होने के पूर्व, बच्चा होने और उसके बाद के समय में निशुल्क देखभाल की व्यवस्था न की गई हो तो चिकित्सा बोनस के रूप में २५ रुपए भुगतान किये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि आजकल चीजों के बढ़ते हुए मल्यों को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। इसलिये यह २५ रुपए का उपबन्ध हटा कर यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि नियोजक द्वारा वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाए। इसके सम्बन्ध में यह आपत्ति की जा सकती है कि कोई महिला किसी महंगे अस्पताल को न चुने। इसके लिये कोई इस प्रकार का उपबन्ध किया जा सकता है कि निकटतम सरकारी अस्पताल में ही भरती हुआ जाए।

जहां तक खण्ड २६ का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि उसे खत्म कर देना चाहिये क्योंकि उसमें दी गई छूटों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना छूट के उपबन्ध के ही वर्तमान विधान से बचाव के प्रयत्न किये जाते हैं फिर छूट दे देने से तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी। इसलिये इस खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में ऐसा कोई खण्ड नहीं है जिससे वर्तमान राज्य विधान निरस्त हो जायें। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रकार का एक खण्ड रखा जाना आवश्यक नहीं है ताकि जब यह विधेयक पारित हो जाये तो समस्त देश में महिलाओं को यह लाभ प्राप्त हो सके? मैं आशा करती हूं कि प्रवर समिति इन समस्त खामियों पर विचार करेगी जिनका मैंने संकेत किया है।

†**श्री नंजप्प** (नीलगिरी) : मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं एक डाक्टर के दृष्टि-कोण से विचार करूंगा। इसमें गर्भस्राव की व्याख्या तो की गई है परन्तु गर्भपात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त गर्भस्राव और बच्चा होने को बराबरी का स्तर दिया गया है मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। यदि किसी औरत के बच्चा हुआ है तब तो उसको स्वास्थ्य लाभ करने में छै सप्ताह अवश्य लगेंगे परन्तु गर्भस्राव की स्थिति में इतना समय आवश्यक नहीं है। मैं आशा करता हूँ इसके सम्बन्ध में संयुक्त समिति विचार करेगी।

इसके अतिरिक्त गर्भस्राव की व्याख्या के अन्त में यह भी कहा गया है कि उसमें भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अन्तर्गत दण्डनीय गर्भस्राव सम्मिलित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की इस विधेयक में कोई आवश्यकता नहीं है। वैसी स्थिति में भी औरत सहानभति की पात्र है।

जहां तक बच्चे को दूध पिलाने का सम्बन्ध है, यहां १५ महीने की अवधि रखी गई है। डाक्टरी दृष्टिकोण से यह अवधि बहुत ज्यादा है क्योंकि वे केवल १० महीने की अवधि आवश्यक समझते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर बच्चों के दांत निकल आते हैं तथा वे अन्य चीजें भी ग्रहण कर सकते हैं। मेरे विचार से यह अवधि तीन महीने तो कम की ही जा सकती है। इसलिये १५ महीने के बजाय १२ महीने कर देना चाहिये।

फिर बच्चा होने पर इलाज के लिये जो २५ रुपए का उपबन्ध किया गया है वह भी ठीक नहीं है। आजकल के दिनों में यह राशि बहुत कम है।

अन्त में, खण्ड १५ (क) में किसी भी समय निरीक्षण का उपबन्ध है। मैं चाहता हूं कि उसे कार्य के घण्टों के दौरान कर दिया जाये। किसी भी समय निरीक्षण से नियोजक को कठिनाई हो सकती है, इसलिये वह कार्य के घण्टों में ही होना चाहिये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : सभापति महोदय, आज जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि यह ज्वायंट कमेटी को सौंपा जा रहा है, और उसके सदस्यों में मेरा भी नाम है, इसलिये मैं बहुत ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मेरे विचार हैं उनको मैं बहुत थोड़े में माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं ताकि उनको अपने विचार बनाने में मदद मिले।

वैसे तो हर एक स्टेट के अन्दर आपका मैटर्निटी एक्ट अमल में है और उसका फायदा भी ठीक ठीक मिल रहा है, इस में कोई शक नहीं। जहां जहां पर एम्पलाइज़ स्टेट इंश्योरेंस लागू है वहां भी हमारी बहनों को उसका अच्छा लाभ मिल रहा है और मैं यह भी मानता हुं कि जहां एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस का कानून लागू है वहां पर महिलाओं को उस स्टेट के मैटर्निटी कानून के अन्दर दिये गये लाभों से भी ज्यादा लाभ मिल रहा है। लेकिन यह जो बिल पेश किया गया है उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो स्टेट का ऐक्ट है, उस से कुछ बातों में यह पिछड़ा हुआ है। इस लिये माननीय मंत्री जी को उन पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। कुछ हमारी बहनें ऐसे उद्योग व्यवसायों में काम करती हैं जहां पर कि काम बहुत सख्त है और जहां पर वर्किंग कंडीशन्स बहुत ज्यादा खराब हैं। उनको अब तक कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, और इस ऐक्ट से भी उनको कोई फायदा मिल सकेगा या नहीं यह शंका की बात है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ जानकारी रखना चाहता हूं और अगर ज्वाइंट कमेटी में इस पर चर्चा होगी तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस में काफी मदद मिलेगी।

मने पहले भी प्राविडेंट फंड के बारे में कहा था और कल जब एम्प्लायमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स की बात हो रही थी तब भी कहा था कि वे २४० दिन तक मजदूरों को परमानेन्ट नहीं होने देते हैं, बदली में रखते हैं, कैजुअल लेबर में रखते हैं। वही बात मैटर्निटी बेनिफिट में आकर खड़ी हो गई है क्यों कि उस में भी यह बन्दिश है कि साल भर के अन्दर जिस महिला ने २४० दिन तक काम किया होगा उसी को यह बेनीफिट मिलेगा। इस जमाने में जहां पर हमारी महिलायें काम करती हैं वहां पर वर्ष में २४० दिन की हाजिरी होना कठिन है। टेक्स्टाइल जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी हम यह देखते हैं कि नई नई मशीनों के आविष्कार से जो संकट रोजी और रोटी का बहनों के लिये आ खड़ा हुआ है वह पुरुशों के लिये नहीं खड़ा हुआ। हाई स्पीड वाइंडिंग को डाला गया और देसी वाइंडिंग को उठा लिया गया। वाइंडिंग में हमारी बहनें ही काम करती हैं। हाई स्पीड वाइंडिंग के कारण जहां पर २० औरतों की जरूरत थी वहां अब ६ और ७ औरतें रह गई हैं। बराबर कोलमैन के आने से जहां पर १०० आदमियों की जरूरत थी वहां अब चार आदमियों की जरूरत होती है। वहां पर जो औरतें काम करती थीं उनको पूरा काम नहीं मिलता है, और उनकी शिफ्ट्स लगा दी गई हैं कि दो दिन तो औरत घर में रहेगी और एक दिन काम करेगी। जब एक महिला दो दिन घर में रहेगी और एक दिन काम करेगी तो

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

३६५ दिनों में, जिन में छुट्टियां भी आ जाती हैं, २४० दिन की हाजिरी कैसे हो सकती है और यह बेनिफिट महिलाओं को कैसे मिल सकता है ? हमारे सामने यह बड़ा भारी सवाल पैदा होता है और यह सवाल सिर्फ छोटी छोटी जगहों में ही नहीं, बम्बई और अहमदाबाद जैसी जगहों में ज्यादा पैदा हो गया है । इसके साथ साथ जिनिंग फैक्टरीज़ हैं । जिनिंग फैक्टरीज़ के अन्दर सिर्फ महिलायें ही काम करतीं हैं क्यों कि रुई डालने और कपास के ओटने का काम महिलायें ही करती हैं । जिनिंग फैक्टरीज़ के अन्दर इतनी खराब हालत है जिसका ठिकाना नहीं है । रुई उड़ती है और महिलाओं के पेट में उसके तन्तु जाते हैं । परिणाम यह होता है कि १२ महीने में वह छः महीने तो फैक्टरी में काम करती हैं और छः महीने घर पर बीमार रहती हैं, और क्षय का शिकार हो जाती हैं । एसी हालत में वर्ष में २४० दिन की हाजिरी कैसे हो सकती है? सीज़नल फैक्टरीज़ में इतनी खराब हालत है कि काम करने वालों की कि इस एक्ट के बन जाने के बाद किस तरह से किसी को फायदा मिल सकेगा, यह बिचार करने की बात है । जब यह बिल ज्वायंट कमटी में जा रहा है तो ज्वायंट कमेटी इस पर पहले विचार करे सारी जानकारी लेने के बाद यह तय करे कि कानून बनने के बाद जिनिंग फैक्टरीज़ की बहनों को कैसे इसका पूरा पूरा फायदा पहुंचे ।

इसके उपरान्त जो बीड़ी उद्योग है उसमें आम तौर से महिलायें ही काम करती हैं । मेरे प्रदेश में बीड़ी उद्योग में सागर, जबलपुर और महाकौशल एरिया में लगभग ३ लाख महिलायें काम करती हैं । लेकिन जो इस उद्योग के संचालक हैं उन्होन कुछ ऐसे तरीके बना लिये हैं जिनसे वे कोशिश करते हैं कि स्टेट या सेन्टर कोई भी कानून बनाये, उसपर उनको अमल न करना पड़े और उनका पैसा खर्च न हो । वे क्या करते हैं कि बहनों को तम्बाकू और पत्ते दे देते हैं और वे अपने घरों पर उन को ले जाकर काम करती हैं । जिस तरह से कारखानों के अन्दर पीस वर्क होता है, उसी तरह से बीड़ी उद्योग भी एक पीस वर्क है और बहने जितना अच्छा और अधिक काम करती हैं उतना ही उनको पैसा ज्यादा मिलता है । इस लिये इस चीज को देखने की जरूरत है । बीड़ी उद्योग वाले समझते हैं कि चूंकि वे अपनी झोपड़ियों में काम करती हैं इस लिये उनको वेलफेयर की कोई जरूरत नहीं है । वे बहनों को बुलाते हैं, पत्ते दे देते हैं तम्बाकू दे देते हैं । वे आती हैं और दूसरे रोज़ बीड़ी गिना जाती हैं । इस तरह लाखों का टर्नओवर बीड़ी उद्योग में होता है । आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको फुटपाथ पर जगह नहीं मिला करती थी, वे अब सिर पर चल रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमियों ने बीड़ी उद्योग को शुरू किया और अब वे लखपति बने हैं । इसका मतलब यह है कि अज्ञानी लोगों को, खास कर महिलाओं को वे बीड़ी उद्योग में लगाते हैं । वे काम करती हैं और उनको वे लोग मनमाना पैसा देते हैं । वे किसी भी ऐक्ट का पालन नहीं करते हैं और उन बेचारी बाइयों से वे नाजायज़ फायदा उठाते हैं । इस उद्योग में काम करने वाली अधिकांश बाइयां होती हैं । मेरा यह निवेदन है कि जब इस बिल को कानूनी रूप दिया जाये तो इस बात का ख्याल रखा जाये कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाली जो बाइयां हैं जो कि कारखानेदार के यहां से तम्बाकू और पत्ते ले जाती हैं उनका काम किस तरह से होना चाहिये ताकि उन को इस बिल का पूरा फायदा मिल सके । दूसरा मैंने जिनिंग फैक्टरीज़ के बारे में कहा ।

इसी तरह से फ्लोर मिल्स भी हैं । वे भी बारहो महीने नहीं चलतीं क्योंकि उनका आधार अनाज के ऊपर होता है । उनको कम अनाज मिलता है । इस लिये कोई मिल छः महीने चलती है, कोई नौ महीने चलती है । उनके बारे में भी यह सवाल पैदा होता है कि २४० दिन की हाजिरी कैसे हो । और जब २४० दिन की हाजिरी नहीं होगी तो उनमें काम करने वालियों को भी इसका फायदा मिलने वाला नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बाइयां उद्योगों में लगी हैं उनमें से ७५ प्रतिशत को इस कानून का फायदा मिलने वाला नहीं है । कुछ उद्योगों में जहां दो चार ६ बाइयां काम करती

हैं उनमें उनको इसका फायदा मिलेगा और हम कहेंगे कि हमने उनके लिये मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट लागू कर दिया है। लेकिन आम तौर से उनको फायदा नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है कि आपके विभाग को हर प्रदेश से यह जानकारी मंगानी चाहिये कि किस उद्योग में बाइयां अधिक तादाद में काम करती हैं और उनकी कैसी हालत है। साल भर में उन्हें कितने दिन काम मिलता है। उस आधार पर उन्हें इसका फायदा मिले यह सवाल विचारणीय है।

बहुत से व्यवसाय हैं जैसे दालों का व्यवसाय है। उसमें व्यापारियों ने दाल मिलें अलग खोल रखी हैं और उनमें दाल और बिनायी का काम होता है। उनमें भी बाइयों को बहुत तादाद में रखते हैं, किसी जगह १०० काम करती हैं किसी जगह २०० काम करती हैं। आपके दिल्ली में ही छतों पर बिनाई के लिये उनकी लाइनें लगा दी जाती हैं और बाइयां काम करती हैं। उनकी क्या हालत है यह देखने वाला कोई नहीं है। यह देखने वाला कोई नहीं है कि उनको कितना पैसा देते हैं, उनपर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू है या नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशनस ठीक हैं या नहीं, उनके ऊपर एम्प्लाईज़ एश्योरेंस एक्ट लागू होता है या नहीं। आज हालत यह है कि व्यापारी लोग सारे कानूनों से बचने की कोशिश करते हैं। तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये।

यही दशा तेल मिलों की है। कोई बड़ी बड़ी तेल मिलें साल भर चलती हैं, लेकिन देहातों में बहुत सी तेल मिलें ऐसी हैं जोकि ६ महीने या ६ महीने चलती हैं और उनमें भी बहुत बाइयां काम करती हैं। उनके लिये भी २४० दिन पूरे होने की बात है।

आपने इस बिल में यह चीज़ रखी है कि उन्हें जो ६ सप्ताह इधर और ६ सप्ताह उधर बेनीफिट मिलेगा वह इस तरह मिलेगा कि उनकी जो १२ महीने की कमाई होगी उसका एवरेज निकाला जायेगा और जो एक दिन का एवरेज होगा उस हिसाब से उनको बैनिफिट दिया जायेगा। यह एक बड़ा सवाल है। उनको पूरे १२ महीने काम नहीं दिया जाता और उन्हें ले आफ करते रहते हैं। इस कारण उनकी प्रतिदिन की औसत-आय कम हो जाती है। आपने इसमें रखा है कि यह बेनिफिट कम से कम १२ आना होगा। यह देखने की बात है कि आज १२ आने के पैसे में एक साधारण व्यक्ति भी अपना पेट नहीं भर सकता है। हम उनको यह बैनिफिट और छुट्टी इस लिये देते हैं कि गर्भवती महिला आराम से रह सके, उसको पौष्टिक खुराक मिल सके और उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी बनी रहे और उसके जो बच्चा पैदा हो उसकी तन्दुरुस्ती भी अच्छी रहे, और हमारे देश की मृत्यु संख्या में कमी हो, बढ़ोतरी न होने पाये। इस अवस्था में उनको कम से कम १२ आना दिया जाना ठीक नहीं है। किसी राज्य में एक रुपया २ आना होता है, किसी में १२ आना होता है और किसी में एक रुपया होता और किसी में सवा रुपया प्रति दिन रखा गया है। मेरा निवेदन है कि जब आप एक सेंट्रल कानून बनाते हैं तो वह प्रगतिशील होना चाहिये ताकि तमाम राज्य उसका अनुकरण करें। आप देश की जनता से कहते हैं कि हमारा अनुकरण करो। आज पार्लियामेंट का अनुकरण देश को करना चाहिये। इस लिये मेरा निवेदन है कि यह जो कम से कम १२ आने की रकम रखी गई है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है।

इसमें आपने यह भी रखा है कि जो प्रतिदिन का औसत निकाला जायेगा वह इस प्रकार निकाला जायेगा कि जो रकम फाइन की होगी वह साल भर की आय में से निकालने के बाद औसत निकाला जायेगा। आपने फाइन एक जमाने में जिस दोष के लिये किया उसको अगले जमाने में क्यों माइनस किया जाये। तो यह भी देखने की ज़रूरत है।

इसी प्रकार कुछ उद्योगों में बाइयों और पुरूषों को भी हाजिरी इनाम दिया जाता है, अगर कोई काम करने वाला पूरे सप्ताह भर हाजिर रहता है तो उसको एक रुपया और हाजिरी इनाम का दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि बैनिफिट देने में इस हाजिरी इनाम को भी उसकी आमदनी में मिलाकर औसत निकालना चाहिये। और उसकी जो फाइन की रकम है उसको माइनस नहीं करना चाहिये।

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

इसी तरह से प्रावीडेंट फंड का सवाल है। अगर प्रावीडेंट फंड की रकम माइनस की जाती है तो वह उनके खाते में जमा होनी चाहिए और एम्पलायर को उतनी ही रकम उसमें मिलानी चाहिए और अगर वह उनके खाते में जमा नहीं होती है तो जो उनको रोजाना मिलता है वह सब जोड़ा जाना चाहिए।

इसमें यह भी बतलाया गया है कि बाइयों को किन किन हालतों में यह बैनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया है उनको यह बैनिफिट नहीं मिलेगा जिनको मिसकंडक्ट में सजा दी गयी हो। मैं यह निवेदन करता हूं कि मिसकंडक्ट के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब बाई गर्भवती होती है तो मेरा यह मानना है कि मिसकंडक्ट की सजा बाई को नहीं मिलती बल्कि उसके होने वाले बच्चे को गर्भ में ही दी जाती है। इसलिए गर्भवती बाई को मिसकंडक्ट की सजा के दोष से मुक्त रखना चाहिए। वह समय तो ऐसा है कि उनको जितनी भी सहूलियत दी जा सकती है वह दी जाए। गर्भ की अवस्था में वे जितना काम उनको करना चाहिए उतना नहीं कर सकतीं। आपको डाक्टर बताएगा कि गर्भावस्था में बाइयां अच्छी तरह काम नहीं कर सकतीं। उनसे ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता और कुछ व्यवसायों में खड़े खड़े काम करना होता है। किसी को उल्टी होने लगती है किसी को कोई और शिकायत हो जाती है। तो ऐसी दशा में उन पर मिसकंडक्ट का दोष लगाकर उनको मैटरनिटी बैनिफिट से वंचित नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस अर्थ में उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जानी चाहिए।

इसके साथ साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजदूरों की भलाई के लिए कानून बनाते हैं लेकिन उन कानूनों से भी उनका शोषण होता है। वह शोषण वकील लोग करते हैं। मजदूर कानून न समझ पाने के कारण पेशेवर लीडर वकीलों के चक्कर में पड़ जाता है और कुछ वकीलों का यह धंधा हो गया है कि वह लेबर लीडर बनते हैं और इस प्रकार मजदूरों को कोर्टों में ले जाते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : माननीय सदस्य वकीलों पर यह बेकार का आक्षेप कर रहे हैं। वकील तो बहुत ईमानदर होते हैं और उनका पेशा हिन्दुस्तान में आनरेबिल समझा जाता है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : होते होंगे। मैं तो उनका ज़िक्र कर रहा हूं जो लेबर लीडर बन कर मजदूरों को कोर्टों में खींच खींच ले जाते हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अंग्रेज़ी में कानून बनाते हैं जिनको मजदूर समझ नहीं पाते, इसके साथ साथ उनका अनुवाद हिन्दी में भी होना चाहिए जिससे कि मजदूर उसको समझ सकें। मजदूर चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश को हों, उनमें से अधिकांश हिन्दी पढ़ लेते हैं और जो पढ़े हुए हैं वे दूसरों को भी समझा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में कानून होने से वे उसको नहीं समझ सकते और किसी अंग्रेज़ी पढ़े लिखे को इतनी फुरसत नहीं कि उनको समझावे, उनसे कहा जाता है कि वकील के पास जाओ और ऐसा कौन वकील होगा जो बिना फीस के उसे कानून की धाराएं समझा सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बनाया जाए उसका हिन्दी में भी अनुवाद उसके साथ होना चाहिए।

सेंटर के बहुत से कानूनों में ऐसा लिखा गया है कि जिस प्रदेश में अमुक कानून अमल में आवे या जिस कारखाने में वह अमल में आवे वहां के मजदूर जो भाषा जानते हों उस भाषा में वह कानून वहां रखा जाए। लेकिन कोई कारखानेदार उसे उस भाषा में छपवाता नहीं। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है मैं देख रहा हूं कि हर एक राज्य में हालत यह हो रही है कि जो भी कानून वहां मजदूरों के लिए बनता है वह अंग्रेजी में बनता है। इसलिए कम से कम मजदूर भाइयों के लिए इतनी तो आप सहानुभूति रक्खेंगे कि यह मैटरनिटी बेनीफिट ऐक्ट जब अमल में आये तो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी यह तैयार किया जाय और तमाम राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाय और इस कानून में एक धारा भी इस सम्बन्ध में रक्खें कि जहां भी जिस प्रदेश में यह एक्ट अमल में लाया जाय तो उस प्रदेश की भाषा में इसका अनुवाद करा कर इस कानून को पास किया जाय।

मंत्री महोदय ने जो बिल रक्खा है यह बहुत ही अच्छा है और इस तरह के कानून की बहुत जरूरत थी और उसका मैं स्वागत और समर्थन करना चाहता हूं। इस अवसर पर मैंने सदन के समक्ष कुछ सुझाव रक्खे हैं और बाद में मैं इसे और विस्तार से देखूंगा, अध्ययन करूंगा और ज्वांइट कमेटी में अपने विचार रक्खूंगा। बस, इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। और संयुक्त समिति के विचारार्थ कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

प्रसूती लाभ की दर के संबंध में विधेयक में यह कहा गया है कि उसका भुगतान दैनिक औसत मजूरी के आधार पर किया जाएगा तथा औसत मजूरी का आकलन पिछले बारह महीनों के काम के दिनों के आधार पर किया जाएगा। यह भी उपबन्ध है कि यदि वह औसत ७५ नए पैसे से कम हो तो ७५ नए पैसे की दर से भुगतान किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि दैनिक औसत का आकलन छुट्टी पर जाने के पूर्व के एक महीने के काम के दिनों के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक हो सके। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त ७५ नए पैसे का उपबन्ध भी ठीक नहीं है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

एक उपबन्ध में रोजगार की अवधि का निर्देश किया गया है। यह कहा गया है कि प्रसूती लाभ के लिए बच्चा होने की संभावित तारीख के तुरन्त पूर्व के बारह महीनों में २४० दिन की नौकरी होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह अवधि छुट्टी पर जाने के तुरन्त पूर्व के नौ महीनों में १०० दिन की नौकरी की होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस सुझाव पर विचार करेगी।

माननीय उपमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर विभिन्न राज्यों के प्रसूती लाभ संबंधी अधिनियम निरस्त हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि विभिन्न राज्यों ने इस प्रकार के अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जो प्रतिवेदन दिए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि नियोजकों की पैसा बचाने की प्रवृत्ति के कारण महिला कर्मचारियों को पर्याप्त प्रसूती लाभ नहीं दिया जा सके। पंजाब सरकार, बिहार सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने प्रतिवेदनों में यही मत व्यक्त किया है कि इस लाभ से बचने के लिए नियोजक महिला कर्मचारियों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को स्थापनाओं को इस लाभ के उपबन्ध से छूट देने की शक्ति देना ठीक नहीं कहा जा सकता है। खण्ड २६ में यह कहा गया है कि राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

सरकार किसी भी पर्याप्त कारण से किसी कारखाने को छूट दे सकेगी। मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध हटा दिया जाना चाहिए।

जहां तक अनुपस्थिति अथवा गर्भावस्था में नौकरी से हटाने का संबंध है, वर्तमान विधेयक में यह उपबन्ध है कि नियोजक किसी भी महिला कर्मचारी को, प्रसूती लाभ की हकदार होने पर भी, घोर अवचार के आधार पर नौकरी से हटा सकता है। मेरा निवेदन है कि जब तक 'घोर अवचार' की निश्चित व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक नियोजक उसकी आड़ में महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ से वंचित करने का प्रयत्न करेंगे और उन्हें व्यर्थ की मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी। श्री वर्मा ने सही संकेत किया है कि इस उपबन्ध द्वारा आप महिला कर्मचारियों को वकीलों की शरण में जाने को बाध्य कर रहे हैं।

जहां तक हल्के उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या में कमी का संबंध है मैं कुछ राज्यों के १९५० और १९५६ के आंकड़े देकर यह प्रमाणित करूंगा कि नियोजक महिला कर्मचारियों से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

राज्य	१९५० प्रतिशत	१९५६ प्रतिशत
उड़ीसा	२८.२	२१.१
बिहार	८.५	२.०
पंजाब	४.८	३.७
पश्चिमी बंगाल	१२.३	८.३
मध्य प्रदेश	२३.०	१०.०

दो दिन पूर्व इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यह असहायता की भावना ठीक नहीं है। वर्तमान विधेयक इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ से वंचित करने की गुंजाइश न रहे।

फिर २५ रुपए के चिकित्सा बोनस के संबंध में मेरा निवेदन है कि वह बहुत अपर्याप्त है। आजकल की महंगाई को देखते हुए यह उपबन्ध १०० रुपए अथवा कम से कम ५० रुपए तो होना ही चाहिए। वैसे तो नियोजक द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था किया जाना ही अभीष्ट है। परन्तु यदि वैसा न किया जा सके तो कम से कम ५० रुपए बोनस के रूप में दिए जाने चाहिएं।

मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी और विधेयक में पर्याप्त सुधार किए जायेंगे ताकि अधिकाधिक महिला कर्मचारियों को प्रसूती लाभ प्राप्त हो सके।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान् जी, मैं अपनी सरकार को और मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं कि एक अरसे के बाद आज हमारे सामने यह मैटरनिटी बैनिफिट बिल पेश हुआ है। मुझे यकीन है कि इसमें जो भी कमियां हैं, वे सिलैक्ट कमेटी में दूर हो जायेंगी और वहां से वापस आकर

यह वाकई एक मैटरनिटी बैनिफिट बिल बन जायगा और मुल्क के लिये बहुत फायदेमन्द होगा। हमारे मिनिस्टर साहब खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में औरतों की हालत क्या है। जैसा कि अभी मेरे भाइयों और बहनों ने कहा है, उनके पास जो एजूकेशन है, वह पुरुषों के मुकाबले में नहीं के बराबर है। हमने इकानोमिक इंडिपेंडेंस आफ विमेन का जो नक्शा खींचा है, उसको दृष्टि में रखते हुए जब मैं इस बिल को देखती हूं, तो मुझे यह बहुत अजीब और कमजोर दिखाई देता है। मुझे यकीन है कि सिलैक्ट कमेटी में इस को ठीक कर दिया जायगा।

यह ठीक है कि कनफ़ाइनमेंट से पहले और बाद में छः-छः हफ्ते की छुट्टी होना स्त्री के लिये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि एम्प्लायर उस को पहले ही निकाल देगा, ताकि उस स्त्री को छुट्टी वगैरह न देनी पड़े। इसमें उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बिल में कहा गया है कि डिलीवरी से छः हफ्ते पहले और छः हफ्ते बाद में छुट्टी मिलनी चाहिये, लेकिन अगर वर्किंग औरत का मिसकैरिज होता है, तो उस को भी उतनी ही छुट्टी मिलनी चाहिये, जितनी कि डिलीवरी की हालत में मिलती है। अगर मिसकैरिज नहीं होता और अगर तीन महीने का एबार्शन हो जाता है तो उस वक्त भी उसको उतनी ही छुट्टी मिलनी चाहिये यानी छः हफ्ते की। यह बात जो है, इसको पुरुष नहीं समझ सकते हैं, कोई मैडिकल औरत ही बता सकती है कि क्यों छुट्टी मिलनी चाहिये या क्यों नहीं मिलनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि इस पर सिलक्ट कमेटी जरूर गौर करेगी और सिर्फ कनफाइनमेंट को नहीं रखेगी बल्कि ये जो सब स्टेजिज़ हैं, एबार्शन और मिसकैरेज की, इनको भी उसके साथ-साथ शामिल कर लिया जायगा।

अगर यह समझा जाता है कि जो औरतें बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं उन्हीं के वास्ते यह बिल है, तो मैं समझती हूं कि यह बिल अधूरा है, यह पूरा बिल नहीं है। सभी उद्योग धंधों में जो औरतें काम करती हैं उन सभी पर यह बिल लागू होना चाहिये। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामसिंह भाई वर्मा ने बताया है कि औरतें दाल फटकने का काम करती हैं, बीड़ी बनाती हैं और मैं चाहती हूं कि उन सभी पर यह कानून लागू होना चाहिये। औरतों से बीड़ियां इसलिये बनवाई जाती हैं कि उनकी उंगलियां जो हैं, फिंगर्स जो हैं, वे बहुत डैलिकेट होती हैं और उनसे जो काम वे कारीगरी का करती हैं, वह मर्द नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन पर भी यह लागू होना चाहिये। मैंने सुना है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीड़ी वाले बेहद रईस हो गये हैं। वे रईस हुए हैं औरतों की मेहनत से। हमें देखना है कि उन औरतों पर इस बिल का असर कहां तक पड़ेगा। सरकार को देखना चाहिये कि वे औरतें रजिस्टर हों ताकि वे आसानी से अपनी ड्यूटी अदा करने से छूट न जायें और उनको आसानी से निकाला न जा सके।

एक सब से बड़ी और अजीब बात मैं इस बिल में देखती हूं। इस बिल में मिसकंडक्ट का नाम आया है, इस मिसकैंडक्ट शब्द के माने में आज तक समझ नहीं सकी हूं। मुम्किन है कि वकील साहिबान समझे हों। अभी एक भाई ने कहा कि वकील बड़े पवित्र और पाक होते हैं। लेकिन सच को झूठ और झूठ को सच भी तो वही बनाते हैं। लेकिन इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यह देखना हमारा फर्ज है कि अगर कोई वकील कहता है कि इसने मिसकंडक्ट किया है तो हम उस वकील के कंडक्ट को भी देखें। इसका भी पता लगायें कि उसका कंडक्ट कैसा है। इस वास्ते मैं समझती हूं कि यह जो मिस-कंडक्ट का लफ्ज़ आया है, इसको हम बिल्कुल ही निकाल दें, इसको बिल्कुल ही इस बिल से अलग कर दें। मैं चाहती हूं कि सिलैक्ट कमेटी इस पर गौर करे और इसको इस बिल में से निकाल दे। मैं आशा करती हूं कि जब ये बिल सिलैक्ट कमेटी से वापिस आएगा तो जो भी खामियां इसमें इस वक्त हैं, उनको हम इसमें नहीं पायेंगे ? हम जो बहनें हैं वे चाहती हैं कि इसका बैनिफिट औरतों को मिले।

[श्रीमती उमा नेहरू]

एक मद्दत हुई कि हमने सरकार से कहा कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको दूध मुफ्त मिलना चाहिये । बड़ी मुश्किल से आज वह दिन आया है जब बच्चों को फ्री दूध मिलने की नौबत आई है । अब अगर आप चाहते हैं कि औरतें आगे बढ़ें और उनकी इकोनोमिक इंडिपेंडेंस का विचार अगर आपके सामने है तो आपको दरअसल पहली बात जो करनी है, यह है कि हर अस्पताल में कनफाइनमेंट के वास्ते जो मैडिकल एड दी जाती है, वह औरतों को फ्री दी जाए। औरतों को या उसके घर वालों को इसके लिये एक टका भी खर्च करने पर आपको मजबूर नहीं करना चाहिये । जिस वक्त बच्चा होने की नौबत आती है उस वक्त औरत का फ्री मैडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिये और हर अस्पताल में होना चाहिये । यह व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिये । अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो दूसरी मेरी सजशन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करे या दोनों मिल कर करें । अगर यह बोझा एम्प्लायर्स पर डाला जाता है तो उनकी हमेशा ही यह कोशिश रहेगी कि औरतों को नौकर रखा ही न जाए और अगर किसी वजह से वे उनको रख लेते हैं तो जब जरूरत महसूस होगी तो किसी न किसी बहाने से उनको नौकरी से अलग कर देंगे । इस वास्ते जो सुझाव मैंने दिया है, मैं चाहती हूं कि उस पर गौर किया जाये । सरकार को चाहिये कि जो मैडिकल एड इस कंडीशन में दी जाती है वह औरत को फ्री दी जावे और इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट्स को मजबूर किया जाए ।

जहां तक मिसकंडक्ट का ताल्लुक है, इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिये । अगर आप यह कह कर कि किसी औरत ने मिसकंडक्ट किया है, उसको हटा देते हैं तो जरूरी है कि उसके साथ-साथ कोई आदमी भी इनवाल्व्ड होगा और अगर उस आदमी को आप पनिश नहीं करते हैं और सिर्फ औरत को ही निकाल देते हैं तो यह बिल्कुल बेइंसाफी की बात होगी । हजारों तरीकों से आज औरत सताई जाती है और बाद में भी सताई जाएगी और जो इंसपैक्टर हैं या दूसरे लोग हैं, वे इस बिना पर कि उसने मिसकंडक्ट किया है, उसको सतायेंगे । इस वास्ते आपको चाहिये कि आप उसकी रक्षा करें और इस मिसकंडक्ट लफ्ज को इसमें से निकाल दें । दुनिया में मिसकंडक्ट के नाम की कोई चीज़ नहीं है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मिसकंडक्ट मर्दों के लिये है, औरतों के लिये नहीं है ?

श्रीमती उमा नेहरू : अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि मर्द और औरत दोनों एक चीज हैं । आज हमने यह प्रिंसिपल माना है "ईक्वल वर्क और ईक्वल वेजिज़" और यह आपकी पालिसी भी है । जहां तक मिसकंडक्ट का ताल्लुक है, वह एकतरफा नहीं हो सकता है, उसमें स्त्री भी आती है और मर्द भी । इस वास्ते अगर मिसकंडक्ट के लिये आपको पनिश करना है तो मर्द को भी करिये और औरत को भी करिये, सिर्फ औरत को ही नहीं । लेकिन मुझे यह जो लफ्ज़ मिसकंडक्ट का है, बहुत ही बुरा लगता है और इसको इसमें से हटा दिया जाना चाहिये ।

आज हम प्लानिंग कर रहे हैं । हम सिल्लेज इंडस्ट्रीज़ को भी बढावा दे रहे हैं, उद्योग धंधों को भी बढावा दे रहे हैं । इन को इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चलाते हैं और इनमें से नफा कमाते हैं । मैं चाहती हूं कि छोटे छोटे उद्योग धंधों में भी जो औरतें काम करती हैं, उनको रजिस्टर कर लिया जाए ताकि उन में जो काम करने वाली औरतें हैं, उनका जो बोझा है, वह इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने वालों के ऊपर पड़े ।

यह जो मैटरनिटी बैनिफिट बिल आया है, इसका एक नतीजा यह होना चाहिये कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर औरतों का जो कनफाइनमेंट होगा वह फ्री होगा और मैडिकल एड जो

उनको मिलेगी, वह भी मिलेगी। अगर आप ऐसा कर सकें तो इस बिल का जो मंशा है वह पूरा हुआ समझा जायेगा।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, विशेष रूप से इसलिये कि इसे प्रवर समिति को सौंपा गया है।

महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ प्राप्त करने की हकदार बनाने के लिये, यह शर्तें रखी गयी हैं कि उनकी २४० दिन की हाजिरी होनी चाहिये। इसका अर्थ तो यह होगा कि गर्भवती महिलाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकेगा। यह बात श्रमिकों के पक्ष में न जाकर मालिकों के पक्ष में जाती है। गर्भवती स्त्रियों को बच्चा पैदा होने से पहले १।। महीने और बाद में १।। महीने और बच्चा पैदा होने के समय एक मास तक की छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है। गर्भवती स्त्रियों की आम तौर पर तबियत खराब रहने लगती है; किसी-किसी औरत में यह चीज काफ़ी बढ़ जाती है। यदि ऐसी शिकायत हो तो इस उपरोक्त अवधि के अतिरिक्त भी उन्हें छुट्टी दी जानी चाहिये। गर्भस्राव अथवा गर्भपात होने पर भी छुट्टी की सुविधायें दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त निर्वाह के लिये १२ आने कम हैं, इसे बढ़ा कर कम से कम १ रु० ४ आ० कर देनी चाहिये क्योंकि यह ऐसा समय होता है जबकि औरत की देखभाल करना बड़ा जरूरी समझा गया है।

विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित रखा गया है। इस विधेयक को नैमित्तिक श्रमिकों पर भी लागू किया जाना चाहिये। इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस पर समुचित रूप से विचार कर इसमें लाभदायक संशोधन कर देगी।

†श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महिलाओं के लाभ के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह और भी अच्छी बात है कि विधेयक प्र वर समिति के समक्ष जा रहा है। यहां विधेयकों के सारे दोषों को दूर कर दिया जायेगा।

मेरे से पूर्व वक्ता ने प्रसूति से पूर्व ६ सप्ताह और बाद में छः सप्ताह का लाभ देने की बात कही है और मैं उनसे सहमत हूं। मेरा निवेदन है कि महिलाओं को केवल जच्चा बनने के पहले अथवा बाद में ही देख रेख की जरूरत नहीं होती। गर्भ धारण के प्रथम तीन मास बहुत ही कष्टकर होते हैं, उनमें उन्हें अवश्य कुछ सुविधायें दी जानी चाहियें। अतः मैं इस बात पर जोर दूंगी कि उन्हें उन दिनों की मजूरी से पूर्णतः वंचित नहीं किया जाना चाहिये। इन दिनों की आधी मजूरी उन्हें अवश्य दी जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त इन दिनों के जच्चा के इलाज का उत्तरदायित्व भी सरकार का होना चाहिए। ऐसा भी उपबन्ध होना चाहिए जिसके अन्तर्गत बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को उनके विश्रांति काल में कुछ पौष्टिक आहार दिया जाये। इस प्रकार यह अपने बच्चे का लालन पालन अधिक अच्छे ढंग से कर सकेगी और उसे स्वस्थ बना सकेगी। कई एक पश्चिमी देशों में ऐसा किया जाता है। बच्चों की देख भाल करने की दिशा में यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके आधार पर ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है।

'कदाचरण' के आधार पर नौकरी से हटाने वाली बात केवल औरतों पर ही लागू नहीं होनी चाहिए। पुरुषों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए। यह बड़ी अनुचित बात है कि कदाचरण के मामले में सिर्फ स्त्रियों को ही दंडित किया जाता है। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इन सब

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमति इला पालचौधरी]

बातों पर विचार करते हुए महिलाओं के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनायेगी और भारत की संचित निधि में महिलाओं के कल्याण के लिए थोड़ी बहुत राशि खर्च करने में संकोच नहीं करेगी ।

†पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : देश और समाज के सभी वर्गों को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए । यह देश की गरीब औरतों की सहायता के लिए बड़ा आवश्यक है । हमारे देश में स्त्रियों को गरीबी के कारण ही कारखानों में काम करना पड़ता है। अतः विधेयक के पीछे जो मानव कल्याण की भावना है, उसको देखते हुए इसके कार्यान्वित करने में किसी आर्थिक वजह से बाधा नहीं पड़नी चाहिए । और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस पर अपेक्षित न राशि खर्च करने को तैयार है ।

सब से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक केन्द्र और राज्यों के इस दिशा के अन्य अधिनियमों से बहुत आगे है । यह और भी अच्छा है कि इसके सभी उपबन्धों को काफी उदार कर दिया गया है और लगभग सभी संस्थानों पर इसे लागू किया जायेगा जहां पर कि महिला श्रमिक काम करती है । बच्चा होने से पहले और बाद में छः हफ्ते की छुट्टी देने का उपबन्ध बहुत अच्छा है । इसमें यह भी व्यवस्था है कि काम पर वापस आने पर यदि औरत चाहे तो उसे हल्के काम पर लगाया जा सकता है । यह पिछले कानूनों से काफ़ी अच्छे उपबन्ध हैं ।

बोनस की जितनी राशि की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही थोड़ी है । यदि स्त्रियों को वास्तव में इससे कुछ लाभ पहुंचाना अभीष्ट है तो इसे १५ रुपये से अधिक रखा जाना चाहिए । इस शर्त को मैं उचित ही समझता हूं कि इस लाभ को पाने के लिए वही स्त्रियां पात्र समझी जायेंगी जो पहले २४० दिन काम कर चुकी होंगी । कुछ सीमा अवश्य होनी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मुझे एक भय भी है कि इस विधान के फलस्वरूप स्त्रियों को मिलने वाले रोजगार में कमी हो जायेगी । सरकार को चाहिये कि इन्हें सरकारी क्षेत्र में काम देने की व्यवस्था करे । मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि सरकार को इस प्रकार के गैर-सरकारी निकायों की सरकारी तौर पर सहायता करनी चाहिए जो कि इनको सहायता देने की स्थिति में न हो । इस प्रकार यह विधेयक उचित प्रकार से कार्यान्वित हो सकेगा ।

†श्री त्यागी : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु मेरा मत है कि प्रसूति लाभ का पूरा उपयोग उसी समय किया जा सकेगा जब इसके साथ-साथ प्रसूता स्त्रियों की मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था भी कर दी जाये । इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

"कदाचरण" के शब्द पर आपत्ति की गयी है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस शब्द पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए । इस शब्द का प्रयोग प्रशासनिक बोल चाल के अर्थ में भी किया जाता है । सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसे प्रयुक्त किया जाता है । इसमें अश्लीलता का कोई प्रश्न नहीं है । इस शब्द का बड़ा व्यापक योग होता है ।

कारखानों में कई तरह की बातें हो सकती हैं; कुछ मजदूर आपस में लड़ सकते हैं, मशीनों का दुरुपयोग कर सकते हैं आदि आदि । इसमें आदमी औरत का सवाल नहीं है । इसलिए इसे ग़लत अर्थ में नहीं लेना चाहिए । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आबिद अली : इस प्रस्ताव पर सब से पहले वक्ता द्वारा जो यह बात कही गयी है कि इस मामले में राज्य सरकार को स्वविवेकीय अधिकार नहीं दिये जाने चाहिएं, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी सरकार पर प्रभाव डाल कर इन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे । यह आपत्ति मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि आखिरकार वहां भी निर्वाचित विधान मंडल है और उसके सदस्य भी हैं, जो इन बातों की देख भाल कर सकते हैं ।

"कदाचरण" शब्द के बारे में कुछ आपत्ति की गयी है ; मैं श्री त्यागी का आभारी हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में ठीक स्पष्टीकरण कर दिया है । विधेयक के अर्थ में कदाचरण का अर्थ जैसी कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में परिभाषा की गयी है, यह है "जान बूझ कर अवज्ञा करना, आदेश का पालन न करना, चोरी करना, धोखा देना, बेईमानी करना, जान बूझ कर सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, बिना अवकाश प्राप्त किये अनुपस्थित रहने की आदत, और कानून तोड़ना इत्यादि ।" ऐसा नहीं है कि किसी मजदूर को इसके अन्तर्गत परेशान किया जा सकता हो ; हमारे मजदूर संघ काफी सचेत हैं और वे इन उपबन्धों का दुरुपयोग नहीं होने दे सकते । कोई नियोजक किसी कर्मचारी को बरखास्त नहीं कर सकता ; इसके लिये निर्धारित प्रक्रिया है ।

आजकल कोई किसी श्रमिक को अनुचित तौर पर तंग नहीं कर सकता । कार्मिक आन्दोलन का काफी विकास हो चुका है, निराधार कोई बात करने का साहस किसी को नहीं । यह नहीं कोई मालिक ऐसे ही किसी को नौकरी से हटा देगा । बाकायदा एक प्रक्रिया है और उसके अनुसार ही सब कुछ करना होता है । औद्योगिक अदालत है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है इत्यादि । कार्मिक संघ मालिक के कदाचरण को भी गौर से देखते रहते हैं ।

यह सही है कि महिला श्रमिकों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही है । इसके कई कारण हैं । एक यह कि स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है ; दूसरे यह कि निर्माण करने के ढंग काफी बदल गये हैं, जिनसे महिला श्रमिकों की जरूरत कम हुई है । परन्तु साथ ही बंगलौर में टेलीफोन उद्योग इत्यादि में महिला श्रमिकों की संख्या काफी बढ़ी है । कपड़ा और पटसन उद्योग में निर्माण के तरीके बदल जाने के कारण महिलाओं की संख्या कम हुई है । बराबर काम के लिए बराबर मजूरी की मांग करना भी इसकी एक वजह है और स्वभावतः मालिक चाहता है कि जो पैसा वह दे उसका पूरा फ़ायदा मिले । अगर औरतें उसी मजदूरी पर कम काम करेंगी तो उन्हें काम पर लगाने में हिचकिचाहट होती ही है । परन्तु न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मर्द और औरत में कोई अन्तर नहीं किया गया । एक यह भी शिकायत है कि मालिक विवाहिता महिलाओं को नौकरी पर लगाने की बजाय बूढ़ी औरतों को ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि उन्हें प्रसूति लाभ अधिनियम के अन्तर्गत गर्भवती होने पर कुछ देना पड़ता है । मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति इन सब बातों पर विचार करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जायेगा । पंजाब के बारे में भी कुछ कहा गया । संयुक्त समिति में सभा के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और हम सभी माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करेंगे । इस सुझाव को भी कार्यान्वित किया जायेगा कि इन अधिनियमों के उपबन्धों का काफी प्रचार कर दिया जाये ताकि श्रमिक महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी हो जाय । यहां सम्बन्धित खंड में कहा गया है कि इसका सारांश और इसके अधीन बनाये गये नियमों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये और उन्हें नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिये । कार्मिक संघों को भी यह कार्य करना चाहिये । कानपुर के संघ ने भविष्य निधि योजनाओं के बारे में ऐसा किया है । उसने भविष्य निधि योजनाओं के उपबन्धों को सरल हिन्दी में अनुवाद करके और छपवा कर बांटा है । अन्य संघ भी इस प्रकार कर सकते हैं ।

मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर संयुक्त समिति विचार कर समुचित निर्णय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कुछ स्थापनाओं में बच्चा पैदा होने से पहले और उसके बाद कुछ समय तक स्त्रियों को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य, अर्थात् :—

श्री अमजद अली, श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री पन्नालाल बारुपाल, श्री भक्त दर्शन, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री भाऊराव कृष्ण राव गायकवाड़, श्री अरविन्द घोषाल, श्री राम कृष्ण गुप्त, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्रीमती मफीदा अहमद, श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा, श्री जियालाल मंडल, श्री कुट्टि कृष्णन् नायर, डा० सुशीला नायर, श्रीमती इला पालचौधरी, श्रीराम गरीब, श्री क० स० रामस्वामी, श्री जगन्नाथ राव, श्री रामेश्वर साहू, श्री शिब्बन लाल सक्सेना, श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री तंगामणि, श्री उमराव सिंह, श्री रामसिंह भाई वर्मा, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री वोडयार, श्री गुलजारीलाल नन्दा इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिमानप्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ समवायों के अधिनियम प्राप्त अंशों पर लाभांशों का विनियमन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विधेयक १५ नवम्बर, १९६० को प्रवर समिति को भेजा गया था और उसे यह आदेश दिया गया था कि वह १५ दिसम्बर तक अपना प्रतिवेदन दे। इस समिति में १५ सदस्य थे । इस समिति की चार बैठकें हुई । समिति ने इस विधेयक के उपबन्धों

---

†मूल अंग्रेजी में

के बारे में विस्तृत रूप से विचार किया और विभिन्न वर्गों जैसे व्यापार तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया गया। इस समिति के प्रतिवेदन से जो कि सर्वसम्मत है स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक के खण्ड ३ और ४ के बारे में ही कुछ संशोधन आये थे और उन्होंने उनकी पूरी छानबीन की थी। मैं उन संशोधनों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

विधेयक के खंड ३ सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग तो १-४-६० से पहले जारी किये तथा बेचे गये अंशों पर अधिमानप्राप्त लाभांशों पर वृद्धि का परिमाण बढ़ाने के बारे में है जिसकी व्यवस्था कि विधेयक में की गई है। दूसरे में उन संशोधनों का उल्लेख किया गया है जो विधेयक के कुछ उपबन्धों को और भी स्पष्ट करता है।

अधिमानप्राप्त अंशों के सम्बन्ध में, जिन पर कि नियत लाभांश को आयकर-मुक्त घोषित कर दिया गया है, अर्थात् जो समवाय को अपना आयकर देने के लिए कुछ भी कमी किये बिना देना होगा, समिति ने यह सिफारिश की है कि वृद्धि के परिमाण को २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। इस सिफारिश के अनुसार ही समिति ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे अधिमानप्राप्त अंशों के मामले में, जिन पर नियत लाभांश में समवाय अपने आयकर के सम्बन्ध में कमी कर सकेगा, वृद्धि का परिमाण ७ प्रतिशत से बढ़ा कर ११ प्रतिशत कर दिया जाये। इसी के अनुसार खंड ३ के उपखंडों (१), (२) और (४) में संशोधनों का सुझाव कर दिया गया है। इन संशोधनों का प्रभाव यह होगा कि १० प्रतिशत करमुक्त अधिमान प्राप्त लाभांश के मामले में जिस राशि की घोषणा की जायेगी वह १३ प्रतिशत होगी। कराधीन १० प्रतिशत अधिमानप्राप्त लाभांश के मामले में घोषित की जाने वाली राशि ११.१ प्रतिशत होगी। लेकिन कराधीन अंशों के सम्बन्ध में समवाय वास्तव में जिस राशि का भुगतान करेगा वह ११.१ प्रतिशत तो होगी परन्तु उसमें आयकर के सम्बन्ध में २० प्रतिशत कमी की जा सकेगी क्योंकि समवायों पर इसी दर से आयकर लागू किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध भुगतान ८.८८ प्रतिशत किया जायेगा। प्रस्तावित वृद्धियों का शुद्ध परिणाम यह होगा कि अंशधारियों को समवाय कर-मुक्त अथवा कराधीन अधिमानप्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में कुल जितनी राशि देते थे उसमें ३० प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

लाभांशों की वृद्धि का परिमाण का सुझाव देते समय समिति ने इस सम्बन्ध में दो विरोधी विचारधाराओं पर विचार किया। बहुत से प्रतिनिधित्वों में यह सुझाव दिया गया था कि यह वृद्धि ४२ प्रतिशत तक होनी चाहिये। दूसरी ओर बहुत से लोगों का विचार था कि विधेयक में जिस वृद्धि के परिमाण की व्यवस्था की गई है वह ही काफी है और अधिक लाभांश देने की बात समवायों के स्वविवेक पर ही छोड़ दी जाये। समिति ने दोनों ही दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात् बीच का रास्ता ही अपनाया। लाभांशों में अनिवार्य वृद्धि की कानूनन व्यवस्था करते समय, जोकि समवाय एवं उन के अंशधारियों का ही मुख्यतः मामला है, हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम सावधानी से आगे बढ़े। लाभांशों का भुगतान करने की क्षमता सभी समवायों की एक सी नहीं है। अतः उपयुक्त बात यह होगी कि कुछ न्यूनतम राशि निश्चित कर दी जाये और यह मामला उन समवायों पर छोड़ दिया जाये जो न्यूनतम के अतिरिक्त अधिक लाभांश की घोषणा कर सकते हैं ताकि वे अधिक लाभांश की घोषणा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया के अनुसरण में कर सकें। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सरकार की राय यह है कि इस मामले में समिति की सिफारिश स्वीकार्य है।

अब मैं खंड ४ के बारे में प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख करता हूं। मूल खंड ४ में यह व्यवस्था की गई है कि उस समवाय में, जिस के लाभांश पर आंशिक रूप में कर लगता है, अधिमानप्राप्त

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

लाभांशों में वृद्धि, जिस का उल्लेख खंड ३ में किया गया है, लाभांश के केवल उस अंश पर आंकी जायेगी जोकि समवाय के करारोपित लाभ हैं। प्रवर समिति ने खंड ४ के बारे में यह सिफारिश की है कि उस के उपबन्ध केवल उन्हीं समवायों पर लागू किये जाये जिन की कृषि सम्बन्धी आय होती हो और लाभांशों के केवल उसी अंश को, जो इस प्रकार की आयों से आता हो, लाभांशों की वृद्धि की अपेक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिये। खंड ४ का मुख्य उद्देश्य उन समवायों को लाभांश की वृद्धि के भार से मुक्त करना है क्योंकि कृषि आय सदैव ही आयकर से मुक्त रही है और ऐसी आयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे समवायों पर किये जाने वाले करारोपण की कमी किसी भी रूप में उस समवाय में बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं करती ताकि वे बढ़े हुए लाभांशों की घोषणा कर सकें। इस समिति ने यह भी अनुभव किया कि खंड ४ के क्षेत्र को दूसरे समवायों पर बढ़ाने से जटिलता ही उत्पन्न होगी और उस जटिलता से बचना चाहिये। प्रवर समिति द्वारा संशोधित खंड ४ केवल उन्हीं समवायों पर लागू होगा जिन को कृषि सम्बन्धी आय होती होगी। इन समवायों में चाय समवाय भी आते हैं और इन समवायों की केवल ४० प्रतिशत आय पर आय-कर लगाया जाता है क्योंकि शेष को कृषि सम्बन्धी आय माना जाता है और जो आय-कर से मुक्त मानी जाती है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सभा इन संशोधनों को स्वीकार कर ले।

मैंने इन संशोधनों का उल्लेख कर दिया है। विधेयक के उपबन्धों के बारे में विस्तृत रूप से मैं उस समय बता चुका हूं जबकि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन अधिमानप्राप्त अंशों के बारे में क्या किया जायेगा जिन्हें आय-कर मुक्त बोनस मिलता है और उस के बाद लाभ में भाग लेने की छूट भी उन्हें प्राप्त है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यह विधेयक केवल अधिमानप्राप्त अंशों के बारे में है और संथाओं के नियम के अधीन उन्हें क्या मिलता है यह एक दूसरी ही बात है। जिस प्रकार के अंशों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है और उन्हें यदि ६ प्रतिशत लाभांश मिलता है तो उन्हें ३० प्रतिशत और अधिक मिल सकता है।

†**श्री त्यागी :** आय-कर मुक्त अधिमानप्राप्त अंश भी है जिन्हें कभी-कभी उस समवाय के लाभ में भी भाग लेने की छूट है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** शायद यह एक दूसरी ही बात है। वह मैं नहीं जानता। न तो प्रवर समिति ने इस पर विचार ही किया है और न यह मामला उसके सामने रखा ही गया था। यदि ऐसे अंश है तो उन का निपटान संथा के नियमों अथवा समवाय विधि के अनुसार किया जायेगा। यहां तो हम केवल अधिमान प्राप्त अंशों की ही चर्चा कर रहे हैं और उन्हें ३० प्रतिशत मिलेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मुझे यह देख कर अतीव प्रसन्नता है कि इस मामले में प्रवर समिति ने एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला है। अधिमानप्राप्त अंश हमारी वित्त व्यवस्था के बड़े ही महत्वपूर्ण एवं अविच्छिन्न अंग हैं और न तो सरकार ही और न यह सभा ही समवायों पर कर लगाने के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ऐसा कोई काम करना नहीं चाहेगी जिस से अधिमान-प्राप्त अंशों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विपत्ति एकीकरण योजना (ग्रोसिंग अप स्कीम) की समाप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। एकीकरण योजना की नीति के कारण अधिमानप्राप्त अंशों को क्या मिलेगा इस बारे में दो निर्वचन हुए। इस विधेयक की दृष्टि से अधिमानप्राप्त अंशों के दो रूप हैं। उन का एक रूप तो आय-कर-मुक्त रूप है और दूसरे वे अंश हैं जिन पर आय-कर लगाया जायेगा। अधिमानप्राप्त अंश वास्तव में समवाय और अंशधारियों के बीच सहमति पर आधारित होते हैं। भिन्न भिन्न समवायों ने अधिमानप्राप्त अंशों को धारण करने वालों के अधिकारों की परिभाषा भिन्न भिन्न ढंग से की है जिस का अर्थ वास्तव में यह होता है कि यह किसी समझौते पर आधारित होते हैं। सरकार के सामने प्रश्न यह है कि कराधान के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप, जिस का समवायों ने विशिष्ट अर्थ निकाला है, इस समझौते में शामिल एक पक्ष को जो हानि हुई है उस को ध्यान में रखते हुए इन समझौतों में रूपभेद कराने के लिये वह हस्तक्षेप करे या नहीं। अधिमानप्राप्त अंशों के सम्बन्ध में सुरक्षा की जो भावना निहित रहती है उस का जब मूलाधार ही नष्ट हो गया तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही था। प्रवर समिति ने भिन्न दृष्टिकोणों में जिस प्रकार का समझौते का मार्ग निकाला है, उस का स्वागत किया जाना चाहिये।

प्रवर समिति ने विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि कर-मुक्त और कराधीन अधिमानप्राप्त अंशों के मामले क्रमशः ३० प्रतिशत और ११.१ प्रतिशत का समायोजन ही समुचित और तर्कसंगत होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हम कर-मुक्त ३० प्रतिशत की छानबीन करें तो वास्तव में वह उन सम्पूर्ण लाभों के बराबर नहीं बैठेगा जो ग्रोसिंग की योजना लागू होने से पहले उन्हें मिलते थे। परन्तु यदि हम ४३ प्रतिशत तक गये होते तो वह कई समवायों की कमर तोड़ देता। अतः प्रवर समिति ने यह उचित ही निर्णय किया है कि यह ३० प्रतिशत और ११ प्रतिशत होना चाहिये। यदि हम ३० प्रतिशत से आगे बढ़ते हैं तो साधारण अंशों पर उस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और उन की कीमत घट जाती। मेरे विचार में इस मध्यवर्ती मार्ग के अपनाने से अधिमानप्राप्त अंशधारियों की सुरक्षा होगी। अतः मुझे आशा है कि इन बातों को ध्यान में रख कर सभी इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

†**श्री रामसिंह भाई** वर्मा (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिफिरेंस डिवीडेंड सम्बन्धी जो ज्वायंट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, उस का मैं भी एक सदस्य था और इसलिये उस के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैंने इस मामले को देखा तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ गया। हमारे यहां देहातों में कहा करते हैं, "सुनारी लड़ाई" यानी यह कि किस तरह पैसे वालों के बीच लड़ाई होती है और फिर किस तरह वह आपस में ही निपट जाती है। इस बिल के बारे में ज्वायंट कमेटी में जो समझौता हुआ उस का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जहां तक डिविडेंड आन शेअर्स का मामला है एक तो आर्डिनरी शेअर होता है जिस को कम्पनी ऐक्ट के अनुसार डिविडेंड प्राप्त होता है और दूसरा प्रिफरेंस शेअर होता है जिस को डिविडेंड कम्पनी और शेअर होल्डर्स दोनों के बीच जो ऐग्रिमेंट होता है उसके अनुसार प्राप्त होता है। आर्डिनरी शेअर तो एक मामूली आदमी भी प्राप्त कर सकता है सौदे में, अगर उसे मौका मिल जाय, लेकिन जहां तक प्रिफरेंस शेअर का सवाल है, यह पैसे वालों के बीच का मामला है। जिस के पास ज्यादा धन होता है जैसे कारपोरेशन वगैरह हैं, ट्रस्ट्स

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

वगैरह हैं, उसी को वह प्राप्त होता है और वही प्राप्त कर सकता है। जब सन् १९५९ का नया टैक्सेशन लागू हुआ, उस वक्त जो उन को डिविडेंड के तौर पर टोटल रकम मिलती थी, उस में काफी रिडक्शन हुआ। उस रिडक्शन के होने के कारण उन्हें असन्तोष होना एक तरह से स्वाभाविक सा था। गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया और वह बिल के रूप में उसे लाई। जब यह मामला ज्वायेंट कमेटी में था तो आपसी ऐग्रिमेंट से बहुत आसानी से हल हुआ, इसलिये इस में हमें हर्ष होना चाहिये। इसीलिये मुझ इस मामले में कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि यह बात जरूर है कि अभी भी शेयरहोल्डर्स को पहले से कुछ लास है। उनकी शिकायत हो सकती है कि इस एग्रीमेंट के बावजद भी उनको जो रकम १९५९ के पहले मिलती थी उससे कम रकम मिलेगी। लेकिन नए टैक्सेशन के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ा है, तो इस मामले में प्रिफिरेंस शेयरहोल्डर्स के प्रति कोई ज्यादा सख्ती नहीं कही जा सकती। चूंकि यह मामला अब आपसी समझौते से निपट गया है इसलिये मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

†श्री महन्ती (ढेकानल) : इस विधेयक के कुछ मूलभूत सिद्धांतों एंव आवश्यकताओं को देखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं देखता हूं कि समवाय को चाहे लाभ हो या न हो अधिमानप्राप्त अंशधारियों का लाभांश तो सुरक्षित ही रहता है। सारा खतरा साधारण अंशधारियों को ही उठाना पड़ता है। इसलिये यह विधेयक अधिमानप्राप्त अंशधारियों के प्रति पक्षपात करता है और साधारण अंशधारियों के साथ न्याय नहीं करता।

इस विधेयक के लागू होने से पूर्व ७ प्रतिशत का लाभांश तो सुनिश्चित ही था और यह अधिकतर सम्बन्धित दलों के आपसी समझौते पर निर्भर करता था। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार ने इन दोनों पक्षों के आपसी मामले में क्यों हस्तक्षेप किया। और न ही यह ही बात समझ में आई कि अधिमानप्राप्त अंशधारियों के साथ पक्षपात क्यों किया गया है। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†श्री मुरारका (झुंझुनू) : मेरे पूर्व वक्ता ने सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का जो प्रश्न उठाया है वह ऐसा प्रतीत होता है कि जब इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो स्पष्ट कर दिया गया था कि समवायों पर कर लगाने की नई योजना लागू करने पर सरकार ने ग्रोसिंग पद्धति नामक परिपाटी का अंत कर दिया था और कराधान की दर ५६ प्रतिशत से घटाकर ४५ प्रतिशत कर दी थी और यह आशा थी कि यह ११ प्रतिशत की राशि अधिमानप्राप्त अंशधारियों एंव साधारण अंशधारियों को मिल जायेगी और इस प्रकार अंशधारियों को कोई हानि न होगी। परन्तु दुर्भाग्यवश जब यह योजना लागू की गई तब अंशधारियों को अपनी १०.२२ रुपय की कुल आय में ३.२२ रु० का घाटा उठाना पड़ा। इनकी इस हानि को देखकर सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि इन्ह कुछ सहायता दी जानी चाहिये। मूल अधिनियम में २५ प्रतिशत सहायता की व्यवस्था की गई थी जिसे प्रवर समिति ने अपर्याप्त समझकर ३० प्रतिशत कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अधिमानप्राप्त अंशधारियों एवं साधारण अंशधारियों के बीच भेदभाव का बर्ताव क्यों किया जाना चाहिये । साधारण अंशधारियो के लिये लाभांश की कोई निश्चित सीमा नहीं है । निदेशक मंडल उन्हें कितना ही लाभांश देने की धारणा कर सकते हैं । जब कि अधिमानप्राप्त अंशधारियों के साथ वे ऐसा नहीं कर सकते । उन्हें तो उतना ही दिया जा सकता है जितने के लिये कि उनके साथ समझौता हुआ है । १६५६ के समवाय अधिनियम के द्वारा मतदान का अधिकार भी अधिमानप्राप्त अंशधारियों से ले लिया गया है । एक दूसरी बात भी है कि साधारण अंशधारियों को न केवल अधिक लाभांश ही मिलता है नवर अंशों की पूंजी-मूल्य भी बढ़ जाता है । इस प्रकार अधिमानप्राप्त अंशधारियों को मतदान का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि उन्हें धन की भी हानि हुई । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । वैसे तो सरकार ने इस बात की काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा की कि समवाय स्वयं इस हानि की पूर्ति करें लेकिन उनके द्वारा कुछ न किये जाने पर सरकार ने यह विधेयक तैयार किया । अनिवार्य सीमा निर्धारित करके प्रवर समिति ने इस विधेयक में उचित ही संशोधन किया है । इस से इन अधिमानप्राप्त अंशधारियों को कुछ सहायता ही मिलेगी । अतः मेरा विचार है कि इस विधेयक के बारे में दो मत नहीं होंगे और सभा सर्वसम्मति से इसका समर्थन करेगी ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : प्रवर समिति की भांति यहां भी हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं करते । हम ने इसका निर्णय प्रवर समिति पर छोड़ दिया था क्योंकि सरकार की रुचि किसी भी पक्ष में अर्थात् अधिमानप्राप्त अंशधारियों अथवा साधारण अंशधारियों में नहीं थी । 'ग्रासिंग' की समाप्ति का सिद्धान्त मार्च, १९५९ में स्वीकार कर लिया गया था अतः यह उपबंध तो उसी का आनुषंगिक है । श्री भरूचा इस बात से सहमत नहीं हैं कि 'ग्रासिंग' समाप्त किया जाना चाहिये । लेकिन 'ग्रासिंग' की समाप्ति का निर्णय मार्च, १९५९ में कर लेने के बाद से यह अनिवार्य हो जाता है कि अधिमानप्राप्त अंशधारियों एवं साधारण अंशधारियों के बीच अंतर रखा जाये ।

जैसा कि श्री मुरारका ने बताया है कि समवायों पर पहले कराधान की दर ५६.५ प्रतिशत थी जो घटा कर ४५ प्रतिशत कर दी गई है । तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह ११.५ प्रतिशत साधारण अंशधारियों को ही मिले । अधिमानप्राप्त अंशधारियों का भी कुछ हक है । आयव्ययक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि "हम स्थिति का परायण कर रहे हैं और आशा करते हैं कि समवाय स्वयं अधिमानप्राप्त अंशधारियों के साथ न्याय करेंगे" । हमने देखा कि कुछ समवाय जो इनको कुछ देना चाहते थे वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि समवाय अधिनियम के उपबन्ध ही कुछ ऐसे थे और समवाय की साधारण समिति में संकल्प पारित करने की भी कठिनाई उनके सामने थी । इसलिये सरकार ने यह सोचा कि जो समवाय अधिमानप्राप्त अंशधारियों को अधिक देना चाहते हैं उनके लिये अनिवार्य न्यूनतम सीमा निर्धारित कर के उनकी सहायता करे । यदि वे हम से अधिक देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत किया जायेगा । ऐसा करने के लिये समवाय संशोधन विधेयक में काफ़ी उपबंध हैं ।

जब से प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया है तब से लेकर अब तक न तो समाचार पत्रों में ही और न कहीं दूसरे लोगों द्वारा इसकी आलोचना की गई है । यहां तक कि हमें जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रशंसा ही की गई है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समिति ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । कोई विमति टिप्पण नहीं आया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

श्री भरूचा और श्री मसानी ने समिति की कार्यवाहियों में प्रमुख भाग लिया और उन की विचार-धाराओं पर समिति में पूर्ण रूपेण विचार किया गया। अतः मेरा निवेदन है कि सभा प्रवर समिति के इस प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ समवायों के अधिमानप्राप्त अंशों पर लाभांशों का विनियमन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ७, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ७, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों ने संयुक्त समिति के उस प्रतिवेदन को देखा होगा जो सभा पटल पर ५ दिसम्बर को रखा गया था। समिति ने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। मूल विधेयक में इसके लागू करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। अब यह सिफारिश की गई है कि यह नयी विधि, सभी राज्यों में, ३१ दिसम्बर १९६१ से लागू कर दी जाये। इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक बना दिया गया है अब ५ अथवा उससे अधिक कर्मचारियों से अधिक काम लेने वाले सभी मोटर परिवहन उपक्रम इसके क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे। राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें तो वे इसे उन उपक्रमों पर लागू कर सकें जहां कि ५ से कम कर्मचारी काम करते हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रारम्भ में मोटर परिवहन सेवा को तीन स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया था अर्थात् नगर सेवा, दूर जाने वाली यात्री सेवा और दूर जाने वाली मालवाही सेवा। अब इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है और सभी प्रकार की सेवाओं के लिये एक से काम के घंटों और कार्यक्रम की व्यवस्था कर दी गई है।

दैनिक और साप्ताहिक विश्राम के घंटे क्रमशः ८ और ४८ निश्चित कर दिये गये हैं। और काम के घंटों का फैलाव एक दिन में १२ घंटों से अधिक नहीं होगा। काम करने की पारी भी ३ से घटा कर २ कर दी गई हैं।

कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निरीक्षकों के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे किसी मोटर गाड़ी को रोक कर उसके कागजात भी जब्त कर सकते हैं।

समिति ने एक और परिवर्तन किया है और वह छूट देने के बारे में है। राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अधीक्षक एवं प्रबन्ध कर्मचारियों को व अंशकालिक कर्मचारियों को कानून के उपबंधों से मुक्त कर सकेंगी। परन्तु इस प्रकार की छूट की मंजूरी देने सम्बन्धी संशोधनों की एक अग्रिम प्रति उन्हें केन्द्रीय सरकार को देनी होगी।

नियोजकों एवं कर्मचारियों के संगठनों से बहुत से ज्ञापन तथा अभ्यावेदन मिले थे। उनमें से कुछ प्रतिनिधि तो साक्ष्य देने के लिये समिति के सामने भी आये। उनकी सभी बातों पर विचार किया गया तथा उसी के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। शुरू में बहुत से संशोधन आये लेकिन बातचीत के दौरान में मतभेद दूर होते गये और जो प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया गया है वह एक प्रकार से सर्वसम्मत जैसा ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि हमें अब दूसरे विषय पर विचार करना है अतः माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के ऊपक्रमों के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा १३ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार करेगी :—

(१) "कि यह सभा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन पर, जो ९ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

(२) "कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, उनके स्वरूप, संगठन, संसदीय नियंत्रण और ऐसे वित्तीय सिद्धान्तों के, जिनसे वे व्यवस्थित होने चाहियें, मामले में सुदृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाये।"

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से सरकारी उद्योग क्षेत्र गैर-सरकारी उद्योग से एक बात में आगे है और वह है उसकी अत्यधिक नाजुक मिजाजी। अपनी आलोचना करने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

वालों के प्रति उसका यह दृष्टिकोण है कि "मुझे मत छुप्रो" अथवा "जो मेरे साथ नहीं हैं वे मेरे विरुद्ध हैं" । इसलिए मुझे अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत हिचक हो रही है ।

मेरा विचार है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र समाजवाद की विलास-वस्तु नहीं है वरन् उसका एक निश्चित प्रयोजन है । मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में विचार करने के दो मानदंड हो सकते हैं : (१) उसका हमारे योजना संसाधनों में योग और (२) एक आदर्श नियोजक के रूप में उसका दृष्टिकोण एवं आचरण ।

जहां तक योजना संसाधनों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि दूसरी योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र का योग बहुत कम रहा है । तीसरी योजना के सम्बन्ध में प्रारूप में यह उल्लेख है कि सरकारी क्षेत्र का योगदान लगभग ४४० करोड़ रुपये है जिसमें से १४० करोड़ रुपये राज्य सरकारों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र द्वारा दिये जायेंगे । इस समय हमारा राज्य सरकारों द्वारा चालित सरकारी क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उनके सम्बन्ध में हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है ।

भारत सरकार के अन्तगत सरकारी उद्योग क्षेत्र को ३०० करोड़ रुपये देने हैं । मेरा निवेदन है कि यह प्राक्कलन बहुत अधिक है और उसका कोई ठोस आधार नहीं है । मैं चाहता हूं कि चाहे वह राशि कुछ भी हो उसकी प्राप्ति मूल्य की नीति द्वारा की जानी चाहिये । मेरा विचार है कि सरकारी क्षेत्र की इस समय कोई भी मूल्य नीति नहीं है । उदाहरण के लिये यदि हम हिन्दुस्तान स्टील को लें तो हम जानते हैं कि सब सामग्री सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हाने पर भी वहां जो इस्पात बनाया जा रहा है वह संसार में सबसे अधिक महंगा है । दूसरी ओर जापान हमारे लौह अयस्क का आयात करता है फिर भी जापानी इस्पात भारतीय इस्पात से सस्ता है । इसका कारण यही है कि आज हमारे सरकारी क्षेत्र में कोई मूल्य नीति नहीं है । इसलिये हमें इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिये ।

इसके बाद मैं श्रमिक संबंधों पर आता हूं । मैं पहले कह चुका हूं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को एक आदश नियोजक जैसा आचरण करना चाहिये । परन्तु सभा को ज्ञात है कि हिन्दुस्तान स्टील ने रूरकेला इस्पात संयंत्र को अभी तक सब प्रकार के श्रमिक कानूनों से पृथक् रखा है । वे विशेषाधिकार चाहते हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र की बराबरी नहीं पसन्द करते हैं । इसलिये हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के नाम में मुनाफाखोरी हो रही है और श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है ।

अब मैं संसदीय नियन्त्रण को लेता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । मेरा निवेदन है कि हमारी जिम्मेदारी नाम मात्र की ही है । उदाहरण के लिये इस्पात को ही ले लीजिये जिसमें हमने ३०० करोड़ रुपए विनियोजित किये हैं । सभा को इस के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये मुश्किल से तीन घण्टे मिलते हैं जिसमें से डेढ़ घण्टा माननीय मंत्री ले लेते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि संसदीय नियन्त्रण को प्रभावी बनाना है तो सभा को इन प्रश्नों की चर्चा करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। ब्रिटेन में भी संसदीय नियन्त्रण केवल सैद्धान्तिक है और वास्तविक नियन्त्रण मंत्रियों के ही हाथ में है । हम देखते हैं कि माननीय मंत्री चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ो निदेश दे सकता है। यद्यपि सिद्धांततः मंत्री सभा के प्रति उत्तरदायी हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि चेयरमैन और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । उसके सम्बन्ध में भी हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं । इसलिये हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में तमाम सेवानिवृत्त अधिकारी भरे पड़े हैं । उदाहरण के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक सेवानिवृत्त

महासचिव सिन्दरी फर्टिलाइजर्स के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी हैं और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के बोर्ड में भी हैं। यह ठीक नहीं है।

अन्त में मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल की सिफारिश के अनुसार मंत्री को सर्वोपरि शक्तियां दी गई हैं। इसलिये यदि उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाएगा तो सरकारी उद्योग क्षेत्र एक सरकारी विभाग मात्र रह जाएगा जिस पर संसद् का नाम मात्र का नियन्त्रण होगा।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री गुन्नार मिरडल ने हमारे आयोजन को अराजकता का नृत्य कहा है। मैं नहीं कह सकता कि समस्त आयोजन के सम्बन्ध में यह अभ्युक्ति कहां तक सही है परन्तु जहां तक सरकारी उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है उसके लिये ये शब्द सर्वथा उपयुक्त हैं। यदि हम अपने सरकारी उद्योग क्षेत्र को देखें तो ज्ञात होगा कि अनेक प्रकार के संगठन मौजूद हैं। कुछ निगम हैं और कुछ समवाय। जहां तक सरकारी समवायों का सम्बन्ध है हमारे महालेखापरीक्षक ने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये इन समवायों का निर्माण संविधान तथा समवाय विधि के साथ कपट है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में किस प्रकार का संगठन उपयुक्त होगा। इस पहलू के सम्बन्ध में भली प्रकार विचार किया जाना चाहिये।

एक पहलू और भी है। उदाहरण के लिये टाटा लोकोमोटिव जैसे कुछ संगठन हैं जिनमें सार्वजनिक धन विनियोजित किया गया है। उनके प्रतिवेदन इस सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें कि पोर्ट ट्रस्टों, रिजर्व बैंक अथवा राज्य बैंक के प्रतिवेदन सभा में क्यों नहीं पेश किये जाते हैं ताकि उन पर चर्चा की जा सके?

जहां तक वित्त पोषण का सम्बन्ध है, मुझे ज्ञात हुआ कि प्राक्कलन समिति में इस विषय पर चर्चा हुई थी और यह सिफारिश की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के समवायों अथवा निगमों के वित्त का कुछ भाग जनता को उपलब्ध किया जाना चाहिये। उस सिफारिश का क्या हुआ? मेरा निवेदन है कि यदि सरकारी समवायों के अंश जनता को उपलब्ध कर दिये जायेंगे तो सरकार को इन परियोजनाओं के लिये अधिक धन मिल सकेगा और साथ ही उन पर कुछ चौकसी भी रहेगी।

फिर मैं मूल्य नीति का प्रश्न लेता हूं। अब वह समय आ गया है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में मूल्य नीति देश की अर्थ व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिये। कल हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स का निर्देश किया गया था। उसके प्रतिवेदन में ८० लाख रुपए का लाभ दिखाया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रतिवेदनों में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि वह उत्पादन लाभ है अथवा एकाधिकार लाभ। इस प्रकार का भेद किया जाना आवश्यक है क्योंकि उत्पादन लाभ तो कायदे से विनियोजन पर लाभ है जो प्रबन्धकों, श्रमिकों और पूंजी के सम्मिलित प्रयत्न से होता है। जहां तक एकाधिकार लाभ का सम्बन्ध है, वह अलग दिखाया जाना चाहिये। तभी हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सही स्थिति मालूम हो सकेगी।

जहां तक मूल्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, कल एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि जिस चीज़ का उत्पादन किया जाय वह लागत मूल्य पर बेची जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमें मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में यह विचार करना चाहिये कि उससे उपभोक्ता को वास्तव में कितना लाभ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

होगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक इंजैक्शन की शीशी का मूल्य तो आठ या दस आने होता है परन्तु जो डाक्टर इंजैक्शन लगाता है वह ३ रुपए या ५ रुपये ले लेता है। इसलिये इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

एक अन्य खास बात यह है कि इन सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों से सम्बन्धित काननों का समुचित पालन नहीं किया जाता है। वे अपने को उनसे मुक्त समझते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे उपक्रमों में श्रमिकों को बोर्डों में कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। अभी तक उद्योगपतियों पर यह दोषारोपण करते थे कि उन्होंने उनकी सदस्यता पर एकाधिकार कर रखा है। परन्तु अब, जैसा कि श्री मुरारका ने संकेत किया, कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी कई कई बोर्डों के सदस्य बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि सरकारी क्षेत्र को इन बोर्डों में काम करने के लिये ठीक तरह के व्यक्ति मिलने में कठिनाई क्यों होती है।

इस के अतिरिक्त हम देखते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग उपक्रमों के बोर्डों में भी भूतपूर्व सरकारी पदाधिकारी भरे हुए हैं। वे वैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं वरन् अपने सम्बन्धियों को समवाय में नौकरी दिलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिये माननीय मन्त्री को यह बताना चाहिये कि वह किस प्रकार के सदस्य बोर्ड में रखना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे और सरकारी क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को दूर कर के उसे संसद् के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयत्न करेंगे।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। गत वर्ष जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान मैंने यह सुझाव दिया था कि एक सतर्कता समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की देखभाल करे। फ्रांस में इस प्रकार की समिति बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की समिति शीघ्र नियुक्त की जाये क्योंकि हम सभा में सरकारी उपक्रमों के समस्त पहलुओं की चर्चा नहीं कर सकते हैं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं सदा सरकारी उद्योग क्षेत्र के विस्तार का स्वागत करता आया हूं। इसका कारण यह है कि हम यह चाहते थे कि समस्त महत्वपूर्ण तथा प्रतिरक्षा से सम्बन्धित उद्योग सरकार अपने हाथ में ले ले जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर उसका नियन्त्रण स्थापित हो सके। दूसरे इन उपक्रमों से जो लाभ होगा उसे देश के विकास कार्य में लगाया जा सकेगा। परन्तु हम देखते हैं कि इनमें से एक भी प्रयोजन पूरा नहीं हो सका है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योगों पर एकाधिकार किया है। परन्तु मूल्य कम न हो सकने के कारण जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसी उद्योग का विस्तार और उपयोगिता तीन बातों पर निर्भर होती हैं : वित्तीय मामलों में वाणिज्यिक दृष्टिकोण, प्रबन्ध तथा कार्य दोनों के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी और श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध।

जहां तक पहली बात--वाणिज्यिक दृष्टिकोण-का सम्बन्ध है, हमारे अधिकांश सरकारी उपक्रमों में ऊपर का खर्च बहुत अधिक है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा संकेत किया जा चुका है। जब तक लालफीताशाही को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ऊपर का खर्च कम करना सम्भव नहीं होगा। यदि ऊपर के खर्च को कम किया जा सके तो लाभ अधिक हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त चूंकि ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संसद् के नियंत्रण के परे हैं इसलिए उनके प्रशासन में उच्च अधिकारियों की मनमानी चलती है। उदाहरण के लिए रूरकेला इस्पात संयंत्र का विक्रय दल १९५७ से अब तक रूरकेला से कलकत्ता और कलकत्ता से रूरकेला तीन बार बदला जा चुका है। यह तुगलकी ढंग शासन के लिए बहुत हानिकर है।

जहां तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का संबंध है, मैं समझता हूं कि प्रबन्धकवर्ग में प्रशासकीय अनुभव प्राप्त कोई भी व्यक्ति रखा जा सकता है। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आई० सी० एस० अधिकारी केवल आई० सी० एस० होने के कारण प्रबन्ध ठीक चला सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि नौजवान पूंजीपतियों को लिया जा सकता है। उन्हें अनुभव तो अवश्य अधिक होगा परन्तु उसमें एक खतरा भी है। हमें ज्ञात हुआ है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अनेक वर्षों तक कोई ढलाईघर इसलिए नहीं खोला कि बोर्ड का एक सदस्य एक कारखाने का मालिक था जो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को ऊंची दर पर ढलाई की चीज़ों का संभरण करता था।

कारखानों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी कठिनता से मिलते हैं क्योंकि वेतन बहुत कम हैं। भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल्स में गत वर्ष प्रवीण कर्मचारियों के ४० पद रिक्त रहे आए। अच्छे लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में चले जाते हैं क्योंकि वहां अधिक वेतन मिलता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रशिक्षण देने के लिए उपबन्ध है परन्तु वह इतना मंहगा है कि साधारण कर्मियों के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है।

मजदूरों के साथ संबंध भी सरकारी उद्योगक्षेत्र में अच्छे नहीं हैं। एक ही प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों की सेवा शर्तें एक दूसरे से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान स्टीलस में अर्ध-प्रवीण और प्रवीण कर्मचारियों के वेतन क्रम सब इकाइयों में समान नहीं हैं। इसलिए पदों और वेतनों का प्रमापीकरण आवश्यक है।

प्रतिनिधि कार्मिक संघों के प्रति दृष्टिकोण भी एक उपक्रम से दूसरे में भिन्न है।

तीसरे, श्रमिकों को प्रबन्धकों के पक्षपात् के आधार पर चुना जाता है और काम दिलाऊ दफ्तरों का उचित लाभ नहीं उठाया जाता है। उपस्थित बोनस और तदर्थ प्रसादत: भुगतान की प्रणाली भी शुरू नहीं की गई है यद्यपि परियोजना समन्वय समिति द्वारा उसकी सिफारिश की जा चकी है।

जहां तक विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का संबंध है, वह अभी तक बहुत प्रभावी नहीं है। लगभग एक वर्ष पूर्व कुछ प्रतिरक्षा संस्थापनों में कुछ विदेशी खराद मशीनें देखने पर जब मैंने यह पूछा था कि वे मशीनें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से क्यों नहीं खरीदी गईं तब मुझे विभिन्न तर्क दिए गए थे। यह ठीक नहीं है और हमें समन्वय की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए।

अंत में मैं यही कहूंगा कि संसद् का सरकारी उद्योग क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो यह उत्तर दिया जाता है कि सीधे संबंधित अधिकारियों से पूछा जाय क्योंकि वे संविहित निकाय हैं। परन्तु जब हम उन्हें पत्र लिखते हैं तो वे कोई उत्तर ही नहीं देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि संसद् को इन उपक्रमों पर समुचित नियंत्रण रखना चाहिए जो यह समझने लगे हैं कि वे कोई गलती नहीं करते हैं।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में २,००० करोड़ रुपया लगाया गया है। जो समवाय आज कल पूरी तरह काम कर रहे हैं उनकी पूंजी २०० करोड़ है। इन सरकारी उपक्रमों की सफलताओं पर गर्व किया जा सकता है। इनसे अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर के कहने अनुसार इनसे ४, ५ करोड़ रुपये से कुछ ही कम प्राप्त हो रहा है। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी समवाय भी समवाय विधि के अन्तर्गत आते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह उचित बात है कि सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए योग्य व्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं। इसके लिए युवक व्यापारियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।

†श्री महन्ती : संसद् सदस्यों को निदेशक बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध बात है।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कई सेवा निवृत्त लोग जो समवायों में ले लिये जाते हैं, उनसे खर्चे में काफी वृद्धि हो जाती है। ऐसे लोग केवल बोर्ड की बैठकों में आते हैं और बैठक के बाद चले जाते हैं। कई लोग १६, १७ समवायों के बोर्डों में है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरे सरकारी उपक्रम जैसे पेन्सलीन तथा मशीन टूल्स भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर मध्यवर्ती लोग खराब चीज़ देते हैं तो इसमें इन कारखानों का कोई दोष नहीं है।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो १६, अथवा १७ समवायों में हो। अधिक से अधिक तीन समवायों के निदेशक बोर्डों में सम्मिलित होने की एक व्यक्ति को अनुमति दी जाती है। तीन वाले व्यक्ति बहुत कम है।

†श्री चे० रा० पट्टाभिराम्न् : सरकारी उपक्रमों के लिए प्रबन्ध कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए आयोग अलग नियुक्त किया जाय मैं इस बात में कोई औचित्य नहीं समझता। यह भी गलत है कि उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा चुना जाये। सरकारी उपक्रमों का काम काफी शानदार है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए।

†श्री ब्रजराज सिंह : (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सैक्टर पर हम दो हज़ार करोड़ रुपये लगा चुके हैं, उस पर विचार करने के लिए इस संसद् में कितना समय मिलता है, यह देख कर हैरानी होती है। हम और दूसरे विषयों के लिए बहुत समय निकाल लेते हैं, लेकिन दुख है कि सरकार की तरफ़ से यह प्रयत्न नहीं किया जाता है कि जिस सैक्टर में हमारे करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, उस पर बहस कराने के लिए वह अपनी तरफ़ से पहल करें। मैं चाहूंगा कि भविष्य में सरकार

†मूल अंग्रेजी में

यह प्रयत्न करे कि पब्लिक सैक्टर की सब कार्पोरेशन्ज़ और अन्य इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्टों पर वह अपनी तरफ़ से बहस कराये और इस तरह से पार्लियामेंट को इस विषय में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने का मौका दे ।

जिसे पब्लिक सैक्टर कहा जाता है, मैं सिद्धान्त रूप से उस का समर्थक हूं और उसके विकास और प्रगति का मैं स्वागत करता हूं । अगर उस को सही ढंग से चलाया जाये, तो वह समाजवाद की स्थापना की तरफ एक कदम होगा । लेकिन यह दुख की बात है कि पब्लिक सैक्टर न हो कर वह गवर्नमेंट सैक्टर हो गया है । हम पब्लिक सैक्टर का नाम लेते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में आज जो कुछ हो रहा है, उस को तो सरकारी सैक्टर ही कहा जा सकता है—उस में पब्लिक सैक्टर की बात कतई नहीं है । पब्लिक सैक्टर की कार्पोरेशन्ज़ और अंडरटेकिंग्ज़ को हम एक के बाद एक देख जायें, तो हम को पता लगेगा कि उन पर अधिकाधिक कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का अपना ढांचा वहां काम करता है और जनता के कंट्रोल और दिलचस्पी लेने की बात उसमें नहीं है । इस लिए अच्छा होगा कि जिस को पब्लिक सैक्टर कहा जाता है, उस को गवर्नमेंट सैक्टर न रहने देकर सही अर्थों में पब्लिक सैक्टर बनाने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाये । लेकिन हमें लगता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, जिस की ओर एक से अधिक वक्ताओं ने इस सदन में संकेत किया है, अर्थात् यह कि उस पर इस पार्लियामेंट का अधिकाधिक कंट्रोल हो । जब कांग्रेस पार्टी की कमेटी यह कहती है कि उस पर पार्लियामेंट का अधिक कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि किन दिक्कतों और किन मुसीबतों की वजह से गवर्नमेंट उस पर पार्लियामेंट का अधिकाधिक कंट्रोल रखने में अपने आप को असमर्थ पा रही है । मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी तो बना ही दी जाये, जो कि पब्लिक सैक्टर के सब उद्योगों की देख-भाल कर सके और उस को अधिक कंट्रोल कर के उसे सही मायनों में पब्लिक सैक्टर बना सके ।

इस समय इस विषय में जो अमल हो रहा है, अगर हम उस पर जायें, तो हम देखेंगे कि कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जो अपने में एक अलग साम्राज्य बन गई हैं । उदाहरण के लिए हम लोहे के उद्योग को ले लें । हम ने लोहे के कारखाने पब्लिक सैक्टर में खोल रखे हैं, जो कि अपने में अलग अलग साम्राज्य हैं और वे इस तरह के साम्राज्य हैं कि कारखाने के अन्दर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है । उसके बगैर कोई उन के अन्दर नहीं जा सकता है । मैं यह बात ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । पिछले दिनों उड़ीसा की विधान सभा के सदस्य, श्री नारायण साहू, हिन्दुस्तान के एक प्रमुख आदमी—डा० राम मनोहर लोहिया—को ले कर राउरकेला देखने के लिए गए । इस के लिए उन्हें दो दिन इन्तज़ार करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें इजाज़त नहीं दी गई । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब हिन्दुस्तान का कोई नागरिक—और वह भी ऐसा वैसा आदमी नहीं, विधान सभा का सदस्य और हिन्दुस्तान का एक प्रमुख आदमी—पब्लिक सैक्टर की किसी इंडस्ट्री को देखना चाहता है—क्योंकि यह कहा जाता है कि ये नये मन्दिर बन रहे हैं, जिन के दर्शन करने चाहिए—तो क्यों उन को दो दिन की इन्तज़ार के बावजूद इन नये मन्दिरों के दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाती है । मैं समझता हूं कि उसके पीछे एक भावना है । अगर हम राउरकेला के सैटअप को देखें, तो मालूम होगा कि वहां पर एक हज़ार अफ़सर हैं और तीस हज़ार मज़दूर । अगर हम उन के वेतनों, भत्तों और दूसरी सुविधाओं पर दृष्टिपात करें, तो यह देख कर ताज्जुब होगा कि एक अफ़सर के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर औसतन सात हज़ार रुपया माहवार खर्च किया जाता है, जिस का अर्थ यह है कि एक हजार अफ़सरों पर सत्तर लाख रुपये माहवार खर्च होता है । इस के मुकाबले में एक मज़दूर के वेतन, भत्तों और सर्विस

[श्री ब्रजराज सिंह]

की अन्य सुविधाओं पर औसतन १०० रुपये माहवार का खर्च होता है अर्थात् तीस हजार मजदूरों पर तीस लाख रुपये माहवार खर्च होता है । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार कोई उद्योग चल सकेगा, उस की कोई प्राइस पालिसी—मल्य नीति—चल सकेगी, किस तरह वह उपभोक्ताओं को अपनी चीज़ सस्ते दाम पर दे सकेगा, यदि वहां काम करने वालों के मुकाबले में अफ़सरों पर ढाई गुना ख़र्च किया जायगा । मुझे अफ़सोस है कि राउरकेला में ऐसा ही हो रहा है । पब्लिक सैक्टर की दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अफ़सरों पर जो खर्च किया जाता है, अगर वह वर्कर्ज़ पर किये जाने वाले खर्च से ज्यादा नहीं है, तो कम से कम वह ऐसा जरूर है, जो उचित नहीं है। उस खर्च को घटाया जा सकता है ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

हम देखते हैं कि पब्लिक सैक्टर में जो नये कार्पोरेशन या कम्पनियां बन रही हैं, उन सब में ऐसा ही ढांचा होता है कि कितने ही अफ़सर होते हैं, उन के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, हर एक के पास अलग दफ़तर और टेलीफ़ोन होते हैं, हर एक के लिए एयर-कंडीशनिंग की व्यवस्था होती है, जो कि खर्च को बहुत बढ़ाते हैं । यदि हम इस को वाकई जनता का सैक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम को निश्चित करना पड़ेगा कि हम अफ़सरों पर, उन पर, जो कि निरीक्षण का काम करते हैं, और वर्कर्ज़ पर, उन पर, जो उत्पादन करते हैं, कितना कितना ख़र्च करें । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा, तो हम देखेंगे कि स्टील मिनिस्टर को बार बार कहना पड़ेगा कि अगले कई वर्ष तक स्टील की कीमत नहीं घटाई जा सकेगी । क्या वजह है कि हम एक मानापली की तरह काम कर रहे हैं, हम को कच्चा माल सस्ता मिलता है और सब चीज़ें एक ही जगह मिलती हैं, फिर भी हम कीमत को नहीं घटा सकते हैं ? इस की वजह यह है कि उत्पादन-व्यय बढ़ता जा रहा है । उस को कम करने की ज़रूरत है ।

अभी सरकार ने अन्दाज़ा दिया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सैक्टर में चलाई जा रही इंडस्ट्रीज़ से तीन सौ करोड़ रुपया मिल सकेगा । यह आशा व्यक्त की गई है कि इस सैक्टर से हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ताकि हम अपनी योजनाओं को चला सकें, जिस से हम अपनी जनता पर कम टैक्स लगा सकें । लेकिन कोई भी स्पष्ट तसवीर अभी तक हमारे सामने नहीं आई है कि ३०० करोड़ रुपया किस तरह से मिल सकेगा । उसी के साथ साथ एक दूसरी सिद्धान्त की बात आती है । जब तक आप यह तय नहीं करते हैं कि पब्लिक सैक्टर में पैदा की हुई चीज़ का मूल्य आप क्या रखने जा रहे हैं और मूल्य तय करते वक्त आपका सिद्धान्त क्या होगा तब तक यह कहना कि ३०० करोड़ रुपया मिल सकेगा, या १५० करोड़ रुपया मिल सकेगा या ५० करोड़ रुपया मिल सकेगा या ३० करोड़ रुपया मिल सकेगा, इसके कोई माने नहीं हैं । आपका खर्चा जो है वह एक दम बढ़ता चला जा रहा है । उस पर रोक लगाने की जरूरत है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार जिन इंडस्ट्रीज़ को चला रही है, जिन उद्योगों को खुद चला रही है, उनके लिए यह सिद्धान्त तय करे कि कितना रुपया अफसरों पर खर्च होगा, कितना रुपया वर्कर्स जो उत्पादन करते हैं, उन पर खर्च होगा, कितना रुपया आफिस पर खर्च कर सकते हैं और इन सब बातों के साथ साथ किस तरह से इन उत्पादित चीजों के या दूसरी चीज़ों के मूल्य नाजायज़ तौर पर न बढ़ने पायें, इसके बारे में आप सिद्धान्त तय नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कुछ होने वाला नहीं है । आप कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर बढ़ रहा है । बड़ी खुशी की बात है कि वह बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि वह बढ़े । हम नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर बढ़े और लोगों का शोषण करे । पब्लिक सैक्टर को बढ़ा कर हम प्राइवेट सैक्टर के शोषण को खत्म करते हैं । मैं मानता हूं कि इस तरह का शोषण

नहीं होना चाहिये । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर का स्थान ले ले और जो प्राइवेट सैक्टर करता रहा है, जो शोषण जनता का वह करता रहा है, वही शोषण जनता का पब्लिक सैक्टर करने लग जाये । मुझे लगता है कि आज मुल्क में ऐसी भावना है कि पब्लिक सैक्टर में भी वही बातें की जा रही हैं जो प्राइवेट सैक्टर में की जाती थीं या की जाती हैं । अगर यह भावना मुल्क में फैलती है तो आप विश्वास करें कि उसका नतीजा यह निकलेगा कि लोगों का ध्यान पब्लिक सैक्टर से हट कर प्राइवेट सैक्टर की तरफ जायेगा जोकि लोग नहीं जानते हैं । मैं नहीं समझता कि इससे देश का फायदा हो सकता है । लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर उन्नति करे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर का विकास होने पाये, वे पूंजीपतियों के अलावा और कोई नहीं हैं । मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बात हो । मैं चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर का विकास हो, पब्लिक सैक्टर उन्नति करे । लेकिन मैं चाहता हूं कि हर वह काम किया जाये जिससे कि पब्लिक सैक्टर कामयाब हो । आप आज रिटायर्ड आफिसर्स को बोर्डों पर रख रहे हैं, आप कोई इकोनोमिक सर्विस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप नवयुवकों को ट्रेनिंग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आगे चल कर इन उद्योगों का विस्तार आप करेंगे, इनका एक्सपैंशन आप करेंगे, लेकिन उस काम को सम्भालने के लिए आप नवयुवक तैयार नहीं कर रहे हैं जोकि बहुत जरूरी है । ये सब बातें हैं जिन की तरफ आपका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है ।

इसके साथ ही साथ यह भी मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट का अधिकाधिक कंट्रोल इस सैक्टर पर हो । पार्लियामेंट को पूरा मौका दिया जाना चाहिये कि वह इन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ पर बहस कर सके । जितना समय पार्लियामेंट को इस समय बहस करने का दिया जाता है वह बहुत ही थोड़ा है । बजट सैशन में आप मिनिस्ट्रीज़ को डिसकस करने का काफी मौका देते हैं । उसी तरह से यह भी हो कि जिस सैक्टर में सरकार का दो हज़ार करोड़ रुपया लगा हुआ है, उसको डिसकस करने के लिए प्रोपोरशनेटली उतना ही अधिक वक्त दिया जाये । जहां पर तीन सौ करोड़ या डेड़ सौ करोड़ या पचास करोड़ रुपया लगा हुआ है उस पर बहस करने के लिए तीन घंटे का समय या दो घंटे का समय या आध घंटे का समय ही अब दिया जाता है । इतने थोड़े समय में जो विषय है, उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता है । इसलिए म चाहता हूं कि इस प्रश्न पर मौलिक दृष्टि से विचार किया जाये और आप कोशिश करें कि जो रुपया आप लगा रहे हैं वह रुपया अच्छी तरह से खर्च हो अगर अच्छी तरह से खर्च नहीं होता है, तो यह गम्भीर चिन्ता का विषय हो जाता है । हमें चाहिये कि हम पार्लियामेंट को इन को कंट्रोल करने का अधिकाधिक मौका दें । यह कंट्रोल मिनिस्टरों तक नहीं रहना चाहिये, पार्लियामेंट को और सारे मुल्क की जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि वह देखे कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि जब तक आप मौलिक सिद्धान्त तय नहीं कर देते हैं, मूल्य नीति तय नहीं कर देते हैं, यह तय नहीं कर देते हैं कि वर्कर्स की क्या स्थिति है इन कारखानों में तथा जो दूसरी चीज़ें हैं उनको तय नहीं कर देते हैं तब तक मैं समझता हूं कि पब्लिक सैक्टर के बारे में लोगों में गलतफहमी पैदा होती रहेगी और पब्लिक सैक्टर के बारे में किसी भी गलतफहमी का पैदा होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : सरकारी उपक्रमों में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा लगाये जाने वाले धन के बारे में ही मैं उल्लेख करूंगा । बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक समय में दो परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं । एक ओर तो यह कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

लाभ नहीं दिखा रहे और दूसरी ओर गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी लगाने की अनुमति देने पर विचार हो रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। बताया जाता है कि सामान्य जनता को इन उपक्रमों के अंश धारण करने की अनुमति देने तथा उन्हें कैसे लाभांश दिये जायें, इस प्रश्न पर समिति विचार कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की उन्नति करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों का सहयोग प्राप्त किया जाय। निर्माण कार्य तथा उत्पादन समितियां बना कर सरकारी क्षेत्र में कार्मिक संघ सम्बन्धों को अच्छा बनाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए कायम रखना जरूरी है। हमें अपनी पुरानी भूलों का सुधार करना चाहिए।

†श्री अ० च० गुह (बारसात) : सरकारी क्षेत्रों में जो स्वतन्त्र निगमों का निर्माण किया गया यह प्रयोग अच्छा नहीं रहा। मेरा विचार है कि इन संविहित निगमों की तुलना में समवाय के ढंग का उपक्रम संसदीय नियंत्रण के लिये अधिक उपयुक्त रहता। यह निगम तो संसद् के नियंत्रण में ही नहीं रहे।

सरकारी क्षेत्रों में कुल कितनी पूंजी लगी है उसके बारे में हमें निश्चित तौर पर कुछ भी पता नहीं। इस बारे में तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलन समिति को भी आंकड़े नहीं दिये गये। संसद् को इस सम्बन्ध में बिलकुल अन्धेरे में रखा जा रहा है। माननीय मंत्री को इसी सप्ताह में यह घोषणा करनी चाहिए कि सरकारी उपक्रमों में कितनी पूंजी लगी हुई है और इस दिशा में ठीक आंकड़े सदन को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

१९५३ में जब श्री मावलंकर सभा के अध्यक्ष थे तो यह सुझाव दिया गया था कि सरकारी उपक्रमों के मामलों की जांच करने के लिए संसद् की एक विशेष समिति बनाई जाय। कृष्ण मेनन समिति ने भी एक वर्ष हुआ यही कहा था। परन्तु यह सुझाव काफी समय से खटाई में पड़ा हुआ है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि असैनिक कर्मचारियों को एक से अधिक सरकारी उपक्रमों में मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में नियुक्ति करने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। १७ अधिकारी १४ समवायों के निदेशक हैं। किसी एक व्यक्ति को दो समवायों से अधिक का निदेशक नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं कि सारी व्यवस्था नौकरशाही के सुपुर्द कर दी जाय। मंत्रियों को किस निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। किसी विभाग के सचिव को मैनेजिंग डायरेक्टरों के बोर्ड में नहीं होना चाहिए। उन लोगों को इन मामलों से दूर रहना चाहिए ताकि कोई अनावश्यक उलझन पैदा न हो।

विकास-कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। सभी वित्तीय संगठनों को बम्बई में केन्द्रीकृत करने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के एकाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए और सरकारी नियंत्रण के अधीन कुछ स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। जीवन बीमा निगम को महाखंडों (जोनों) में बांट दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बात का भी पता करना चाहिए कि सरकारी कारखानों में जो औषधियां तैयार होती हैं उनकी कोटि कैसी है। यह बात बड़े

---

†मूल अंग्रेजी में

महत्व की है। तीसरी योजना के लिए जो ४४० करोड़ का अनुमान लगाया गया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकारी उपक्रमों से सामान्य राजस्व को उपलब्ध होने वाले संभाव्य अतिरिक्त धन का अनुमान बहुत अधिक लगता है। सरकार को नफा नहीं कमाना चाहिए परन्तु सरकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागत लेखे का व्योरा उसके पास पूरा होना चाहिये।

इसके लिए कर्मचारियों के भर्ती के लिये भी एक निश्चित नीति होनी चाहिए। यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग चाहे न करे परन्तु सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक पृथक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। अन्यथा यह सभी परिवार पोषण और भ्रष्टाचार का चक्कर ही बन कर रह जायेगा। इस बारे में प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति में कई महत्वपूर्ण मामले प्रकाश में आ चुके हैं। एक केन्द्रीय समिति भी बनाई जानी चाहिए ताकि किसी उपक्रम में जो फालतू सामान पड़ा हो, उसे दूसरे उपक्रम में काम में लाया जा सके। और इस प्रकार सभी उद्योगों में सहयोग बना रहे।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : कितने सरकारी उपक्रमों में मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली अपनाई गई है। क्या सरकार एक ऐसा आदर्श उपस्थित नहीं कर सकती कि विधान बना कर मूल्य निर्धारण प्रणाली को सभी समवायों के लिये अनिवार्य बना दिया जाये।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने में तथा आय की गई राशि का वितरण करने के बारे में क्या सरकार के सामने हमेशा समान वितरण का विचार रहता है? यदि हां, तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक विस्तृत विवरण दिया जाये ताकि लोगों में संदेहों का निवारण हो सके और उन्हें संतोष मिल सके।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रताप गढ़): सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा ही समय लूंगा। मैं देख रहा था कि कल से इस पर बहस चल रही है। राष्ट्र का मार्ग निश्चित हो चुका है एक समाजवादी समाज व्यवस्था बनाने का, और उसमें यह आवश्यक है कि हम अपने देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें। लेकिन इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के करने के साथ ही ये उद्योग कैसे उपयोगी हो सकते हैं, कैसे देश के सामने एक नमूना बन सकते हैं, कैसे उनका स्थान हमारे देश में स्थायी बन सकता है, ये सब से बड़े प्रश्न हैं जो हमारे सामने आने चाहियें। मैं व्योरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे बहुत से साथी व्योरे की बात कर चुके हैं और आप ने मुझे समय भी थोड़ा ही दिया है।

मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारी ये संस्थायें सफल होनी हैं तो उनके सामने कुछ परीक्षा की बातें रहनी चाहियें। इन परीक्षा की बातों में सब से पहली बात तो यह है कि इन संस्थाओं को जो कार्रवाई चलती है उससे इनको उन उद्योगों के लिये नमूना बनना चाहिये जिनको कि प्राइवेट लोग चलाते हैं। ऐसा होने पर ही वास्तव में इन संस्थाओं का देश में स्थान बन सकता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम को इन से लाभ पहुंचने के बजाय नुकसान पहुंच सकता है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इन संस्थाओं में दो चार बातें अवश्य होनी चाहियें जो कि इस प्रकार के उद्योगों के लिये जरूरी हैं।

एक बात तो यह है कि जो कारोबार ये संस्थायें चलाती हैं उससे हमको अधिक से अधिक फायदा होना चाहिये जो कि किसी भी व्यवसाय के लिये ठीक हो सकता है। जो थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है उससे काम चलने वाला नहीं है। जब हम इन में करोड़ों अरबों रुपया लगाते हैं तो हमको इन

†मूल अंग्रेजी में

[पं० मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

से पूरा फायदा मिलना चाहिये। जो कुछ हमने देखा है वह यह है कि जो फायदा हमको पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच रहा है। कुछ कारोबारों से हमको फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जो करीब ५० कारोबार हमारे हाथ में हैं उनसे हमको इतना फायदा नहीं पहुंच रहा कि ये उद्योग नमूना बन सकें और व्यसायों के सामने जो कि उनके मुकाबले में आते हैं। जिन उद्योगों को हमने सरकार का बल देकर स्थापित किया है यह बल हमेशा चलने वाला नहीं है। इन उद्योगों को व्यवसाय के रूप में सफल होना चाहिये। पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि हम जितनी पूंजी लगाते हैं अगर उसके अनुसार ही रिटर्न नहीं होता तो भी ये उद्योग चलने वाले नहीं हैं इनका स्थायित्व नहीं हो सकता। इस वास्ते इस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। फिर हम हो हल्ला और शोर सुनते हैं चारों तरफ कि जो हमारे काम करने वाले लेबर्स हैं उनके लिये प्राविजन नहीं है। यह कमी उद्योग धंधों में बतलाई जाती है। हमारे यहां वह कमी रह जाती है तो हम प्राइवेट उद्योग वालों को कैसे कह सकते हैं कि यह कमी आपके यहां क्यों चल रही है। इस लिये वह सारी फैसलटीज़ सहूलियतें हमको देनी होंगी। सारा प्रबन्ध हमको करना पड़ेगा।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में वह यह है कि यह हमारी पब्लिक का पैसा लगा कर अगर इस तरीके से काम और कारोबार चलाये जायें तो उन कारोबारों को चाहिये कि हमारा जो प्लान चल रहा है हमारी जो योजना चल रही है उस योजना में इतना धन दें सकें जिस से कि जान पड़े कि इन कारोबारों के चलाने का कोई असर हुआ है। अगर हम उसको नहीं दे सकते हैं तो फिर हम सफल नहीं हैं।

फिर सब से बड़ा हो हल्ला मचता है कि उन में करप्शन है और मैं इससे इंकार नहीं करता कि वहां पर करप्शन नहीं है। दरअसल जो प्राफिट के लिहाज से महज से फायदा उठाने के ख्याल से कारोबार चलाये जाते हैं उनमें करप्शन आ सकता है और मैं मानता हूं कि उनमें करप्शन होगा। अब कोई कहे कि करप्शन कहां से आया, कितना आया तो अब उसकी नाप तौल तो कोई करता नहीं है। बात बिल्कुल सही है और इस वास्ते करप्शन हो सकता है। अब अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स में करप्शन आता है तो फिर पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में फर्क ही क्या रह गया? क्या नमना हम पेश करेंगे? कैसे हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स को एक आदर्श बना कर चला सकेंगे?

जहां तक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है और नीति का प्रश्न है मैं उसका समर्थक हूं और मैं मानता हूं कि आवश्यक और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो मार्ग चुना गया है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिये और हमें इन आवश्यक कारोबारों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। बहुत से ऐसे उपयोगी काम हैं बड़े बड़े धंधे हैं जिनको कि प्राइवेट लोग ठीक से नहीं कर सकते और वह हमारे पब्लिक सैक्टर में चल रहे हैं। यह सब ठीक है लेकिन हमें उनके जरिये एक नमूना पेश करना चाहिये। ऐसा तो न हो कि पार्लियामेंट के मेम्बर यह सब हो गये लेकिन किसी को कोई पता नहीं कोई खबर नहीं कोई जानकारी नहीं और कुछ अफसरान अपनी मनमानी घर जानी कर रहे हैं और उनके ऊपर यह कोई देखरेख और जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है कि उस उद्योग से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वास्ते बड़ी जरूरत इस बात है की है कि हमारी पार्लियामेंट सदैव जागरूक रहे कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ठीक से काम हो रहा है या नहीं और यह कि जो एक आदर्श और नमूना हम पेश करना चाहते हैं वह उनके जरिये हम पेश करने में समर्थ हो रहे हैं या नहीं। यह सारी चार पांच बातें जो मैंने बयान की हैं, इन चारों पाचों चीजों के इम्तिहान में जब वह हमारे पब्लिक सैक्टर के उद्योग पास हो जायं तब वाकई हम एक आदर्श और नमूना पेश कर सकेंगे और

हमें सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे लेकिन अगर ऐसा हम न कर सके और ठीक से हमारे उद्योग न चल पाये तो फिर यह सेटबैक रहेगा और हमें धक्का लगेगा और हम अपने लक्ष्य में नाकामयाब रहेंगे । हमने अपने लिये एक रास्ता बनाया है । हम देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना के हेतु प्रयत्नशील हैं और हमें इसकी सदैव सावधानी बर्तनी होगी कि हमें उस के बनाने में कोई धक्का न लगे । इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और जो लोग इस से सम्बन्धित हैं वे इस पर विशेष ध्यान दें ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : जब से हमारा देश आजाद हुआ है पब्लिक सैक्टर के तहत जो अंडरटेकिंग्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है । यह इस लिये हो रहा है और मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य और सही दिशा में कदम है क्योंकि इसी तरह जो हमारा यह निशान है कि हम सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसायटी को कायम करें, उसमें कामयाब हों, उसको पा सकते हैं । लेकिन मैं यहां पर यह अवश्य निवेदन करूंगा कि सिर्फ तादाद बढ़ाना ही काफी नहीं है और जब तक उनका इंतजाम ठीक नहीं होगा जब तक उनके अन्दर काफी मुनाफा नहीं होगा हम इस मामले में कामयाब नहीं हो सकते और जो हमारा मकसद है वह पूरा नहीं होगा । इस बात को मद्देनज़र रखते हुये मैं दो, तीन तजवीजें हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

मैं आप को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर इस बात का भी जिक्र आया कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमेटी मुकर्रर की गई थी और जिस के कि चेयरमैन लेट फीरोज़ गांधी थे उस कमेटी ने जो भी इस मामले में सिफारिशें कीं, बड़े दु:ख की बात है कि उनमें से किसी एक भी बा . को अभी तक नहीं माना गया । उन सिफारिशों में से मैं सिर्फ दो, तीन का जिक्र करना चाहता हूं । पहला सवाल यह है कि एक संसदीय स्टैंडिंग कमटी मुकर्रर की जाये जो कि इस तमाम मामले की देखभाल करे । इस बात का मेरे से पहले अन्य बहुत से माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया । इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वर्गवासी स्पीकर महोदय थे उन्होंने भी इस मकसद के लिये प्रधान मंत्री को लैटर लिखा और उस खत में उन तमाम बातों का जिक्र किया था कि ऐसा करना क्यों जरूरी है । मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस के बावजूद भी इस की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया क्योंकि आज हम देखते हैं कि पब्लिक सैक्टर के बारे में जब भी क्वेशचन करे, जो भी इत्तिला लेना चाहें तो वह क्वश्चंस इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिये जाते हैं कि यह कांस्टीट्यूशनल आटोनमस बाडी है, कारपोरेशन है । आज यह जो एक आयरन कर्टेनपड़ा हुआ है अगर वाकई हम यह साबित करना चाहते हैं कि यह पब्लिक सैक्टर है तो हमें इस आयरन कर्टेन को हटाना पड़ेगा और जो भी उस के मुत्तालिक क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किये जायें, उनको स्वीकार किया जाये ।

दूसरे मैं इस तजवीज के भी हक़ में हूं कि जिस तरीके से बजट पर जनरल बहस होती है उसी तरीके से कम से कम एक हफ्ते या उससे कुछ ज्यादा का समय इसके लिये मुकर्रर होना चाहिये ताकि इन तमाम मामलों पर बहस हो सके और हम यह जान सकें कि पब्लिक सैक्टर की क्या हालत है और उसको सुधारने के लिये किन किन बातों की जरूरत है । मैं यह इसलिये नहीं कह रहा कि पब्लिक सैक्टर नाकामयाब हो क्योंकि पब्लिक सैक्टर अगर नाकामयाब हो गया तो जो हमारा मकसद है वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता । उसकी कामयाबी के लिये जरूरी है कि पार्लियामेंट के सामने तमाम एनफारमेशन्स रखी जायें और उसको तमाम बातों से आगाह किया जाये ।

आखिर में मैं दो लफ्ज़ लेबर वर्किंग क्लास के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं । अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट सैक्टर के अन्दर जो कन्सर्नस या अंडरटेकिंग्स हैं वे कामयाब हों तो हमें वर्किंग क्लास को भी विश्वास में लेना पड़ेगा । इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि एम्प्लायर

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

अपने आप को एक मॉडल एम्प्लायर साबित कर। आज मुझे यह देख कर बड़ा दु:ख होता है और जब मैं यह देखता और सुनता हूं कि पब्लिक सैक्टर के अन्दर कई जगह मजदूरों की हालत बहुत खराब है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। वहां न तो कोई वर्किंग क्लास बना हुआ है और न मजदूरों को किसी काम में कनफिडेंस में लिया जाता है। इस लिये म इस बात के लिये भी अपील करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिक सैक्टर कामयाब हो तो हमें वर्किंग क्लास को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। वहां वर्क्स कमेटी बनाई जायें और मैनेजमेंट के अन्दर उनको एसोशियेट किया जाये। यह एक वाहिद तरीका है जिससे कि हम इस में कामयाब हो सकते हैं।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : सरकारी उपक्रम केवल लोक-हित के लिये स्थापित किये जाते हैं। उन पर देश की बड़ी विशाल राशि खर्च की गई है। इसलिये उनको उतना ही कार्यक्षम होना चाहिये जितना कि अन्य उन्नत देशों का उद्योग है। इस सम्बन्ध में, मेरे भी कुछ सुझाव हैं।

सरकारी समवायों और सरकारी निगमों में यही अन्तर रहता है कि सरकारी समवायों के पास अपनी योजना और अपना वित्त होता है, जबकि सरकारी निगमों को इन दोनों के लिये सम्बन्धित मंत्रालय के अधीन रहना पड़ता है। इसलिये यदि निगमों के कार्यपालक अधिकारियों और सम्बन्धित मंत्रालय के बीच काफी अच्छा सम्पर्क न हो, तो उनका काम ठीक से नहीं चल पाता। ऐसी कई शिकायतें आई हैं कि मंत्रालय की ओर से निगमों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। इसीलिये मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सभी निदेश सभा के सामने पेश किये जाने चाहियें।

निगमों के लिये कर्मचारियों का चुनाव निगमों द्वारा भेजी गई तालिकाओं के आधार पर किया जाना चाहिये, मंत्रालय को उस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं होता।

इस प्रकार की तालिकायें बनाने के लिये, ऐसे निगमों में विभिन्न समितियां नियुक्त की जानी चाहियें। कर्मचारियों को भी यह अनुभव करना चाहिये कि वे सरकारी उपक्रम के ही एक हिस्से हैं। इसके लिये जरूरी है कि कर्मचारियों को उपक्रमों के प्रबन्ध में हाथ बंटाने का अवसर दिया जाना चाहिये। उनमें तभी उत्साह पैदा होगा जब वे महसूस करेंगे कि वे देश की सेवा कर रहे हैं।

मैं मंत्रालय को कुछ और भी सुझाव देता, लेकिन उतना समय नहीं है।

†श्री मनुभाई शाह : सरकार भी इस वाद-विवाद का सबसे अधिक स्वागत करती है। इसलिये मैं सभा और सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इने-गिने सदस्यों को छोड़ कर, शेष सभी सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के प्रसार की राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया है। इससे हमारा उत्साह दूना हो गया है। सभा स्वयं ही भली प्रकार जानती है कि सरकार किन सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को लेकर चल रही है और उसकी पूर्ति के लिये सरकारी क्षेत्र का प्रसार कितना जरूरी है। हमने अपने विशाल देश में समाजवादी समाज के निर्माण का बीड़ा उठाया है। इसके लिये सरकारी क्षेत्र का महत्व बताने की जरूरत नहीं। इसीलिये सभी सदस्यों का समर्थन पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है।

अब देश की सारी जनता को भली भांति विदित हो जाना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र अब एक स्थायी चीज है, जो वर्ष-प्रति-वर्ष, योजना-प्रति-योजना, अधिकाधिक प्रसारित होता जायेगा। वह तब तक दम नहीं लेगा जब तक कि देश की गरीबी को समूल नष्ट नहीं कर देगा, जब तक कि भारत

†मूल अंग्रेजी में

की गिनती संसार के आर्थिक-औद्योगिक दृष्टि से उन्नत-समृद्ध देशों में नहीं होने लगेगी। सरकारी उपक्रमों को ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिये देश के सभी दलों और सभी वर्गों का समर्थन और आशीर्वाद चहिये। इसीलिये, मैं उनकी आलोचना का भी स्वागत करता हूं।

अब सभी प्रकार के सरकारी उपक्रमों का उद्देश्य भी स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि करोड़ों रुपयों की लागत के इन उपक्रमों के संचालन का भार चन्द व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता, वे चाहे जितने कार्यक्षम क्यों न हों। हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच जमीन आसमान का अन्तर है। इसलिये और भी जरूरी है कि सरकारी उपक्रमों का संचालन गरीब जनता की ओर से ही हो, चाहे उनकी कार्यक्षमता कुछ कम ही रहे। उत्पादन, सम्पदा और वितरण के आर्थिक साधनों, इन उपक्रमों को देश के करोड़ों लोगों के शोषण का साधन नहीं बनने देना चाहिये। हम इसके लिये पूरी तौर से सतर्क हैं। इसीलिये एक ओर जहां हम इन उपक्रमों के संचालन में कार्यक्षमता की ओर पूरा ध्यान देते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपने इस उद्देश्य से तिलमात्र भी नहीं टलना चाहते कि इन उपक्रमों पर जनता, अर्थात् सरकार और उसके विभिन्न तन्त्रों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध रहे।

इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। राष्ट्रीय सम्पदा और उत्पादन की वृद्धि तथा समाजवाद के निर्माण की सकारात्मक बात को दूसरे नकारात्मक तरीके से यों कहा जा सकता है कि हमारा उद्देश्य चन्द लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न होने देना है। चन्द व्यक्तियों को इस्पात, विद्युत् या मशीन निर्माण उद्योगों के चलाने की अनुमति देकर यह उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। मैं देश के उद्योगपतियों को बहुत करीब से जानता हूं। वे उद्योगपति होते हुए भी, इस्पात कारखानों, भारी विद्युत् कारखानों, तेल, विद्युत्-उत्पादन उद्योगों जैसे विशालकाय उपक्रमों के मामले में नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। इसके लिये राज्य को ही आगे बढ़ना पड़ेगा।

इसीलिये सरकारी क्षेत्र का दूसरा उद्देश्य, उसकी नीति यही है कि औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व करे। पहला उद्देश्य सामाजिक है—सम्पदा का केन्द्रीयकरण रोकना, समाजवाद का निर्माण करना और गरीबी-अमीरी का भेद मिटाना। दूसरा उद्देश्य औद्योगिक नेतृत्व का है। और, इसी क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों ने बहुत कुछ किया है।

इतने विशाल उद्योगों के मामले में ऐसी कई तकनीकी पेचीदगियां, कठिनाइयां होती हैं, जिनको कोई एक उद्योगपति हल नहीं कर सकता। हमने कई बार उद्योगपतियों से पूछा है कि क्या वे इतने बड़े बड़े—घड़ियों, कच्ची फिल्म या कैमरों के कारखाने—कारखाने खड़े करने का दायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हैं; वे तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों को ताज्जुब होता है कि सरकार कारों, कच्ची फिल्मों, घड़ियों, इत्यादि के कारखाने क्यों खड़े कर रही है। इसीलिये कि हमारे जैसे कम-विकसित देश में भौतिक संसाधनों के अभाव के साथ ही, हर स्तर पर औद्योगिक नेतृत्व का भी अभाव रहता है। व्यक्तिगत उद्योगपति इसमें असमर्थ होते हैं। ऐसे तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में सही नेतृत्व देना संसद् का ही कर्त्तव्य है। सारे संसार का यही अनुभव है कि व्यक्तिगत उद्योगपति इसके लिये आगे नहीं आते।

माननीय सदस्यगण इससे सम्बन्धित साहित्य देखें। "कम-विकसित देशों में सरकारी क्षेत्र का महत्व" नामक पुस्तक के लेखकों ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से सिद्ध किया है कि एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि पश्चिमी यूरोप के कम-विकसित देशों में राज्य को ही उद्यमों के लिये पूंजी और संगठन जुटाने के क्षत्र में अगुवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि वहां तकनीक के नये रूप निखर सकें और विज्ञान तथा उद्योगों का विकास आगे बढ़ सके।

[श्री मनुभाई शाह]

हमारा तीसरा उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट है। इन सरकारी उपक्रमों को चन्द नौकरशाहों के हाथों में नहीं छोड़ना है। सार रूप में, ये उपक्रम वाणिज्यिक ही हैं, और उसी क्षेत्र में इनकी सफलता इनकी कसौटी रहेगी। यदि सरकार द्वारा संचालित सरकारी उपक्रमों को वाणिज्यिक मापदण्डों और आचरण से मुक्त कर दिया जायेगा, तो उपक्रम चल ही नहीं सकेंगे। वह गलत होगा। चूंकि सरकार समाजवाद का निर्माण कर रही है और उसी के लिये इन उपक्रमों के संचालन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अगुवाई कर रही है, केवल इसीलिये इनको वाणिज्यिक सिद्धान्तों से मुक्त रखा जाये—यह ग़लत है। इनका संचालन वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर ही होगा, किसी एक मंत्री या कार्यपालक उच्चाधिकारी, या तकनीक के विशेषज्ञ चन्द लोगों की व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर नहीं। वाणिज्यिक सिद्धान्त यही है कि हर उत्पाद को अपनी लागत, अपना व्यय स्वयं पूरा करने में समर्थ होना चाहिये, उत्पादन की लागत निरन्तर कम होती चलनी चाहिये, जनता जितना विनियोजन करती है उसी के अनुसार आय होनी चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन की निरन्तर वृद्धि के लिये और सामान्य राजस्व में सरकारी क्षेत्र का अंशदान निरन्तर बढ़ाते चलने के लिये और अधिकाधिक नये उपक्रमों तथा विकास-परियोजनाओं के निर्माण के लिये, इन उपक्रमों से होने वाली आय भी निरन्तर बढ़ती चलनी चाहिये।

संसदीय नियन्त्रण के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मुझे आश्चर्य हुआ उनको सुन कर क्योंकि सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित प्रश्नों की संख्या ही सबसे अधिक थी और मैंने ही उनके उत्तर दिये हैं। दोनों सभाओं में एक वर्ष के दौरान इस विषय से सम्बन्धित १,००० से अधिक तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे गये हैं और अलग-अलग निगमों के प्रतिवेदनों पर लगभग २० बार वाद-विवाद हो चुके हैं। हर निगम के बारे में उसके अपने काम के आधार पर ही फैसला किया जाता है। कुछ लोगों को शायद प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई महसूस होती हो, हमें नहीं होती। हम उसे अपना कर्त्तव्य समझते हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई अराजकता नहीं है। हम बड़ी सतर्कता से उस पर नजर रखते हैं। हम मानते हैं कि लोकतन्त्र की सबसे बड़ी कीमत यही है कि उसके बारे में प्रति क्षण सतर्क रहा जाये। यही बात सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर लागू होती है। सभा के बाहर भी यदि कोई माननीय सदस्य या जनता में से कोई भी उनके बारे में हमें कुछ भी लिखते हैं, हमारे संयुक्त सचिव, मंत्री या प्रधान मन्त्री के नाम कोई पत्र भेजते हैं, तो हम तुरन्त ही उसकी जांच कराते हैं, बात चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो। मुझे निजी क्षेत्र में भी काम करने का अनुभव है। मैं तो कांप जाता हूं जब सोचता हूं कि अगर उस समय लोग मुझ से इतने सारे सवाल पूछते और मेरे अधिकार को चुनौती देते, तो मैं क्या करता। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों ने भारतीय जनता और दोनों सभाओं के माननीय सदस्यों की जितनी आलोचना सुनी और सहन की है, उतनी आलोचना निजी क्षेत्र का कोई भी प्रबन्धक सहन नहीं कर सकता। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं कि निजी क्षेत्र के निदेशकों और शाखा-प्रबन्धकों पर कभी भी शेयरधारी या कोई और प्राधिकारी इस तरह प्रश्नों की बौछार नहीं करता। लेकिन हमें इससे कोई शिकायत भी नहीं। हम तो इसका स्वागत करते हैं। पर, इतना होने पर भी कम से कम यह तो नहीं कहा जाना चाहिये कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में सरकारी उपक्रमों पर संसदीय नियन्त्रण कम है। इंगलैण्ड की तुलना में, हमारे यहां सरकारी क्षेत्र पर संसदीय नियन्त्रण कहीं अधिक है। अमरीका में भी इतना संसदीय नियन्त्रण नहीं है, हालांकि अमरीका के सरकारी क्षेत्र के संगठन को आदर्श नहीं माना जा सकता। मैं तानाशाह देशों की बात नहीं कर रहा हूं। वहां तो ऐसी नुक्ताचीनी और आलोचना की कोई गुंजाइश ही नहीं। अन्य किसी भी लोकतांत्रिक देश में इतना संसदीय नियन्त्रण नहीं है।

हमने इस सिलसिले में दल के स्तर पर एक समिति भी नियुक्त की है। यह समझना गलत है कि हम उसके प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं। उस पर योजना आयोग विचार कर रहा है; और मंत्रि परिषद् विचार करेगी; और उस प्रतिवेदन ही नहीं, प्राक्कलन समिति द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में भी कुछ निर्णय किये जायेंगे। सरकार उन प्रश्नों पर जब-तब विचार कर ी रही है। अध्यक्ष महोदय और सभी संसद्-सदस्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-संचालन की गहराई से छानबीन करने के लिये जो भी तरीका ठीक समझेंगे या जिस ी प्रकार की समिति नियुक्त करने का निर्णय करेंगे, वह हमें पूरी तौर पर मान्य होगा। सरकार उसका स्वागत करेगी। विचार इस पर करना है कि उस समिति का स्वरूप क्या रहे। उसे स्थायी समिति बनाया जाये, या एक दूसरे प्रकार की लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति का रूप दिया जाये? मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। सरकार तो खुद चाहती है कि कुछ चुने हुए संसद्-सदस्य इन सरकारी उपक्रमों की समस्याओं का अध्ययन करें और इनके कार्य-संचालन की देख भाल करें। हमें उनके अनुभव से बड़ा लाभ होगा। उस तरह की छानबीन से सरकारी क्षेत्र की प्रगति बड़ी संतुलित और स्वस्थ रहेगी। यह कहना या समझना गलत है कि सरकार उन सिफारिशों पर विचार ही नहीं कर रही है। मैंने स्वयं उनके सम्बन्ध में पिछले दो महीनों के दौरान प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। मुझे यह तो नहीं मालूम कि उनके सम्बन्ध में कितने प्रश्नों की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि जितने प्रश्नों की अनुमति दी गई थी, उनके उत्तरों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मेनन समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार हो रहा है और उनके सम्बन्ध में शीघ्र ही काफी महत्वपूर्ण निर्णय किये जाने वाले हैं।

कुछ सदस्यों की भावना है कि इन प्रतिवेदनों के वाद-विवाद के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया जाता। मैं बता चुका हूं कि सभा इन निगमों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा करती है। यदि अध्यक्ष महोदय और कार्य मंत्रणा समिति उसके लिये अधिक समय दे सकें, तो और भी अच्छा है। हमारे संसद्-कार्य मंत्री और हम सभी यही चाहते हैं। मैं स्वयं ऐसे कई वाद-विवादों का उत्तर दे चुका हूं। हम और भी अधिक समय देने के लिये तैयार हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि विषयों के महत्व के अनुसार ही समय का बंटवारा किया जाना चाहिये। अच्छा तो यह हो कि कुछ माननीय सदस्य इन अलग-अलग उपक्रमों के बारे में अध्ययन करें और तब हमें अपने सुझाव दें। जरूरी नहीं कि वे अपने सुझाव सभा में ही दें। सभा से बाहर भी दे सकते हैं। विशेष अध्ययन इसलिये जरूरी है कि हर उपक्रम की अपनी विशेषता है। हर उपक्रम के अध्ययन के लिये काफी समय और यथेष्ट ध्यान देना होगा। सरकार ऐसे सभी सुझावों का स्वागत करेगी।

संसदीय नियंत्रण के और भी कई स्वरूप हो सकते हैं। उसका केवल यही एक तरीका नहीं है कि एक सामान्य विधि सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू की जाये, जैसा कि श्री नौशीर भरूचा ने कहा है। मैं समझता हूं कि १५ निगमों, ४५ समवायों और विभागीय उपक्रमों की १७ श्रेणियों पर एक ही सामान्य विधि लागू करना बड़ा हानिकारक होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मेरा मतलब था कि वित्तीय सिद्धान्तों को संहितावद्ध करने की एक सामान्य विधि हो।

†**श्री मनुभाई शाह :** विभिन्न श्रेणियों के सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित सभी वित्तीय सिद्धान्तों को कोई भी एक विधि संहितावद्ध नहीं कर सकती। बैंकिंग समवाय के वित्तीय सिद्धान्त लोहे के कारखाने पर लागू नहीं किये जा सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

इसीलिये मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य जिसमें भी दिलचस्पी रखते हों उस एक या १५-२० सरकारी उपक्रमों को चुन कर उनका विशेष अध्ययन करे। नयी सेवा संस्थापित करते समय सभा से उसकी मंजूरी ली जाती है। सभा में वाद-विवाद के कई अवसर आते रहे हैं। अनुपूरक आय-व्ययक या विशेष अनुदान की चर्चा के समय भी। विशेष अध्ययन से हमें भी लाभ होगा। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि सरकार की दृष्टि में हमारे यहां यथेष्ट संसदीय नियंत्रण मौजूद है। अनुभव के आधार पर उसमें और सुधार किया जा सकता है, उसे अधिक विस्तृत तो बनाया जा सकता है। लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें अराजकता फैली हुई है। सरकारी उपक्रमों में पूर्ण सहकार्य है। हमारे मंत्रालय में पिछले चार साल से एक समिति काम कर रही है, जिसकी बैठकों में अन्य मंत्रालयों के लोग भी बुलाये जाते हैं। सभी म सहकार्य पैदा करने और एक सामान्य नीति बनाने की हम भरपूर चेष्टा कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि प्रबन्ध का सब से अच्छा स्वरूप संविहित निगम का है। अन्य सदस्य विभागीय प्रकार को उससे अच्छा समझते हैं। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य समवाय के कार को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हमारा अपना अनुभव यह है कि तीनों प्रकार के प्रबन्ध की काफी गुंजाइश सरकारी क्षेत्र में है। कुछ ऐसे भी निगम हैं,—जैसे 'स्टेट बैंक आफ इंडिया' या 'जीवन बीमा निगम', जो थोड़ी पूंजी से बड़ी-बड़ी राशियों के काम करते हैं—उनके लिये संविहित निगम बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई तरीका ही नहीं। उनमें औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रमों के ढंग का कोई कार्य होता ही नहीं। इसलिये सर्वोत्तम यही है कि उचित संविधि और यथेष्ट सतर्कता के आधार पर ही आगे बढ़ा जाये। लेकिन कुल मिलाकर, एक मोटे तौर पर, अब हमारा विश्वास बन गया है कि प्रबन्ध का सब से अच्छा स्वरूप समवाय का ही है, क्योंकि उसके लिये हमारे देश में समवाय विधि मौजूद है। हम अपने अनुभव के आधार पर समवाय अधिनियम में निरन्तर सुधार करते चले जा रहे हैं, उसमें उन सभी परित्राणों की व्यवस्था मौजूद है जो वाणिज्यिक उपक्रमों को चाहि । उसमें उपक्रमों की छानबीन की व्यवस्था भी मौजूद है। विभागीय समवा ों को छोड़ कर अन्य सभी सरकारी उपक्रमों पर समवाय विधि लागू होती है, जब तक कि सभा की स्वीकृति या संविधि की विशेष व्यवस्था के द्वारा किसी सरकारी उपक्रम को विमुक्त न किया गया हो। यदि देखा जाये तो सरकारी उपक्रमों पर दोहरा नियंत्रण रहता है। पहले तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति उनके लेखों की लेखा-परीक्षा अधिकृत लेखापाल करते हैं; उसके बाद महानियंत्रक लेखा परीक्षक उनकी लेखा-परीक्षा कराते हैं; और फिर उसके बाद हम स्वयं उत्पादन की किस्म और मूल्यों की दृष्टि से उनकी अलग-अलग लेखा-परीक्षा करते रहते हैं।

हमारा अनुभव यही रहा है कि प्रबन्ध के अन्य सभी प्रकारों से समवाय का स्वरूप ही अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि माननीय सदस्य ऐसे कुछ समवायों के संतुलन-पत्रों का अध्ययन करें, तो उससे उनको और सरकार—दोनों को काफी फायदा होगा। फिर भी, मैं यह भी बता दूं कि इन प्रतिवेदनों में सुधार की काफी गुंजाइश है और हमें इन से सन्तोष नहीं है। लेकिन एक बात जरूर आप देखेंगे कि हर साल इनमें सुधार हो रहा है। आप इस साल का प्रतिवेदन पिछले साल से बेहतर पायेंगे। हम इन प्रतिवेदनों में अ क से अधिक जानकारी भर देना चाहते हैं। इस मामले में हम अपनी तुलना निजी क्षेत्र से नहीं करते। इसलिये कि सरकारी क्षेत्र को संदेहातीत, आदर्श होना चाहिये। उनमें भारत की जनता का रुपया लगा हुआ है। उनके लिये हम संसद और जनता के सामने जवाबदेह हैं।

मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसमें हमें अपना सहयोग दें । यदि माननीय सदस्य चाहें तो 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स' या 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड', या 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया', इत्यादि के प्रतिवेदनों की प्रति प्रकाशन से पहले भी देख सकते हैं और यदि किन्हीं मदों के बारे में चाहें तो विशेष तौर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं । प्रकाशन के समय हम वह सूचना उन प्रतिवेदनों में जोड़ देंगे । हम देश के सभी विचारकों, सभी बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों को सहयोग की अपेक्षा करते हैं । वे जो सुधार बतायें, हम करने के लिये तैयार हैं। सरकार इन प्रतिवेदनों को अच्छे से अच्छा रूप देना चाहती है । इसलिये कि उससे सरकारी उपक्रमों के परीक्षण को सफल बनाने में सहायता मिलेगी । पूरे एशिया और अफ्रीका के कम विकसित देशों में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक इतने बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र का परीक्षण किया जा रहा है । इस लिये हम इन प्रतिवेदनों को अधिक से अधिक तथ्यपूर्ण बनाना चाहते हैं ।

ये दोनों प्रकाशन उन सैंकड़ों प्रतिवेदनों का संक्षेप या सारांश के रूप में हैं, जो कि विभिन्न निगमों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । उद्देश्य यह है कि इन उपक्रमों के कार्य को जनसाधारण की भाषा में व्यक्त किया जाय । दूसरी पुस्तिका में आंकड़ों के आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया गया है इसलिये इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करने का ढंग कुछ बदल गया है । इस सम्बन्ध में हम सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन और मंत्रिमंडल-सचिवालय भी इस सम्बन्ध में निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में ये प्रतिवेदन अधिकाधिक दिलचस्प होते जायेंगे ।

इन निगमों के स्वायत्तता के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया है । यदि ये निगम स्वायत्तशासी नहीं होते और सरकार के मंत्री तथा सचिव इनके कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते तो उनकी कुशलता वर्तमान कुशलता का शतांश भी नहीं होती । कई उपक्रमों के मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बहुत कम फाइलें आती हैं, वे भी या तो ३००० रु० से अधिक के वेतन वाले पदों की नियुक्ति से सम्बन्धित होती हैं, या कोई नीति सम्बन्धी होती हैं । श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने यह ठीक ही कहा कि एक उपक्रम के अध्यक्ष के रूप में भी वे मुश्किल से वहां के दिन प्रति दिन के काम के सम्बन्ध में जान पाते थे । वस्तुतः भारत सरकार के सचिवों से कहीं अधिक प्रत्यायोजित स्वायत्तता आजकल निगमों के छोटे मैनेजरों और सर्वोच्च मैनेजरों के पास है । इस का कारण यह है कि मंत्रालय के सचिवों और मंत्रियों के पास बहुत अधिक काम रहता है, अतः वे प्रत्येक नियुक्ति तथा प्रत्येक कार्य की देखभाल नहीं कर सकते हैं । जहां तक नीति का सम्बन्ध है उसकी जिम्मेदारी हमारी है । तथापि इसका तात्पर्य हस्तक्षेप करना नहीं है । आप हमें नीति का निर्देश करते हैं और हम उसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे निचले स्तर तक पहुंचाते हैं । हमारा उद्देश्य उन्हें हमें स्वायत्तशासी बनाना है तथापि यह अधिकार उन्हें सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता है । इसीलिये हम उन्हें अर्द्धस्वायत्तशासी संस्थायें कहते हैं । वास्तव में किसी भी अर्थशास्त्री ने यह सलाह नहीं दी है कि किसी भी उपक्रम के प्रबन्ध को सबसे निचले अथवा संयंत्र स्तर पर पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिये । अतः जनता नीति तथा राष्ट्र के हित को ध्यानमें रख कर इन उपक्रमों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाती है । माननीय सदस्य अपनी यात्राओं में इन परियोजनाओं के योग्य प्रबन्धकों से बातचीत करके यह पता लगा सकते हैं कि केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर कार्यपालिक अथवा मंत्रियों द्वारा उनके कार्य में कितना हस्तक्षेप किया जाता है ।

[श्री मनुभाई शाह]

यह प्रश्न उठाया गया है कि असैनिक अधिकारियों को इन समवायों के प्रबन्ध में कितना हिस्सा लेना चाहिये, संसद् सदस्यों को इन में क्या भाग लेना चाहिये तथा क्या इनके लिये विशेष पदालि बनाने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों पर कई बार सभा में चर्चा हो चुकी है तथा सरकार द्वारा इन पर विचार भी कर लिया गया है। यह कहना गलत है कि असैनिक अधिकारियों को इनसे बिल्कुल पृथक् रखा जाय, भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी बहुत योग्य प्रशासक होते हैं, वे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इन १३ वर्षों में अपनी योग्यता प्रदर्शित कर चुके हैं। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें सभी प्रथम श्रेणी के प्रशासक होते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि उनसे देश को काफी लाभ पहुंचा है। उन का प्रशासनिक अनुभव सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि टेक्नीकल प्रबन्धकों को महत्व नहीं दिया जाता है, यदि आप हिन्दुस्तान स्टील, हिन्दुस्तान शिपयार्ड तथा भारी बिजली का कारखाना इत्यादि उपक्रमों के संगठन को देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि दो या तीन सर्वोच्च अधिकारियों को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति केवल प्रशासक नहीं होता है। अधिकांश अधिकारी टेक्नीकल व्यक्ति होते हैं। भले ही ये लोग औद्योगिक प्रबन्ध पुंज में से हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में से या पदनिवृत्त रेलवे कर्मचारी। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इन उपक्रमों में असैनिक प्रशासकों की संख्या कम से कम है।

इसमें संदेह नहीं कि अनुभव प्राप्त अधिकारियों की कमी के कारण हमें पदनिवृत्त अधिकारी भी लेने होते हैं, तथापि हमें इसके लिये दुख नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें रेलवे से बहुत सहायता मिलती है। कई मुख्य इंजीनियरों ने जो कि ५५ वर्ष की आयु में पदनिवृत हो जाते हैं, अपने प्रकांड अनुभव द्वारा अपनी पांच या सात वर्ष की सेवा में विभिन्न उपक्रमों में पदालियों के संगठन करने में बहुत सहायता पहुंचाई है। प्रतिरक्षा संगठनों में भी कुछ व्यक्ति ४५ या ४८ वर्ष की आयु में पदनिवृत हो जाते हैं। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम उनके अनुभव का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हित में उपयोग कर सकें। हम ऐसे पदनिवृत व्यक्तियों को नहीं लेते जो बहुत दुर्बल होते हैं, हम केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अवसर देते हैं जो सक्षम होते हैं, जो कुछ काम कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को केवल उनकी कुशलता के ही आधार पर लिया गया है।

अब मैं औद्योगिक प्रबन्ध पुंज को लेता हूं। हमने इसके अन्तर्गत २०० व्यक्तियों को चुना था। जहां तक मेरी जानकारी है केवल ८ या १० को छोड़ कर सभी को विभिन्न समवायों से ले लिया गया है। उक्त पुंज से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की टेक्नीकल और प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। उदाहरणार्थ भोपाल के भारी बिजली के कारखाने में १२००० से १८००० दक्ष तथा अदक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसमें कम से कम ५०० इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

भारत जैसे अविकसित देश के लिये जहां कि इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना अभी दस या पन्द्रह वर्षों से हुई है, वहां ऐसे कारखानों पर जहां कि ऊंचे प्रकार की टेक्नीकल जानकारी की जरूरत है यदि हम ऐसे व्यक्तियों के अनुभव का लाभ उठायें जिन्होंने सरकारी सेवाओं में पूर्ण कुशलता से कार्य किया है तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमें वस्तुत: ऐसे लोगों को बधाई देनी चाहिये। रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के कार्य को विश्व के किसी

भी मापदंड से परखा जा सकता है। हमें उनके वहां रहने में बिल्कुल दुख नहीं है। इसके विपरीत ये असैनिक और टैक्नीकल अधिकारी जो कि विभिन्न विभागों से लिये गये हैं पूर्ण लगन और समर्पण से सरकारी उपक्रमों के कार्य में योगदान दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन पदनिवृत अधिकारियों को खपाने और रुपया कमाने के साधन मात्र नहीं बनाना चाहिये। मैं सभा को आशवासन देता हूं कि यदि ऐसा कोई मामला हमारी निगाह में आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे, तथापि मेरे विचार से ऐसा कोई अवसर आयेगा ही नहीं क्योंकि पहले तो हम काफी चौकन्ने हैं, ऐसा प्रत्येक पद जिसका वेतन ३००० रु० से अधिक होता है वह मंत्रिमंडल-नियुक्ति-समिति के स्तर तक जाता है। २००० रु० से ३००० रु० वाले पद पर लोक सेवा आयोग और उच्चतम चुनाव समिति में विचार हो जाता है। यदि कहीं पर कोई गलती होगी, क्योंकि इतने विशाल संगठन में गलती होने की भी संभावना है, तो उस पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक संसद सदस्यों के इन उपक्रमों के प्रबन्ध में भाग लेने का सम्बन्ध है, इस पर सभा कई बार विचार कर चुकी है। मैं उस सारे प्रश्न को पुनः नहीं दुहराना चाहता हूं। निःसंदेह ऐसे समय जब कि हम कई जटिल समस्याओं में उलझे हुए हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जनता के प्रतिनिधि बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन उपक्रमों के सहयोग से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। माननीय उपाध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा था कि यदि हम निदेशक बोर्ड में होने के कारण मंत्रियों तथा प्रबन्धकों की आलोचनाओं से उत्तेजित हो जांय तो इसे अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सकता है। इस देश में हमें सभी स्तरों पर नेतृत्व बनाना है। इस सभा के ५०० तथा राज्य सभा के २५० सदस्य देश के बुद्धिवादी वर्ग तथा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको निदेशक बोर्ड में जाने का अवसर दिया जा सकता है, वे वहां रह कर भी निष्पक्ष और सच्चे रह सकते हैं। कई माननीय सदस्य जो इन उपक्रमों में रहे वे वहां रह कर भी उन उपक्रमों के कड़े आलोचक बने रहे। तथापि सभा इस मामले में निश्चय कर चुकी है कि कुछ पदों में रह कर अनर्हता प्राप्त हो जाती है और कुछ पदों में रहने से अनर्हता नहीं आती है। हम माननीय सदस्यों से ऐसे पदों में काम करने को कहते हैं जिनमें रह कर अनर्हता प्राप्त न हो। मैं उन माननीय सदयों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने उन पदों पर काम करने के लिये हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। उनका नेतृत्व तथा पथप्रदर्शन उन उपक्रमों के संचालन तथा जन सम्पर्क के हितों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

इसके पश्चात् उत्पादन की लागत, लागत लेखापालन, बिक्री तथा कीमत नीतियों का प्रश्न भी उठाया गया है। समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्तों, औद्योगिक नेतृत्व तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर इन्हें पूर्णतः वाणिज्यिक उपक्रमों के रूप में चलाया जा रहा है। यद्यपि हमारे पास काफी लागत लेखापाल नहीं हैं तो भी सभी स्तरों में लागत से लेखापालन अपनाया जाता है। जहां तक लागत लेखापाल उपलब्ध हैं हम उनका उपयोग करते हैं। यदि कोई उपक्रम अपने उत्पादन की लागत और उसके प्रकार के सम्बन्ध में जागरूक नहीं है तो उसे उपक्रम कहना ही गलत है, उसे बन्द हो जाना चाहिये। सरकारी उपक्रमों को आदर्श प्रस्तुत करना होता है। मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में उचित रूप से लागत लेखापालन, उत्पाद विश्लेषण प्रत्येक मद की लागत का विश्लेषण इत्यादि होता है। वे उत्पादन की पूरी लागत निकालते हैं। कुछ मामलों में मेरा यह अनुभव है कि बोर्ड के निदेशक बिक्री की कीमत निश्चित करने के पूर्व इस बात का विशेष प्रयत्न करते हैं कि उसके लागत का विश्लेषण क्या है ?

[श्री मनुभाई शाह]

ऐसा कोई देश नहीं है जिस ने कि पांच वर्ष में तीन विशाल इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया है। आप कुछ समय में देखेंगे कि इन इस्पात संयंत्रों में कितना उत्पादन है। वस्तुतः ये संयंत्र आदर्श संयंत्र हैं। जब मैं मास्को और नावोक्रोमोटोस्क गया तो श्री ख्रुश्चेव ने मुझे यह बताया था कि भिलाई में उन्होंने वे नवीनतम उपकरण लगाये हैं जो कि रूस में भी किसी एक कारखाने में उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार रूरकेला में भी पश्चिम जर्मनी के टैक्नीशियनों ने सर्वोत्तम टैक्नीकों का प्रयोग किया है। तथापि उनके विकास और परिपक्वता में कुछ समय लगता है। तीन या चार वर्ष पश्चात् आप उन के नतीजे देख सकते हैं। हम वहां एक विशेष बुनियादी नीति और दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, तथा सरकारी कर्मचारियों और टैक्नीकल अधिकारियों से जिस आचार की उपेक्षा की जा सकती है वह भी वहां मौजूद है। अतः इस बात की पूरी आशा है कि सफलता प्राप्त होगी। निस्संदेह कहीं प्रबन्धक, टैक्नीकल अधिकारियों तथा श्रमिकों की भी गलती हो सकती है। तथापि हम अपनी गलतियों का परिमार्जन करेंगे। हमें इस में लज्जा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है। जब हमने इतना वृहद कार्य अपने हाथों में लिया है तो हमें सभी प्रकार की आलोचनाओं के लिये तैयार रहना चाहिये। हम इस संबंध में भावुक नहीं हैं। अपितु हम खुले हृदय से सभी प्रकार की आलोचनायें सुनने को तैयार हैं। विशेषतः जब हम सरकारी क्षेत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से यह आलोचना कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र को धक्का पहुंचाने के आशय से उसकी आलोचना नहीं करता है, क्योंकि वह समय अब बीत गया है और इस देश में सरकारी क्षेत्र की जड़ें जम गई हैं।

कीमत संबंधी निती का उद्देश्य मुख्यतः एक तो उत्पादन की लागत कम करना और दूसरे यथा संभव उपभोक्ता को आयात की गयी वस्तुओं की दरों पर माल देना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है अपितु हम इस का लागत बीमा भाड़ा सहित पहुंचने के मूल्य निकालने का प्रयत्न करते हैं जिस से कि अधिकतम आय संभव हो सके। अतः इस बात की आशंका नहीं करनी चाहिये कि इस्पात का मूल्य २० या ५० रु० प्रति टन अधिक हो जायेगा तो इंजीनियरिंग उद्योग ठप्प हो जायेगा। यदि इस्पात की कीमत में २० या ५० रु० प्रति टन की वृद्धि होगी तो आपको प्रति संयंत्र ५ करोड़ रुपये वार्षिक की अधिक आय होगी। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य लाभ कमाना भी है। जो कुछ भी लाभ होगा उसे उसी उद्योग में विनियोजित किया जायेगा।

मैंने कल अध्यक्ष महोदय को यह बताया था कि तीसरी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से राष्ट्रीय राजकोष को ४४० करोड़ रुपये की आय होगी। यह वह राशि है जो कि कर देने के बाद बच रहेगी सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक समवाय उपक्रम या कम्पनी को सभी कर, ब्याज या अन्य सेवा भार अदा करने होते हैं। इस के पश्चात जो कुछ भी बच रहता है उसे हम लाभ या रक्षित धन कहते हैं। अवक्षयण की राशि भी पहले निकाल ली जाती है। इस के पश्चात् जो अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी वह इन उपक्रमों के विकास तथा भारतीय जनता को लाभांश के रूप में प्राप्त होगी, इस से राष्ट्रीय बजट में प्रभाव पड़ेगा।

उक्त ४४० करोड़ रुपयों की राशि से १४० करोड़ रुपये, हमें राज्य परिवहन निगमों तथा राज्य सरकारों के उपक्रमों से प्राप्त होंगे । मोटे तौर पर ३०० करोड़ रुपये हमें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से प्राप्त होंगे। ४४० करोड़ रुपये का अनुमान भी एक मोटा अनुमान है, हमें इस संबंध में पुनः अनुमान और हिसाब लगाना पड़ेगा, इसका कारण यह है कि इस संबंध में आंकड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं, और इन विकासशील वृहद उपक्रमों का, वर्षवार लाभ, बिक्री, उत्पादन तथा लागत का अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, पहली योजना के दौरान ६० करोड़ रुपये, दूसरी योजना के दौरान लगभग ७५० करोड़ रुपये, और तीसरी योजना के दौरान, लगभग ११५० रुपये लगाये जायेंगे, उक्त ४४० करोड़ रुपये का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है ।

लाभ कमाना कोई लज्जा की बात नहीं है । तथापि हमें किसी उद्योग पर एकाधिकार करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । यह कहना गलत है कि इस्पात पर हमारा एकाधिकार है, क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में दो विशाल उपक्रम हैं और हम उन के साथ खुले बाजार में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। औषधि निर्माण के क्षेत्र में तो कई गैर-सरकारी कम्पनियां हैं। वस्तुतः हम सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता को एक अच्छी बात समझते हैं। आधुनिक युग में हम राष्ट्रीयकरण को समाजवाद का पर्यायवाची नहीं कह सकते हैं। आधुनिक युग में समाजवाद ऐसे सरकारी क्षेत्र को कहते हैं जिस में कई अन्य नीतियों के साथ कई आर्थिक वित्तीय तथा सामाजिक नीतियां क्रियान्वित होती हैं। अतः हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी प्रतियोगिता का अवसर देते हैं।

बिजली के भारी उपकरणों के क्षेत्र में भी मैंने सभा को कई बार बताया है कि इन परियोजनाओं का अंतिम रूप से निश्चय हो जाने पर हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी अपने कारखाने स्थापित करने की इजाजत देंगे । तथापि मैं जानता हूं कि वे इस ओर कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। मशीनी औजारों के क्षेत्र में भी गैर सरकारी क्षेत्र ने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब हम इस क्षेत्र में दो अन्य कारखाने खोल रहे हैं। उन में से भारी मशीनी औजारों के लिये एक कारखाना रांची में खुलेगा । इस संबंध में हमें उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये, क्योंकि किसी अविकसित देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में यह दुर्बलता रहती है कि वे किसी ऐसे क्षेत्र में जहां लाभ की अनिश्चित्ता रहती है वहां बिना उचित औद्योगिक नेतृत्व के रुपया नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र में अच्छी सरकार या संसद् को ही नेतृत्व करना होता है ।

अब मैं श्रम संबंधी नीति को लेता हूं। वस्तुतः आदर्श नियोजक होना बहुत कठिन है क्योंकि केवल कुछ विधियां पारित कर लेने से ही श्रम प्रबन्ध नहीं हो जाता है । यह मुख्यतः व्यक्तिगत व्यवस्था और मानवीय सम्पर्क का मामला है। जहां तक सभी स्तरों पर मानवीय नेतृत्व संभव नहीं है हम आदर्श नियोजक नहीं हो सकते हैं। हम सभी मापदंडों के पालन करने का प्रयत्न करते हैं, और हमने अधिकतम कल्याणकारी कार्यों की सुविधायें दी हैं। सिंदरी में श्रमिकों को सर्वाधिक सुविधायें दी जाती हैं। कोई व्यक्ति जा कर हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में मजदूरों की बस्तियां देख सकता है । हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उन्हें, जहां तक हमारे संसाधनों द्वारा संभव है, अधिकाधिक कल्याण संबंधी सुविधायें, भविष्य निधि,

[श्री मनुभाई शाह]

अस्पताल स्कूल तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें । कुछ विदेशी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि हम अपनी बस्तियों में बहुत अधिक रुपया लगा रहे हैं, तथापि हमें इस बात पर गर्व है । उनकी मजूरी भी गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक है । उदाहरण के लिये सिंदरी में देश के उस क्षेत्र में सब से अधिक मजूरी है तथा वह देश के रासायनिक उपक्रमों के लिये आदर्श नियोजक का काम कर रही है। मैं उच्चतम पदों पर काम करने वाले प्रबन्धकों की बात नहीं कर रहा हूं, यद्यपि हम ऐसे लोगों को ३००० रु० या ४००० रु० से अधिक नहीं दे सकते हैं, तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के कारखानों में ऐसे व्यक्तियों को १०००० रु० माहवार तक मिलता है। तथापि जहां तक बुनियादी-मजूरी-रूपरेखा का तात्पर्य है हम किसी उपक्रम से टक्कर लेने को तैयार हैं ।

अब मैं कारखाना समितियों को लेता हूं। व्यवहारतः प्रत्येक उपक्रम में एक कारखाना समिति है निस्संदेह हम प्रबन्ध परिषदों की स्थापना नहीं कर सके हैं।

† **मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : क्या रूरकेला दुर्गापुर और भिलाई में निर्माण समितियां हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तीन भागों में विभाजित किया है । पहिले वे जो कि प्रशासन या उपक्रम चला रहे हैं, वहां सभी प्रकार के संगठन मौजूद हैं । दूसरे वे जो अभी विकसित हो रहे हैं वहां वे सभी सामाजिक प्रयोग नहीं किये जा सकते हैं । तथापि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कारखाना समितियों तथा प्रबन्ध परिषदें कायम हों । इस संबंध में श्रम मंत्री ने यहां आश्वासन दिया था और हम सभी इस बात में सहमत हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन सामाजिक प्रयोगों में पथ प्रदर्शन करना चाहिये ।

निस्संदेह आदर्श नियोजक बनने का प्रयत्न करना बहुत कठिन है अतः हम एक अच्छे नियोजक बनना चाहते हैं । हम एक उदारचेता नियोजक हैं जिन के साथ श्री बनर्जी या कोई भी, सदैव बार्ता कर सकते हैं। हम सदैव उपलब्ध संसाधनों की सीमा तक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने को तैयार हैं । तथापि हम अभी आदर्श नियोजक बनने का दावा नहीं करते हैं ।

अब मैं प्रशिक्षण का प्रश्न लेता हूं । मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र ने राष्ट्र को जो सब से महान् देन दी है, वह उन कारखानों में होने वाला उत्पादन, उनका नेतृत्व, उनका समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है, वह है, उनके द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण । उदाहरणार्थ भोपाल में इस समय ३८०० युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से सभी प्रथम श्रेणी के हैं । जब लार्ड शेन्डोज यहां आये तो वह इन युवकों की योग्यता देख कर बहुत प्रभावित हुए उन्होंने यह कहा कि यदि यहां के प्रशिक्षकों और टेक्नीशियनों का यह स्तर है तो मैं प्रतिवर्ष बिजली के भारी उपकरणों सम्बन्धी ५० करोड़ का ठेका करने को तैयार हूं । मूलतः हम ठेके को ६ करोड़ से बढ़ा कर २५ करोड़ करना चाहते थे, किन्तु वे इस पर भी

†मूल अंग्रेजी में

तैयार नहीं हुए । तथापि जब उन्होंने यहां के युवकों की योग्यता देखी तो वह ५० करोड़ रुपये का ठेका करने को तैयार हो गये । वस्तुतः हमारे टेक्नीशियनों की योग्यता किसी भी देश के टेक्नीशियनों से कम नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में हमने उत्पादन और कुशलता आन्दोलन प्रारम्भ किया है, ४ वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् यहां के २२० युवक स्विज युवकों से जो ८ या ९ वर्ष काम कर चुके हैं, १० प्रतिशत अधिक कुशल प्रमाणित हुए । तथापि मैं इस सम्बन्ध में सामान्यीकरण नहीं करना चाहता हूं । हम सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहे हैं । हमने इस सम्बन्ध में भी अनुदेश जारी कर दिये हैं तथा समायोजन समिति ने भी यह निश्चय कर लिया है कि अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । इससे कारखाने के बाहर भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, दोनों में ही राष्ट्रीय उपक्रमों को उनसे लाभ मिल सकेगा । अतः हमारा लक्ष्य यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अपने पृथक-पृथक प्रशिक्षण केन्द्र और संस्थायें होनी चाहियें ।

वस्तुतः हम कई राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं । इनमें से एक मशीनों का रूपांकन करने के लिये रांची में भी होगी । इसका नाम केन्द्रीय राष्ट्रीय मशीन रूपांकन संस्था होगा । वस्तुतः विदेशी टेक्नोलोजी पर ही सदैव के लिये निर्भर करना भारत जैसे देश के लिये लज्जाजनक बात है । निस्सन्देह हम विदेशी टेक्नीकल सहकारिता का स्वागत करते हैं, तथापि इसकी एक सीमा होती है । हम रासायनिक, विद्युत् तथा यांत्रिक संयंत्रों के लिए स्वदेशी डिजायनकार चाहते हैं । अतः हमने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रत्येक उपक्रम का अपना पृथक डिजायननिंग विभाग होगा, उसका एक पृथक प्रशिक्षण केन्द्र होगा तथा वे आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे जिससे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाये गये मूल डिजायनों से लाभान्वित हो सके ।

कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि ऋणों और अंशों में का क्या अनुपात रहेगा, इस सम्बन्ध में यह नीति निश्चित की गयी है कि किसी उपक्रम में लगायी जाने वाली कुल पूंजी का एक तिहाई उद्योगों अथवा कारखाने इत्यादि में लगाया जायेगा । तथापि बैंकिंग उद्योग इस दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें निक्षेपों तथा अग्रिम धन की राशियां बहुत बड़ी होती हैं, इस पूंजी का एक तिहाई से आधे तक अंशों से तथा दो तिहाई से आधे तक ऋण के रूप में लिया जायेगा । अर्थात् अंशपूंजी तथा ऋणों में एक तिहाई से दो तिहाई का अनुपात रहेगा । कुछ मामलों में यह अनुपात आधा-आधा हो जायेगा । इस सम्बन्ध में हम एक सूत्र निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम नहीं चाहते हैं कि अंश पूंजी बहुत कम हो और ऋण पूंजी बहुत अधिक । इससे स्थिति एकांगी हो जायेगी । हमें अधिक पूंजी विनियोजन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसे मामलों में भी राष्ट्र की पूंजी अनावश्यक रूप से अवरूद्ध नहीं करनी चाहिये जहां पर कि कार्यकारी पूंजी या ऋण या अन्य तरीकों से किया जा सकता है ।

माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में दिलचस्पी ली है उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं । भविष्य में यदि संभव होगा तो हम इस विषय की चर्चा के लिये और अवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में और अधिक विचार कर सकें । मुझे उनकी आलोचनाओं को जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी । हम सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में जहां कि जनता के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, सदैव जागरूक रहना चाहते हैं

[श्री मनुभाई शाह]

जिससे कि वास्तविक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय दोनों ही मामलों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : हम माननीय मंत्री जी को उनके भाषण के लिये धन्यवाद देते हैं वस्तुतः यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र की जड़ें जम रही हैं। हमने इस क्षेत्र की आलोचना की तथापि इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि सरकारी क्षेत्र और अधिक सुदृढ़ हो ।

मैं माननीय मंत्री और सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में अपने २०वें प्रतिवेदन से लेकर ७३वें प्रतिवेदन तक कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, तथापि उनकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया और सदैव यह बताया गया कि इन उपक्रमों का समवाय के रूप में ही प्रबन्ध करना अधिक अच्छा है । मेरा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मतभेद है ।

जहां तक पद निवृत्त और भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं उनकी सेवायें स्वीकार करता हूं, तथापि मैं इस सम्बन्ध में प्रो० जे० के० गोलब्रथ का कथन उद्धृत करना चाहता हूं । वह यह है कि असैनिक अधिकारियों को छोटी से छोटी कम्पनियों में भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । सभा के कई अन्य सदस्यों ने भी यही राय व्यक्त की थी।

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि संसद् सदस्यों को इन उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में स्थान दिया जाये, इनमें से अधिकांश कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कोई छोटा सरकारी अधिकारी भी कर सकता है ।

झाड़खंड के प्रतिनिधि सदस्य ने एवरो ७४८ का लागत मूल्य पूछा है वस्तुतः अभी इस विमान का उत्पादन ही नहीं हो पाया इसलिये इसका लागत मूल्य नहीं जाना जा सकता है । जहां तक हमारे प्रतिरक्षा उत्पादनों का प्रश्न है इनका मूल्य तीन वर्ष में १४ करोड़ से बढ़ कर २६ करोड़ हो गया, इससे हमारी काफी विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें तेल की खोज को सर्वप्रथम पूर्ववर्तिता देनी चाहिये, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसकी खपत बढ़ कर १४० लाख एकक हो जायेगी । यदि हम इस मामले में पूर्ववर्तिता प्रदान नहीं करेंगे तो हमें १२५ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष व्यय करनी होगी । जब हम जनता की कारों का उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में करने जा रहे हैं तब मोटर गाड़ी उद्योग के राष्ट्रीयकरन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वे निम्नलिखित कार्यवाहियां करें ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन के रूप का निश्चय करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाये । प्रबन्ध बोर्डों का पुनर्गठन कर उनके स्थान में संसद् की संविहित समिति बनायी जाये । उन्हें इस सम्बन्ध में एक वृहद योजना बना कर हमारे समक्ष रखनी

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये जिससे कि इन उपक्रमों का हमारे समक्ष एक स्पष्ट चित्र रहे। इसके अतिरिक्त आर्थिक और औद्योगिक सेवाओं का निर्माण किया जाये। उनमें वाणिज्यिक तथा प्रत्यास्मरण सम्बन्धी पाठ्यक्रम दिये जायें।

अन्त में मैं श्री त० ब० विट्ठल राव की इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी पूंजी न लगायी जाये क्योंकि इसके बहाने गैर-सरकारी क्षेत्र इस क्षेत्र में भी अपने हाथ पसारेगा। गैर-सरकारी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय न किया जाये।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्राकाशन पर, जो ९ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६० / २४ अग्रहायण, १८८२ (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

[बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६० / २३ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२६६३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९२.	रुड़की-बद्रीनाथ सड़क	२६६३—६५
८९३.	मालभाड़ा की दरें	२६६५
८९४.	डाक सेवायें	२६६५—६७
८९६.	मसालों सम्बन्धी वस्तु समिति	२६६७—६८
८९७.	दीमक के बचाव	२६६८—६९
८९९.	भू-संरक्षण	२६६९—७१
९०२.	जम्मू-श्रीनगर राजपथ पर चट्टानों का गिरना	२६७१
९०३.	भूकंप	२६७२
९०४.	धान की खेती	२६७२—७३
९०७.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	२६७३—७५
९०८.	समाचार-पत्रों का विदेशों में भेजा जाना	२६७५—७७
९०९.	केरल में चावल के भाव में वृद्धि	२६७७—७८
९१०.	हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे पर किराये में वृद्धि	२६७८—८०
९११.	हरिद्वार के निकट रेल दुर्घटना	२६८०—८१
९१२.	बम्बई और कलकत्ते में प्रदर्शन कक्ष	२६८२
९१३.	मुगलसराय-सहारनपुर सेक्शन में डीजल से रेल चलाना	२६८२—८३
९१४.	आन्ध्र प्रदेश में अकाल	२६८३—८४
९१५.	असम में सड़कें	२६८५
९१६.	संसद्-सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य योजना	२६८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . २६८५—२७१४

तारांकित
प्रश्न संख्या

८६५. डल्ली-राझडा-भिलाई लाइन . . २६८५-८६
८९८. तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली योजनायें . २६८६
९००. रास्ते में माल का नुकसान . . २६८६-८७
९०१. सिंचाई और बिजली परियोजनायें . . २६८७
९०५. आसनसोल के पास इस्पात के टुकड़ों (स्टील बिलटस) का लूटा जाना . . . २६८७—८८
९०६. गोबर से गैस के संयंत्र २६८८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७७३. मध्य प्रदेश में बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई और विद्युत परियोजनायें . . . २६८८—८९
१७७४. मनीपुर और त्रिपुरा के गांवों का विद्युतीकरण २६८९
१७७५. राष्ट्रीय राजपथ के पुलों पर पथ-कर . . २६८९
१७७६. नई दिल्ली नगर पालिका को आवंटित धन-राशि २६८९—९०
१७७७. तार घर २६९०
१७७८. अन्तर्देशीय जल परिवहन . . . २६९०—९१
१७७९. उत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें . . २६९१
१७८०. उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां २६९१
१७८१. चन्द्रप्रभा नहर पर रेलवे पुल का निर्माण . २६९१—९२
१७८२. सड़कों का विकास २६९२
१७८३. दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम . २६९३
१७८४. उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले . . २६९३
१७८५. दिल्ली में लड़की के शव के लिये खोज . . २६९३—९४
१७८६. विमान दुर्घटना २६९४
१७८७. सामुदायिक विकास खण्डों में अविकसित वर्गों का विकास . . २६९४
१७८८. पुनर्नवा २६९५
१७८९. दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां . . २६९५—९६
१७९०. पूर्व रेलवे के बाढ़ स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना . २६९६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१७९१	श्रीसैलम विद्युत् परियोजना . .	२६९६
१७९२	नारियल के बागान का संरक्षण . . .	२६९७
१७९३	गुना-मक्सी रेलवे लाइन .	२६९७
१७९४	कावेरी नदी पर रेलवे पुल . . .	२६९७
१७९५	आन्ध्र प्रदेश में ग्राम्य जल संभरण योजनायें	२६९७–९८
१७९६	चावल की नयी किस्में	२६९८
१७९७	केन्द्रीय सड़क निधि .	२६९८–९९
१७९८	खाद्य वस्तुओं पर बिक्री कर	२६९९
१७९९	पंजाब में भूमि का कृष्यकरण	२६९९–२७००
१८००	गोदावरी बाढ़ नियंत्रण	२७००
१८०१	नीदरलैंड से जहाज़ .	२७००
१८०२	दिल्ली के लिये चीनी का कोटा . .	२७००—०१
१८०३	राष्ट्रीय आहारपुष्टि मंत्रणा समिति .	२७०१
१८०४	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का अस्वस्थता—सर्वेक्षण.	२७०१
१८०५	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	२७०१–०२
१८०६	कृषि प्रयोजनों के लिये इस्पात .	२७०२
१८०७	नये रेलवे इंजन . .	२७०२–०३
१८०८	कृषि-क्षेत्र	२७०३
१८०९	दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जल-निस्सारण	२७०३
१८१०	काश्मीर में हैजा .	२७०३–०४
१८११	केरल के लिये डाक सर्किल .	२७०४
१८१२	लौह-अयस्क के निर्यात के लिये बन्दरगाह	२७०४
१८१३	रेलवे समितियां	२७०४–०५
१८१४	कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी . .	२७०५
१८१५	पूर्ण वित्त योजना	२७०५–०६
१८१६	अम्बाला छावनी स्टेशन की घटना	२७०६
१८१७	रेलवे भूमि	२७०६–०७
१८१८	दलन स्टेशन . .	२७०७
१८१९	कृमि नाश	२७०७–०८

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८२०	रेलवे में भूतपूर्व सैनिक	२७०८
१८२१	चाय उद्योग के लिये अमोनियम सल्फेट	२७०८
१८२२	पंजाब में सड़क परियोजनायें	२७०९
१८२३	चलती फिरती डाक सेवायें	२७०९
१८२४	रेलवे रियायत	२७०९
१८२५	अनाज की दुकानों के भूतपूर्व कर्मचारी	२७०९-१०
१८२६	मध्य रेलवे पर परीछा स्टेशन के पास रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	२७१०
१८२७	जाली टिकट	२७१०
१८२८	हिमाचल प्रदेश में बड़ी सिंचाई योजनायें	२७१०
१८२९	यमुना नदी पर पुल	२७१०-११
१८३०	मीठापुर और ओखा के बीच विमान सम्पर्क	२७११
१८३१	स्मारक डाक टिकट	२७११
१८३२	नई दिल्ली का केन्द्रीय तार घर	२७११-१२
१८३३	नई दिल्ली का केन्द्रीय तार घर	२७१२
१८३४	राज्यों में सड़क परिवहन सेवाओं के लिये ऋण	२७१३
१८३५	दिल्ली के चिड़ियाघर के लिये सफ़ेद शेर	२७१३
१८३६	अन्दमान द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी	२७१४

स्थगन प्रस्ताव २७१५-१६

अध्यक्ष महोदय ने उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ को अवैध घोषित करने के निर्णय के प्रभाव के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, खुशवक्त राय, राम सेवक यादव, और ब्रजराज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७१६

(१) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(१) वर्ष १९५९-६० के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

(२) वर्ष १९५९–६० के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५९ में प्रकाशित गन्ना नियंत्रण (पांडीचेरी राज्य) आदेश, १९६० की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २७१६

चौहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २७१७

एक सौ एकवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पारित . . . . . . २७१७—१९, २७३४—४०

(१) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(२) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बें० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि अधिमान प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . . २७१९—३४

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रसूति लाभ विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक विचाराधीन २७४०-४१

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव किया कि मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय	पृष्ठ
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव	२७४१—६७

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गुरुवार, १५ सितम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और निवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1666(Ai) LS—6-1-61—115